राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क १०] द्वितीय विधान सभा के दशम् सत्र १९६१ का चतुर्थ दिवस [संख्या २

सोमवार, २७ फरवरी, १९६१

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बज कर २ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[राजस्व, सार्वजनिक निर्माण, शिक्षा, उद्योग, समाज कल्याण, देवस्थान एवं नियुक्ति–विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ८८, श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ८९

श्री अनूपसिंह ।

श्री भैरोंसिंह ।

श्री रामकरणसिंह : प्रश्न संख्या ८९।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह के नाम इसकी ऑथोरिटी दी हुई है।

तहसील सिवाना व पचभद्रा के ५००)रु. से कम आय वाले जमींदारों को मुआवजा

८९. **श्री अनूपसिंह** (बालोतरा) **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) [श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली) द्वारा पूछा गया] : क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) क्या यह सही है कि तहसील सिवाना व पचभद्रा के ५००) रु० से नीचे आमदनी वाले भू-स्वामियों को अभी किसी रूप में मुआवजा नहीं मिला ? यदि हां, तो ऐसे जागीरदारों की तहसीलवार क्या संख्या है ? ऐसे कितने हैं जिनको अन्तर्कालीन मुआवजा मिल चुका है ?

(२) क्या यह सही है कि जिन छोटे भू-स्वामियों ने अन्तकालीन मुआवजा नहीं लिया उनसे उनकी खुदकाश्त बीघोड़ी के जरिये

Page No.2

(श्री अनूपसिंह)

कुड़की वसूल किया जा रहा है ? यदि हां, तो ऐसे कितने केसेज में हुआ ? कृपया आंकड़े दें ।

(३) क्या यह सही है कि इस तरह खुदकाश्त की वसूली को रोकने के लिए सरकार के आदेश हैं; फिर भी छोटे जागीरदारों से, जिन्होंने अन्तर्कालीन मुआवजा नहीं लिया, उनसे खुदकाश्त लगान कुड़की द्वारा वसूल किया जा रहा है ? यदि हां, तो वसूली रोकी क्यों नहीं जा रही है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) जी नहीं । तहसील सिवाना व पचभद्रा के ८०० जागीरदारान जिनकी आय पांच सौ से कम है उन्हें मुआवजा नकद व बौंड्स में दिया जा चुका है । केवल एक जागीरदार जिसकी आय ५००) रुपये से कम है अन्तर्कालीन मुआवजा मिला है ।

(२) जी नहीं ।

(३) जी हां । जिन जागीरदारान को अन्तरिम मुआवजा की एक भी किश्त न मिले उनसे खुदकाश्त का लगान, जब तक मुआवजा मिलना शुरू न हो जाय, वसूल नहीं करने की राजाज्ञा है । तहसील सिवाना व पचभद्रा के जागीरदारान से खुदकाश्त भूमि का लगान कुड़की द्वारा वसूल करना सही नहीं है ।

श्री रामकरणसिंह : वसूली नहीं करने की बात बताई है, पर तहसीलों में तहसीलदारों ने कुड़की करने के आॅर्डर्स दिये हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरी जानकारी में नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा ।

कोटा एवं बूंदी जिले में चम्बल नहर से सिंचित की जाने वाली भूमि के बेचे जाने की दरों में कटौती

६०. **श्री रामनारायण वर्मा** (पीपल्दा-सु०) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) कोटा एवं बूंदी जिले में चम्बल नहर से सिंचित की जाने वाली कितनी भूमि है जो कोलोनाइजेशन विभाग द्वारा किसानों को बेची जावेगी ?

(२) उक्त भूमि बेची जाने की विभिन्न दरें क्या क्या हैं ?

(३) क्या ये दरें प्रचलित दरों से लगभग दूनी हैं ?

(४) यदि हां, तो उक्त दरों के निर्धारण का आधार क्या है ?

(५) क्या इस कीमत में किसान जमीन खरीद रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त दरों में कोई कटौती करने वाली है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) करीब दो लाख बीघा जमीन बेची जावेगी ।

(२) उक्त भूमि बेची जाने की विभिन्न दरें नीचे वर्णित हैं:—

माल १ २२५ रु० फी बीघा

Page No.3

(श्री दामोदरलाल व्यास)

माल २ १५० रु० फी बीघा

माल ३ ६० रु० फी बीघा

(३) जी हां ।

(४) कीमतों का आधार यह है कि सिंचाई की सुविधाएं होने के कारण जमीन की पैदावार बहुत ही बढ़ जावेगी और मौजूदा कीमत आयन्दा तीन या चार गुनी ऊंची हो जावेगी । इसलिए कीमतें ऊंची रखी हैं ।

(५) अभी बिक्री चालू नहीं की है, यह १६ फरवरी से आरम्भ होगी ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : क्या ये जमीनें बेची जायंगी, उसमें भूमिहीन किसानों को प्राथमिकता दी जायगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जो अलॉटमेंट के नियम हैं उनमें भूमिहीनों को अलॉट करने के नियम हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास : जिनके पास भूमि है, जिनके पास साधन और पैसा है वे लोग भी खरीदते हैं तो उस सूरत में भूमिहीनों को प्राथमिकता दी जायगी या नहीं और अगर नहीं तो जो गरीब हैं जिनके पास पैसा नहीं है वे लोग तो खरीद भी नहीं सकेंगे और जिनके पास पैसा है वे लोग ही खरीद सकेंगे; तो मेरा प्रश्न यह है कि भूमिहीनों को वहां प्राथमिकता दी जायगी या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सीलिंग एरिया से किसी को ज्यादा नहीं दी जायगी । ऑक्शन के नियम बनाये हैं उनमें ऐसा नियम रख दिया है कि हर लोग खरीद सकते हैं, अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी गई है, सीलिंग की ।

श्री मुरलीधर व्यास : वहां उन गांवों के रहने वाले लोगों को जमीन मिलेगी या नहीं, मैं यह पूछ रहा हूँ, उन लोगों को प्राथमिकता नहीं मिलती है तो दूसरे लोग जिनके पास साधन हैं, पैसा है वे लोग जमीनें ले लेंगे और उन गांवों के रहने वाले गरीब किसानों को जमीन नहीं मिल सकेगी ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरा जवाब बिल्कुल साफ है कि किसानों को जमीनें मिलेंगी, किसानों पर भी रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि सीलिंग एरिया से ज्यादा जमीन नहीं खरीद सकेंगे ।

श्री मुरलीधर व्यास : उन गांवों के गरीब भूमिहीन, जिनके पास पैसा नहीं है उनको किश्तों में भूमि दी जायगी या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अलॉटमेंट से भी जमीन दी जा रही है और बेची भी जा रही है ।

श्री मुरलीधर व्यास : जो भूमि बेची जा रही है उसमें यह सुविधा रखी है कि नहीं, वह भूमिहीन किसानों को किश्तों पर दी जायगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आप उन नियमों को देख लें, मैं पढ़ कर तो नहीं सुना सकता । आप पढ़ लें ।

श्री मुरलीधर व्यास : उन नियमों में यह सुविधा है कि नहीं कि इन गरीब

(श्री मुरलीधर व्यास)

भूमिहीनों को प्राथमिकता दी जायगी और किश्तों पर भूमि दी जायगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : हर आदमी ले सकता है, पर वह काश्तकार होना चाहिये।

श्री मुरलीधर व्यास : पैसा उसको नकद देना पड़ेगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह तो है ही ?

श्री मुरलीधर व्यास : तो फिर वे गरीब लोग कैसे ले सकेंगे, वे पैसा कहां से लायेंगे ?

श्री शंकरलाल (रायपुर) : क्या हरिजनों को जमीनें दी जायेंगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : हरिजनों का अलॉटमेंट में ऑलरेडी प्रोविज़न है।

श्री मुरलीधर व्यास : कितनी जमीन अलॉटमेंट में रखी है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : स्माल पीसेज़ अलॉटमेंट में हैं, लार्ज साइज़ ब्लाक्स हैं वे नीलाम में हैं।

एक माननीय सदस्य : किसान, किस आधार पर मानगे, क्या किसान की परिभाषा की है ?

श्री अध्यक्ष : आप रूल्स देख लीजिये।

श्री रामचन्द्र (डग–सु०) : क्या यह मालूम कर लिया है कोटा जिले में कि हर किसान के पास सीलिंग के लिहाज़ से कितनी जमीन रहनी चाहिये ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

नाहरगढ़ किले से जयगढ़ जाने वाली सड़क के दरवाजे खोलने के समय में परिवर्तन की अपेक्षा

८१. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) [श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली) द्वारा पूछा गया] : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि जयपुर स्थित नाहरगढ़ किले से एक सड़क पहाड़ियों के ऊपर होती हुई जयगढ़ तक जाती है ?

(२) यदि हां, तो इस सड़क को आमेर तक क्यों नहीं बढ़ा दिया जाता ?

(३) क्या यह भी सत्य है कि इस सड़क के दरवाजे सायं ४ बजे खोले जाते हैं ? यदि हां, तो यह समय किस आधार पर तथा किस के आदेश से निश्चित किया गया है ?

(४) क्या सरकार पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस सड़क के खुलने के समय में परिवर्तन करने के विषय में विचार करने की कृपा करेगी ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) जी हां।

(२) यह ट्रेक जयगढ़ किले पर आकर

Page No.5

(श्री हरिश्चन्द्र)

समाप्त होती है, जो महाराजा जयपुर की निजी सम्पत्ति है; अतः इस सड़क के बनाने की अभी तक कोई योजना नहीं है।

(३) इस विभाग को ऐसी जानकारी नहीं है।

(४) प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामकरणसिंह : यदि इसकी जानकारी विभाग को नहीं है और अब जानकारी दी जा रही है तो क्या कोई कार्यवाही की जायगी ?

श्री हरिश्चन्द्र : यह निजी सम्पत्ति जयपुर दरबार की है, इस वास्ते कुछ कह नहीं सकते।

प्रश्न संख्या ६२

श्री अध्यक्ष : श्री किशनाराम।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६३

श्री भैरवलाल कालाबादल।

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द डागा।

पाली तहसील में घोषित खातेदार

६४. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

पाली तहसील में सन् १९५९ व ६० में किन किन काश्तकारों को एस. डी. ओ. या सहायक कलेक्टर, पाली ने खातेदार घोषित किये जिनकी कि काश्त सम्वत् २०१२ से थी ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): सन् १९५९ व ६० में एस. डी. ओ. व सहायक कलेक्टर, पाली ने केवल ११ काश्तकारों को खातेदारी हक दिये जिनकी सूची संलग्न है।

उक्त संख्या इसलिये कम है कि पाली तहसील के खालसा गांवों में बन्दोबस्त का कार्य अभी चालू है। इसलिये बहुत से काश्तकारों को कब्जे के अनुसार पर्चे बन्दोबस्त विभाग द्वारा दिये जा रहे हैं।

जागीर के गांवों के बन्दोबस्त का कार्य कुछ समय पहले हो बन्द हुआ है; अत : उन गांवों में बहुत से काश्तकारों को कब्जे के आधार पर पर्चे बन्दोबस्त विभाग द्वारा दे दिये गये हैं।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री मूलचन्द डागा : जागीर के गांव हैं उनमें कभी से सेटलमेंट का काम बन्द हो गया है; फिर भी आपकी प्रोग्रेस, काम को देखते हुए, बहुत कम है।

श्री दामोदरलाल व्यास : जागीर के गांवों में बन्दोबस्त हाल में बन्द हुआ है। बन्दोबस्त विभाग के अधिकारियों ने जिनको खातेदारी देने का सवाल था उनको दे दिये हैं।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : जागीर के गांवो का बन्दोबस्त कब बन्द हुआ है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : तारीख तो याद नहीं, पर ५६—५७ के करीब बन्द हुआ है।

श्री शंकरलाल : ५६ को आज ४ साल हो गये हैं तो फिर केवल ११ आदमियों को ही कैसे बनाया, जिन ११ का बनाया है, उन लोगों की अर्जी पर पर्चे बनाये या अपने आप ही पर्चे बनाये ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरे जवाब को पूरी तरह सुनिये। मैंने कहा कि एस. डी. ओ. व सहायक कलेक्टर ने ११ के बनाये हैं पर सेटलमेंट विभाग के अधिकारियों ने सैकड़ों, हजारों को खातेदारी के पूरे हक दिये हैं। दफा १५ व १६ के तहत पर्चा चकबन्दी उनको दे दिये हैं।

श्री मूलचन्द डागा : सम्वत् २०१२ से काश्तकार की काश्त नहीं थी, इसलिये कई काश्तकारों को खातेदारी हक से वंचित रख दिया गया है, क्या यह सही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : नहीं, ऐसी बात नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : उनको खातेदारी राइट्स हासिल करने के लिये क्या कार्यवाही करनी पड़ती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इस सम्बन्ध में आप कृपा करके टीनेन्सी एक्ट के प्रोविजनों को देख लें। अगर रेकॉर्डेड टीनेन्ट्स हैं तो उनको क्या कार्यवाही करनी चाहिये और रेकॉर्डेड टीनेन्ट्स नहीं हैं तो क्या ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

धौलपुर राजकीय माध्यमिक शिक्षणालय में तकनीकी प्रशिक्षण वस्तुओं का अभाव

६५. डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) धौलपुर के राजकीय उच्चतर माध्यमिक शिक्षणालय के तकनीकी प्रशिक्षण यन्त्रों को विद्यालय से हटाने की क्या सरकार की कोई नीति है ?

(२) उक्त विद्यालय में तकनीकी प्रशिक्षण के लिये किन वस्तुओं का अभाव है ? उसकी पूर्ति हेतु क्या क्या व्यवस्था की जा रही है ?

उप मंत्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द विश्नोई) : (१) जी नहीं।

(२) उक्त विद्यालय में टेक्नीकल प्रशिक्षण के लिये किसी वस्तु का भी अभाव नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

तहसीलदार, बामनवास द्वारा स्थानान्तरण के आदेश मिलने के अनन्तर आंवटन की गई भूमि

६६. श्री पृथ्वीराज (गंगापुर—सु०) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार को विदित है कि तहसीलदार, बामनवास ने ट्रान्सफर की सूचना

Page No.7

(श्री पृथ्वीराज)

प्राप्त होने पर दिनांक २५-७-६० को अलॉटमेंट कमेटी की मीटिंग रात्रि के ५ बजे बाद की ?

(२) यदि हां, तो यह मीटिंग रात्रि को क्यों रखी गई तथा उसमें किस किस गांव में किस किस व्यक्ति को कितनी कितनी ज़मीन दी गई ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री पृथ्वीराज पटेल : प्रश्न क्यों नहीं उठता ? उन्होंने ऐसा किया है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने आपके पहले प्रश्न का जवाब दिया है, "जी नहीं।" उन्होंने रात को मीटिंग नहीं की।

श्री पृथ्वीराज : रात को मीटिंग हुई है। २५ तारीख को रात को मीटिंग हुई है। पहले सूचना २६ तारीख को थी, मगर २५ तारीख को ६ बजे से रात को बहुत देर तक मीटिंग करके जमीनें अलॉट की हैं। मैंने आंखों से जाकर देखा है।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : The point is, Sir, from whom did he get the information that the meeting was not held, when the Hon'ble member is making a statement that the meeting took place after 6 o'clock. What is the Hon'ble Minister's source of information ?

श्री दामोदरलाल व्यास : My reply is based on the information supplied by the Collector and I presume that it is correct. But if the Hon'ble member is saying that the meeting was in fact held during the night of 25th, I would just read out a few allotments that were made on the 26th and you can judge...

श्री पी० के० चौधरी : I will request the Hon'ble Minister to institute an enquiry into the matter and also invite the Hon'ble member to establish whether the meeting was held or not.

श्री दामोदरलाल व्यास : I will be glad to institute an enquiry, provided the Hon'ble member gives us some facts.

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या यह काफी नहीं है जब पंचायत समिति के सदस्य खुद इस बात को कह रहे हैं कि रात को मीटिंग हुई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वे यह नहीं कह रहे हैं कि वे उसमें शरीक नहीं थे।

श्री अध्यक्ष : क्या मीटिंग २५ तारीख को हुई थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय सदस्य यह कहते हैं कि मैं खुद मौजूद था....

श्री पृथ्वीराज : मैं नहीं था।

श्री दामोदरलाल व्यास : जो अलॉट-

(श्री दामोदरलाल व्यास)

मेंट हुए उन केसेज़ को मैं आपको बताता हूँ। एक केस में ११ बिस्वा, दूसरे में तीन बीघा, तीसरे में तीन बीघा, चौथे में चार-चार बीघा, और एक में पौने दो बीघा और एक अलॉटमेंट हरदेव का २७ बीघा का हुआ है। इसके लिये तो मैंने इन्क्वायरी के ऑर्डर दे दिये हैं कि इसको १५ बीघा से ज्यादा क्यों अलॉट किया गया है? इसके अलावा मैं यह कहूँगा कि ५ बीघों से ज्यादा कोई अलॉट-मेंट नहीं हुआ है।

श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली) : क्या २५ तारीख को मीटिंग होने के नोटिस पहले सदस्यों को सर्व किये गये थे?

श्री दामोदरलाल व्यास : प्रश्न यह नहीं पूछा गया। प्रश्न यह पूछा गया कि रात को मीटिंग हुई या नहीं जिसका मैंने जबाब दे दिया। कायदे से जरूर नोटिस इश्यू होना चाहिये।

श्री रामकरणसिंह : माननीय सदस्य कहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : मीटिंग कब हुई?

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या यह सही है कि मीटिंग का नोटिस २६ तारीख का दिया गया था और २५ तारीख को ही मीटिंग बुला ली गई थी?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

कोटपूतली से बानसूर पावटा सड़क के निर्माण हेतु अवाप्त भूमि का मुआवजा

६७. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपूतली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कोटपूतली से बानसूर और पावटा सड़क के लिये जमीन कब अवाप्त की गई थी?

(ख) क्या सरकार ने इसके मुआवजे के पैसे दे दिये हैं।

(ग) यदि नहीं, तो क्यों?

(घ) क्या यह भी सत्य है कि जो पहली भूमि अवाप्त की थी और सड़क बनाई थी अब दूसरी भी अवाप्त की जा चुकी है और पहले वाली का मुआवजा भी नहीं दिया गया है।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (क) कोटपूतली से बानसूर जिला जयपुर में आने वाले भाग की भूमि-अवाप्ति की कार्यवाही १६५६ में समाप्त हो गई तथा अलवर जिले में पड़ने वाले भाग की मुआवजे सम्बन्धी कार्यवाही अभी चालू है।

कोटपूतली से पावटा : कोटपूतली से पावटा सड़क की भूमि-अवाप्ति की कार्यवाही सन् १६५६ में पूर्ण की गई है।

(ख) कोटपूतली से बानसूर : जयपुर जिले में आने वाले भाग की भूमि का अवार्ड

Page No.9

(श्री हरिश्चन्द्र)

दिया जाकर मुआवजा चुकाने के लिये चैक अधिशासी अभियन्ता, अलवर द्वारा कलेक्टर जयपुर को भेज दिया है, इसी तरह कोटपूतली पावटा की सड़क में आने वाली भूमि का अवार्ड दे दिया गया है और पेमेन्ट कलेक्टर जयपुर के द्वारा कराया जा रहा है।

(ग) कुछ भाग का दे दिया गया है बाकी के लिये कार्यवाही चालू है।

(घ) दूसरी भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही अभी चालू है और पहले वाले भाग का बाकी बचा हुआ मुआवजा दिये जाने की कार्यवाही कराई जा रही है।

श्री रामकरणसिंह : आपने अभी बताया कि कोटपूतली से पावटा सड़क की भूमि अवाप्ति की कार्यवाही सन् १६५६ में पूर्ण हो गई, मगर मैं यह पूछ रहा हूँ कि काश्तकारों से भूमि कब ली गई ? आपकी कार्यवाही १० या १५ वर्षों में होती रहे मगर प्रश्न यह है कि भूमि काश्तकारों से कब ली ?

श्री हरिश्चन्द्र : कौनसी सड़क का आप पूछ रहे हैं ?

श्री रामकरणसिंह : पावटा से कोटपूतली सड़क का पूछ रहा हूँ। उसकी तारीख कौनसी है ?

श्री अध्यक्ष : सड़क का निर्माण कब हुआ ?

श्री हरिश्चन्द्र : यह तो चल रहा है। पहले ८० फुट विड्थ की सड़क बनने वाली थी। यह अब नेशनल हाई वे डिक्लेअर हो गई है।

श्री रामकरणसिंह : मेरा यह प्रश्न सीधा है पावटा से कोटपूतली की सड़क बनाई गई उसमें काश्तकारों से जमीन कब ली गई ?

श्री हरिश्चन्द्र : इसकी सूचना तो मेरे पास नहीं है। आपने प्रश्न नहीं पूछा।

श्री रामकरणसिंह : पूछा है।

श्री हरिश्चन्द्र : अब यह नेशनल हाई वे हो गया है इसलिये एक्विज़िशन हो रहा है।

श्री रामकरणसिंह : अध्यक्ष महोदय, चार साल से बराबर मैं अर्ज कर रहा हूँ और आपने भी इस सम्बन्ध में फरमाया था, लेकिन यह मुआवजा अभी तक उनको नहीं दिया गया है। यह भूमि १६५४ में ली गई। तीन महीनों के अन्दर अन्दर मुआवजा देने का नोटिस मुझे मिला था मगर उसको भी अभी दो वर्ष हो गये हैं।

श्री हरिश्चन्द्र : इसके लिये एवार्ड हो चुका है और ८८१० रुपये ३१ नये पैसे का चैक भी भेज दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : यह पुरानी सड़क बनी उसके लिये है या नेशनल हाई वे के लिये है ?

श्री हरिश्चन्द्र : यह कोटपूतली पावटा

Page No.10

(श्री हरिश्चन्द्र)

की सड़क में भूमि अवाप्त की थी उसके लिये है ८८१०.३१ नये पैसे का चैक भेज दिया गया है। अब नेशनल हाई वे के लिये एडीशनल जमीन ली जा रही है।

श्री रामकरणसिंह : यह चैक कब भेजा गया ?

श्री हरिश्चन्द्र: यह डेट मेरे पास नहीं है, but the award was announced on 30.7.1959 and the cheque for 8810.31 was issued.

श्री रामकरणसिंह : जयपुर से कोट-पूतली तक ऑर्डर या चैक पहुंचने में कितना समय लगता है। सन् १९५९ से आज तक नहीं पहुंचा है।

श्री हरिश्चन्द्र : पी० डब्ल्यू० डी० से कलेक्टर के पास भेज दिया गया है।

श्री रामकरणसिंह : अध्यक्ष महोदय, अब तक उनसे लगान भी लिया जा रहा है जब कि उनकी जमीनें सरकार ने ले ली है और उनको मुआवजा भी नहीं दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र ।

श्री रामकरणसिंह : उनको मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है और लगान भी ले रहे हैं, यह उचित नहीं है।

श्री हरिश्चन्द्र : आपने लैन्ड एक्वीजिशन का पूछा था। मैंने बता दिया, अब आपका कहना है कि मुआवजा उनको मिला नहीं।

श्री रामकरणसिंह क्या मुआवजा सैंक्शन हो गया है ?

श्री हरिश्चन्द्र : रुपया दे दिया गया है। उनको भिजवा दिया जावेगा।

श्री रामकरणसिंह : पहले भी कहा गया था कि उनको रुपया दे दिया जायगा मगर अभी तक उनको नहीं मिला है।

श्री अध्यक्ष : अब तो चैक भी जारी हो चुका है।

एक माननीय सदस्य : चैक तो ५९ में जारी हुआ है।

श्री अध्यक्ष : सन् ५९ में तो एवार्ड हुआ है।

(विराम)

प्रश्न संख्या ९८ व ९९

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

नेक्स्ट, श्री पृथ्वीराज ।

नमक के लाटरी सिस्टम, सर्टिफिकेट हलफनामा की समाप्ति की अपेक्षा

१००. **श्री पृथ्वीराज पटेल** (गंगापुर सु०) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

Page No.11

(श्री पृथ्वीराज)

(१) प्रति तिमाही नमक की लॉटरी किन किन जिलों में निकाली जाती है ?

(२) क्या यह सच है कि प्रत्येक लॉटरी के समय हलफनामा तथा सर्टिफिकेट लिया जाता है।

(३) यदि हां, तो क्यों ?

(४) सरकार लॉटरी सिस्टम तथा सर्टिफिकेट व हलफनामा को अब खत्म करने जा रही है ?

उद्योग मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल): (१) प्रति तिमाही नमक की लॉटरी निम्नलिखित जिलों में निकाली जाती हैं : जयपुर, भरतपुर, अलवर, सवाईमाधोपुर, नागौर, भीलवाड़ा, अजमेर, सीकर, कोटा, श्री गंगानगर, झुंझुनूं, चित्तौडगढ़, चूरू, झालावाड, टौंक और बूंदी।

(२) जी हां।

(३) हलफनामा लेना जरूरी है। सर्टिफिकेट लेना हर बार जरूरी नहीं हैं।

(४) इस विषय में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

प्रश्न संख्या १०१

श्री अध्यक्ष : श्री लादूराम सुलाणिया।

(अनुपस्थित)

डॉ० चन्द्रकला।

जयपुर की विस्थापित बालिका-शालाओं के अध्यापकों के वेतन

डॉ० चन्द्रकला (किशन पोल बाजार, जयपुर) : Will the Education Minister be pleased to state:--

1. Is it a fact that fixation of in the unified pay scales has been made in the case of all the teachers working in refugee boys' schools, but it has not been made in case of refugee girls' schools in Jaipur ?

2. If so, why

उप मन्त्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : 1. Fixation of all the teachers of refugee girls, shools has been done in unified pay scales.

2. Question does not arise.

डॉ० चन्द्रकला : यह कब हुआ ? रिफ्यूजी बोयूज़ स्कूल के टीचर्स का हो जाने के बाद हुआ या उनका हुआ तब ही हुआ ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : एक दिन में तो हुआ नहीं है। आखिर इसका प्रोसेस है। अलग अलग केसेज को देखा जाता है। उनकी जानकारी करके ही बाद में किया गया था। निश्चित तारीख तो मैं नहीं कह सकता।

डॉ० चन्द्रकला : क्या लेडी टीचर्स का प्रोसेस के कारण ही नम्बर नीचे आ रहा था ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : फिक्सेशन किया जा चुका है; मैंने यह नहीं कहा कि नहीं किया गया।

Page No.12

डॉ० चन्द्रकला : कब हुआ ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : किसी की जानकारी पहले मिल गई तो पहले हो गई, पीछे जानकारी मिली तो दो तीन महीने देरी से हुआ। लेकिन सब का फिक्सेशन हो गया।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह।

बानसूर से डाबला वाया कोटपूतली सड़क के अवशिष्ट टुकड़े का निर्माण

१०३. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपूतली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) बानसूर से डाबला वाया कोटपूतली सड़क का कितना टुकड़ा बन चुका है व कितना बाकी है ?

(ख) बचे हुए टुकड़े को कब तक सरकार बनवाने का इरादा रखती है ?

(ग) क्या कोट से बानसूर तक सड़क बनने से पहले बस चलती थी ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (क) बानसूर से कोटपूतली तक १० मील का टुकड़ा तैयार है।

(ख) अभी इस भाग को बनाने की योजना नहीं है।

(ग) इस विभाग को एसी जानकारी नहीं है।

श्री रामकरणसिंह : १० मील का टुकड़ा तो बनाने की इजाजत हो गई थी और बाकी की क्यों नहीं हुई ?

श्री हरिश्चन्द्र : प्लान में नहीं थी।

श्री रामकरणसिंह : सड़क तो वही है। १० मील का तो इसलिए रखा था कि उसमें तो किसी जेक की जरूरत नहीं थी और उसको ले लिया।

कई माननीय सदस्य : यह 'जेक' क्या है ?

श्री हरिश्चन्द्र : पहले प्लान में १० मील का टुकड़ा बनाने का था वह बन गया।

श्री रामकरणसिंह : बसें चलती हैं वे डाबला तक के पेसेन्जर्स को ले जाने के लिए चलती हैं। उससे आगे का टुकड़ा नहीं बना।

श्री हरिश्चन्द्र : माननीय सदस्य का इसको इन्क्ल्यूड कराने का इरादा है क्या ?

श्री रामकरणसिंह : जी।

श्री अध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला।

नहरी क्षेत्रों में भूमि वितरण सम्बन्धी सरकारी नीति

१०४. **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) नहरी क्षेत्रों में भूमि वितरण के

Page No.13

(डॉ० चन्द्रकला)

सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ? क्या यह सच है कि चम्बल और राजस्थान नहर क्षेत्र में कृषि भूमि को नीलाम द्वारा किसानों को देने का निर्णय सरकार ने लिया है ?

(२) क्या यह सच है कि सरकार की इस नीति का उक्त दोनों क्षेत्रों की जनता ने जोरदार विरोध किया है ?

(३) क्या इस नीति का यह परिणाम नहीं होगा कि पैसे वाले ज्यादा से ज्यादा भूमि हथिया लेंगे और किसान वंचित रह जावेंगे ?

(४) क्या सरकार इस भूमि की कीमत निर्धारित करके उस पर ही किसानों को नहीं दे सकती ?

(५) क्या यह सच है कि अपनी राजस्थान यात्रा के समय श्री विनोबा ने मुख्य मन्त्री को इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव दिये हैं ? सरकार उन सुझावों पर क्या निर्णय ले रही है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) नहरी क्षेत्रों में भूमि-वितरण के संबंध में सरकार की नीति नीलाम व अलॉटमेन्ट दोनों ही के द्वारा है। चम्बल नहर भूमि में कृषि भूमि किसानों को अलॉटमेंट व नीलाम द्वारा दी जा रही है। राजस्थान नहर क्षेत्र में भूमि वितरण का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है और रूल्स बन रहे हैं।

(२) जी नहीं।

(३) जी नहीं। चम्बल क्षेत्र में भूमि का अधिक भाग अलॉटमेंट द्वारा ही वितरित किया जाता है।

(४) चम्बल क्षेत्र में भूमि का अधिक भाग निर्धारित कीमतों पर ही अलॉट होता है।

(५) जी हां। श्री विनोबाजी को वस्तु स्थिति से अवगत करा दिया गया है।

डॉ० चन्द्रकला : केवल पत्र आया था या माननीय मुख्य मन्त्री, उनकी राजस्थान में पद-यात्रा के समय मिले थे और उनसे उनकी इस सम्बन्ध में बातचीत हुई थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मिले भी थे और बातचीत भी हुई थी और उनको राजस्थान की वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया था।

डॉ० चन्द्रकला : नियम बनाये गये थे तो क्या उनमें विनोबाजी के सुझावों का भी ध्यान रखा गया था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां, रखा गया था।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : पत्र में क्या सुझाव थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मुख्य मन्त्री महोदय खुद मिले थे और पत्र भी मुख्य मन्त्रीजी ने ही विनोबाजी को लिखा था।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या विनोबाजी ने मुख्य मन्त्रीजी को पत्र लिखा था ?

Page No.14

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : विनोबाजी से पत्र नहीं आया था। उनसे बातचीत हुई थी। यहां की वस्तु स्थिति के लिए मैंने उनको पत्र लिखा था।

श्री मुरलीधर व्यास : उनके अलॉटमेंट के बारे में क्या विचार थे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : विचार जो होते हैं वे प्रश्नोत्तर काल में रखने के नहीं होते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : आखिर उनकी क्या राय थी भूमिहीनों को भूमि अलॉट करने के बारे में ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : केवल एक प्रश्न ही नहीं था। सारे प्रश्न जुड़े हुए थे। एक प्रश्न को लेकर यह कहा जाय कि यह राय थी और यह राय नहीं थी, यह सम्भव नहीं है, चर्चायें हुई थीं। उनके सम्बन्ध में पत्र लिखा गया था।

डॉ० चन्द्रकला : भूमिहीनों और मजदूरों और हरिजनों को जमीन मिले तो अलॉटमेंट और नीलाम में क्या रियायतें देने का विचार किया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : भूमिहीनों और बेकारों को जमीन अलॉट करने के लिए रूल्स में प्रावधान है और नीलाम में यह ध्यान रखा गया है कि केवल किसान ही भूमि खरीद सके और वह सीलिंग एरिया से अधिक न जा सके।

डॉ० चन्द्रकला : क्या मन्त्री महोदय को मालूम है कि भूमिहीन और हरिजन ऐसे व्यक्ति हैं कि जो पैसा देकर जमीन नहीं खरीद सकते हैं और नहीं ले सकते हैं तो फिर क्यों उनको भूमि से वंचित रखा जावे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह नहरी क्षेत्र की जमीन का सवाल है। दूसरी जगह उनसे कोई कीमत नहीं ली जाती है और अलॉटमेंट में उनको प्राथमिकता दी जाती है और काफी जमीन उनको अलॉट हुई है।

डॉ० चन्द्रकला : नहरी क्षेत्र में फिर यह भेदभाव क्यों रखा गया है ? क्यों उन लोगों को वंचित रखा गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वंचित नहीं रखा है। अलॉटमेंट केवल भूमिहीन किसानों को किया जाता है।

डॉ० चन्द्रकला : क्या उनसे कीमत नहीं ली जावेगी ?

श्री मुरलीधर व्यास : क्या विनोबाजी ने उस एरिया में उन लोगों को निःशुल्क जमीन देने की राय दी थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : ऐसी राय नहीं दी।

डॉ० चन्द्रकला : क्या हरिजनों को जमीन खरीदने के लिए लोन दिया जावेगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : नियम बने हुए हैं, और अधिकारी होंगे उनके अन्तर्गत तो लेंगे।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : क्या यह

Page No.15

(श्री लक्ष्मीचन्द)

सही है कि निर्धनों और हरिजनों को वह जमीन दी जाती है जिनसे कोई प्राप्ति नहीं होती है ?

श्री अध्यक्ष : डॉ० बहादुरसिंह ।

धौलपुर उप–जिले के हरिजनों द्वारा भवन निर्माण सहायतार्थ प्रस्तुत प्रार्थना-पत्रों पर कार्यवाही

१०५. डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या समाज कल्याण मंत्री उत्तर देने का कष्ट करेंगे :—

(१) धौलपुर उप जिले से कितने हरिजनों के प्रार्थना–पत्र इस वर्ष भवन निर्माणार्थ सहायतार्थ प्राप्त हुए ? सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत करें ।

(२) उक्त प्रार्थना पत्रों पर क्या क्या कार्यवाही की गई ? कितने अस्वीकृत किये और वह क्यों ?

(३) जो प्रार्थना पत्र विचारार्थ हैं उन पर कब तक अन्तिम रूप से विचार कर लिया जावेगा ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री रिखबचंद धारीवाल) : (१) इस वर्ष १९६१ में धौलपुर उप जिले में भवन निर्माणार्थ कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुए लेकिन ५९–६० में ७५ प्रार्थना–पत्र प्राप्त हुए थे, लेकिन धनाभाव के कारण सहायता नहीं दी जा सकी ।

(२) पंचायत समितियों को इस कार्य हेतु धन राशि दी गई है ।

(३) पंचायत समितियों से सहायता प्राप्त करना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल पुरोहित ।

सांगानेर और चाकसू तहसील के सिवाय चक के गोचर भूमि में परिणति के आदेशों पर कार्यवाही

१०६. श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट) क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार के ऐसे आदेश हैं कि गोचर भूमि यदि किसी ग्राम के पशुओं के अनुसार कम हो तो सिवाय चक से भूमि हस्तगत करली जावे ? क्या इस नियम के तहत कलेक्टर जयपुर ने सांगानेर और चाकसू तहसील के सिवाय चक से गोचर भूमि में परिणति करने के आदेश दे दिये हैं ! यदि हां, तो अब तक कार्यवाही क्यों नहीं हुई ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : जी हां, इस सम्बन्ध में आदेश सब तहसीलों को प्रचलित कर दिये हैं। कई तहसीलों से प्रस्ताव आने पर चारागाह निर्धारित की जा चुकी है । जिन ग्रामों में चारागाह कायम नहीं हुए हैं उनकी कार्यवाही जारी है ।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : चाकसू तहसील में तहसीलदार ने मनमानी करके बहुत से काश्तकारों को चारागाह अलॉट कर दी है, क्या यह सही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : चाकसू तहसील के लिए मेरे पास सूचना नहीं है। यदि माननीय सदस्य कोई खास सूचना देंगे तो आपको जानकारी दे सकूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

गंगानगर जिले में भाखरा उपनिवेशन कार्यालय द्वारा भूमि का नीलाम

१०७. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) [श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली) द्वारा पूछा गया] : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि गंगानगर जिले में भाखरा उपनिवेशन कार्यालय द्वारा भूमि का नीलाम किया जा रहा है? यदि हां, तो कब से और कितनी भूमि का व अब तक कितनी कीमत का नीलाम हो चुका है?

(ख) उक्त नीलाम में किस किस प्रकार के लोग भूमि खरीद सकते हैं?

(ग) क्या यह सही है कि इस नीलामी से गरीब किसानों को भूमि नहीं मिल सकती है, अतः केवल धनवान व्यक्तियों को ही भूमि मिल सकेगी?

(घ) क्या यह सही है कि जिले की जनता ने भी इसका काफी विरोध किया है?

(ङ) क्या सरकार अपनी इस नीति के सम्बन्ध में फिर से विचार करने का इरादा रखती है?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) जी हां, यह सही है कि भाखरा उपनिवेशन कार्यालय द्वारा सरकारी भूमि का नीलाम किया जा रहा है। नीलाम करने के लिए कुल ६३.६६६ बीघा कमान्ड व ७०.८३० बीघा अनकमान्ड रकबा था। जिसमें से ता० २४-१-६१ तक कुल ८,६,५६ बीघा २६,४०,८३३ रु० ३५ नये पैसे का नीलाम किया जा चुका है। यह नीलाम २३ मई, १९६० से शुरु हो गई थी।

(ख) राजस्थान कोलोनाइजेशन (भाखरा प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट लैंड अलॉटमेंट एन्ड सेल्स) रूल्स, १९५५ के तहत जो व्यक्ति हकदार पाये जाते हैं वे ही यह भूमि खरीद सकते हैं।

(ग) उक्त नियमों के अन्तर्गत भूमि खरीदने के लिए गरीब व अमीर सभी को समान अवसर हैं।

(घ) पूर्ण जनता के लिए तो यह बात नहीं कही जा सकती है। हां, किसान पार्टी के कुछ सदस्यों ने अवश्य इसका विरोध किया था।

(ङ) अभी कोई इरादा नहीं है।

श्री रामकरणसिंह : जहां कुछ किसान लोगों ने विरोध किया उसके लिये आपने कुछ विचार किया है?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां, जहां भी कुछ विरोध होता है उसके पक्ष और विपक्ष को ध्यान में रखकर विचार किया जाता है। यह जो निर्णय लिया गया सब सोच विचार कर लिया गया है।

श्री रामकरणसिंह : आपने प्रश्न के तीसरे भाग के जवाब में बताया है गरीब और अमीर सब खरीद सकते हैं। जहां आपने अमीरों के लिये छूट दे दी वहां यह मानी हुई बात है कि गरीब वहां पर खरीद नहीं सकता ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसलिये तो यह रखा गया है, कोई भी बोली लगा सकता है। बोली लगाने पर किसी को प्रतिबन्ध नहीं है। दूसरी बात, रेस्ट्रिक्शन इसमें इसलिये रखी गई है कि जो खेती करने वाले हैं वे ही खरीद सकते हैं। जहां तक भूमिहीन किसानों को भूमि देने का सवाल है, भाखरा एरिया का मेजर पोर्शन उनको दिया जा चुका है। यह केवल ५६ हजार बीघा जमीन बची है जिसको हम नीलामी द्वारा बेच रहे हैं। भूमिहीनों को जो अलॉट की गई वह करीब पांच लाख एकड़ भूमि है।

श्री रामकरणसिंह : जब आपने कई लाख एकड़ भूमि बिना नीलामी के भूमिहीन किसानों को दी है तो फिर इतनी थोड़ी भूमि आप नीलाम क्यों कर रहे हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जितने भी भूमिहीन किसान थे उन सब को अलॉट हो गई है और जो कुछ बचे हैं उनको राजस्थान नहर एरिया के अन्दर अलॉट होगी। ऐसी हालत में कुछ बची हुई जमीन है उसको बेचने का गवर्नमेंट ने निर्णय किया है नीलामी द्वारा क्योंकि आखिर सरकार को भी फाइनेन्सेज़ की जरूरत रहती है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : क्या अब भूमिहीन किसान कोई नहीं रहा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जब मैं कहता हूँ तो आपको मानना चाहिये जिनको भूमिहीन डिक्लेअर किया गया था उन सब को भूमि दी जा चुकी है और जो बच गये हैं उनको राजस्थान केनाल एरिया के अन्दर देने के ऑर्डर्स दिये जा चुके हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या भूमिहीन जितने भी हैं उनको सब को अलॉट कर दी गई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : That goes without saying.

श्री मुरलीधर व्यास : यह बिल्कुल गलत है।

श्री लादूराम सुलाणिया (दूदू—सु०) : क्या उनमें हरिजन भी थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : बहुत से थे।

पाली तहसील में मिले इन्डस्ट्रियल लोन का लोगों द्वारा दुरुपयोग

१०८. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) पाली तहसील में पिछले ३ साल में किन किन लोगों को कितना कितना इन्डस्ट्रियल लोन मिला है ? सूची सदन की मेज पर रखिए।

(ख) क्या यह सत्य है कि कई लोगों ने इन्डस्ट्रियल लोन लेकर भी उसका सही उपयोग नहीं किया है ? यदि हां तो सरकार उसके खिलाफ क्या कार्यवाही कर रही है ?

उद्योग मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (क) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री मूलचन्द डागा : क्या आपके कार्यालय द्वारा इन उद्योगों की जांच भी होती है या नहीं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी हां, पहले सेम्पल सर्वे कराया था। आपकी जानकारी के लिए निवेदन कर देना चाहता हूँ कि इसमें करीब ६० लाख रुपया लगा हुआ है जिसमें मिस युटिलाइज़ेशन के केसेज़ १ लाख ६० हजार के आये हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की गई है। इससे ज्यादा मिस युटिलाइज़ेशन के केसेज़ नहीं हैं। जिनके खिलाफ इस प्रकार की शिकायत आती है उनके खिलाफ कार्यवाही की जाती है।

श्री मूलचन्द डागा : विष्णु कलर इन्डस्ट्री पाली में है वह कौन सा रंग पैदा करती है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह तो आप ज्यादा बता सकते हैं।

जयपुर–पूर्व निरीक्षणालय द्वारा पुराने मैट्रिक अध्यापकों को मैट्रिक ग्रेड नहीं दिया जाना

१०६. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार को विदित है कि जयपुर–पूर्व निरीक्षणालय, शिक्षा विभाग ने पुराने मैट्रिक अध्यापकों को अब तक भी मैट्रिक ग्रेड नहीं दी है जब कि नई नियुक्तियां भी मैट्रिक ग्रेड पर की जाती हैं ? अगर हां, तो ऐसा क्यों ?

उप–मंत्री, शिक्षा : (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) जयपुर-पूर्व निरीक्षणालय के अधीनस्थ समस्त मैट्रिक पास अध्यापकों को मैट्रिक ग्रेड दी जा चुकी है।

श्री प्रभूलाल पुरोहित : लालसोट के बहुत से अध्यापकों को मैट्रिक ग्रेड नहीं दी गई है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जो ट्रेन्ड मैट्रिक हैं और जिनको मिडिल ग्रेड मिल रहा है उनको तो मैट्रिक ग्रेड दिया जा चुका है और जो मैट्रिक पास हैं और जिनको अनट्रेन्ड मैट्रिक पास का ग्रेड मिल रहा है उनके लिए जल्दी ही निर्णय लिया जायेगा।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : जहां ट्रेन्ड मैट्रिक का सवाल है और जिनको मिडल का ग्रेड दिया जा रहा है इनके बारे में कब तक फाइनल फैसला कर दिया जायेगा ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इस बारे में निश्चित तारीख नहीं दी जा सकती।

Page No.19

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : मैट्रिक हो या न हो, इसका सवाल नहीं लेकिन जो प्राइमरी स्कूल का टीचर है उसको जो न्यूनतम वेतन मिलना चाहिये वह मिलता है या नहीं ?

मुख्य एवं शिक्षा मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : निम्नतम वेतन जो तय होता है वह तो मिलता है।

डॉ० चन्द्रकला : जो नयी नियुक्तियां होती हैं उनमें तो उनको तो जो वेतन निर्धारित है वह मिल जाता है, किन्तु जो पहले से नौकर हैं वे उसी योग्यता के हैं, फिर भी उनका नये आने वाले अध्यापकों से नीचा वेतन स्तर है, इसका क्या कारण है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : आप किनके लिए कह रही हैं ?

डॉ० चन्द्रकला : जो ट्रेन्ड मैट्रिक हैं मिडल का ग्रेड दिया जा रहा है और जो नयी नियुक्तियां होती हैं उनको तो आप नये वेतन क्रम से नियुक्तियां करते हैं लेकिन जो पुराने हैं उनको अभी तक नया वेतन क्रम नहीं दे रहे हैं, इसका क्या कारण है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अभी जितनी पोस्ट्स हैं उनको तो दिया जा चुका है; इसके अलावा हम जो ट्रेन्ड मैट्रिकुलेट हैं उनको भी धीरे धीरे इसमें कनवर्ट कर रहे हैं।

राजस्थान पुरातत्वान्वेषण मन्दिर की जयपुर शाखा

११०. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) [श्री रामकरण सिंह (कोटपुतली) द्वारा पूछा गया] : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

[१] क्या यह सत्य है कि सरकार राजस्थान के विभिन्न नगरों में राजस्थान पुरातत्वान्वेषण मन्दिर की शाखायें खोलने में प्रयत्नशील है ?

[२] यदि नहीं, तो राजस्थान पुरातत्वान्वेषण मन्दिर की जयपुर शाखा कब किस आधार पर तथा किस आदेश से खोली गई तथा इस शाला में कितना स्टाफ कब से किस संबन्ध का कार्य कर रहा है ? कृपया इसकी तालिका सदन की मेज पर रखें।

उप मंत्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) जी हां।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

डूंगर कॉलेज, बीकानेर में राजनीति शास्त्र की स्नातकोत्तर कक्षायें खोलना

१११. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी): क्या शिक्षा मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) पिछले दो वर्षों में राजनीति शास्त्र को स्नातकोत्तर कक्षायें कहां कहां खोली गईं ?

(२) क्या डूंगर कॉलेज, बीकानेर में राजनीति शास्त्र की स्नातकोत्तर कक्षायें प्रारम्भ करने की कोई योजना निकट भविष्य में सरकार के पास है ?

(श्री मुरलीधर व्यास)

(३) यदि हां, तो वह कब तक कार्यान्वित हो जावेगी ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) राजनैतिक शास्त्र की पोस्ट ग्रेजुएट क्लास पिछले दो सालों से राजकीय कॉलेजों में गवर्नमेंट कॉलेज, अजमेर में खोली गई है।

(२) निकट भविष्य में डूँगर कॉलेज, बीकानेर में राजनैतिक शास्त्र की स्नातकोत्तर कक्षायें खोलने की कोई योजना नहीं है, क्योंकि सरकार स्नातकोत्तर कक्षायें अभी और कहीं नहीं खोलना चाहती है।

श्री मुरलीधर व्यास : इस प्रकार की कक्षायें गत वर्ष अन्य कॉलेजों में खोली गई हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैंने निवेदन किया गवर्नमेंट कॉलेज, अजमेर में खोली गई है।

श्री मुरलीधर व्यास : दूसरी जगह दूसरे कॉलेजों में नहीं खोलने के क्या कारण हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : दो रोज पहले आपके एक प्रश्न के उत्तर में निवेदन किया था, हमारी योजना है कि जिन सब्जेक्ट्स की पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज़ एक जगह खुल गई हैं उसकी कक्षायें दूसरी जगह खोलने का सरकार का इरादा नहीं है।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या राजनीति शास्त्र की शिक्षा वहां के विद्यार्थियों के लिए आप उपयोगी नहीं मानते हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह इसका मतलब नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : हर एक डिविजन में आप एक सब्जेक्ट रख दें जहां तक बीकानेर का सवाल है बीकानेर डिविज़न में तीन-चार जगहों पर कॉलेजेज़ हैं, लेकिन कहीं पर भी पोस्ट ग्रेजुएट की क्लासेज़ नहीं हैं। तो मेरा निवेदन है कि बीकानेर के डूंगर कॉलेज में आपको राजनीति शास्त्र की कक्षा खोलने में क्या एतराज है ? जहां तक बीकानेर का सवाल है राजस्थान बनने के बाद बीकानेर डिविज़न में कहीं भी पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज़ आपने चालू नहीं की ?

शिक्षा मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): पहले भी मैं इस बारे में निवेदन कर चुका हूँ कि पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज़ के खोलने के बारे में इस दृष्टि से देखा जा रहा है। जहां तक हो पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज़ खोलने का जिम्मा युनिवर्सिटी ले; इस ख्याल से इस प्रश्न को देखा जाता है। इसीलिए दूसरी जगहों पर नये सब्जेक्ट्स खोलने के बारे में अभी कार्यवाही नहीं की जा रही है। एक और कमेटी मुकर्रर कर रहे हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज की फेसिलिटीज़ के बारे में युनिवर्सिटी के साथ किसी प्रकार का सम्बन्ध हो; इस पर अपनी रिपोर्ट देगी, उसके बाद इस पर विचार किया जायगा।

श्री मुरलीधर व्यास : बीकानेर के अलावा दूसरी जगह तो खोली जाती हैं;

(श्री मुरलीधर व्यास)

उदयपुर, कोटा में खोला गया है। सोशियोलॉजी की कक्षा उदयपुर में चालू की गई है तो केवल बीकानेर में खोलने के बारे में क्या एतराज है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जैसा कि मैंने निवेदन किया कि पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज़ युनिवर्सिटी द्वारा खोली जायं, इस बारे में और सोच रहे हैं, कमेटी का भी निर्माण किया जा रहा है। वह इस बारे में सोचेगी कि युनिवर्सिटी के पास पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन हो और उसके लिए कहां कितनी सहूलियत हो सकती है, इस सारे प्रश्न पर ठीक तौर से विचार करेगी; उसके बाद कहां क्या विषय रखा जाय; उस पर अन्तिम रूप से विचार किया जायगा।

श्री मुरलीधर व्यास : आखिर सरकार ही तो युनिवर्सिटी को कह सकती है, क्या इस पर भी उनको कहा जायगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इन सारे प्रश्नों पर पूरी तरह से विचार किया जायगा।

बारां के निकट की बंगाली विस्थापितों की बस्ती की हालत सुधारना

११२. **श्री भैरोंसिंह :** (श्री माधोपुर) [श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली) द्वारा पूछा गया] :क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि बारां के निकट बंगाली विस्थापितों की बस्ती के एक सन्तोषकुमार की जलवाड़ा थाने के पास मृत्यु हो गई थी ?

(ख) क्या यह सही है कि संतोषकुमार को ४ दिन से खाना नहीं मिला था और इस कारण भूख से उसकी मृत्यु हुई ?

(ग) सरकार ने बंगाली विस्थापितों की इस गरीबी की हालत को ठीक करने के सम्बन्ध में अब तक क्या क्या कदम उठाये हैं और इन कदमों का इन विस्थापितों की हालत पर कैसा प्रभाव पड़ा है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (क) जी हां। बंगाली विस्थापित श्री सन्तोषकुमार की मृत्यु पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार सन–स्ट्रोक अथवा हृदय–गति के रुक जाने से हुई।

(ख) जी नहीं। श्री सन्तोषकुमार की मृत्यु भूख के कारण नहीं हुई, उपरोक्त पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट में बतलाया गया है कि मृतक ने अन्तिम बार खाना मृत्यु के ४ घंटे पूर्व खाया था।

(ग) सरकार द्वारा विस्थापितों की गरीबी हालत को सुधारने के लिए समय समय पर जो सहूलियतें दी गई हैं उनको व्योरेवार सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

जयपुर जिले में अध्यापकों के ट्रेनिंग स्कूल्स

११३. श्री **रामकरणसिंह** (कोट-

Page No.22

(श्री रामकरणसिंह)

पुतली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) जयपुर जिले में कितने स्कूल अध्यापकों को ट्रेनिंग देने के लिए कहां कहां पर हैं ?

(ख) कितने स्थानों पर स्कूल सरकारी भवनों में हैं व बाकी के कितने कितने किराये पर कितने दिन से चल रहे हैं ?

(ग) उक्त कौन कौन से स्कूल्स में सन् १९५९—६० में कब कब किन किन जिला स्तर से ऊपर के अधिकारियों ने निरीक्षण किया ?

(घ) क्या उन निरीक्षणों के आधार पर किसी स्थान में कोई कमी पूरी करने के विचार से कार्य हुआ है ? यदि हां, तो कहां कहां एवं क्या क्या ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) जयपुर जिले में निम्नलिखित ट्रेनिंग स्कूल हैं :—

१. परसरामद्वारा, जयपुर

२. पावटा ।

३. सामोद

४. अमरसर

५. गोनेर ।

६. जयपुर (महिलाओं के लिए)

७. शाहपुरा

८. सांगानेर ।

(ख) परसरामद्वारा, जयपुर, पावटा तथा गोनेर के स्कूल सरकारी भवनों में चल रहे हैं ।

जयपुर, सांगानेर तथा शाहपुरा में स्कूल जुलाई, १९६० से किराये के मकानों में चल रहे हैं । अमरसर तथा सामोद के स्कूल जुलाई, ५९ से जनता द्वारा दिये गये भवनों में चल रहे हैं । सिवाय सामोद स्कूल के जो कि ग्राम पंचायत द्वारा दी गई धर्मशाला में चल रहा है बाकी स्कूलों के भवनों के किराये निर्धारित करने की कार्यवाही एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर द्वारा की जा रही है ।

(ग) निम्नलिखित स्कूलों का उपाध्यक्ष, शिक्षा विभाग द्वारा निरीक्षण किया गया ।

१. पावटा, दि० २३-११-५९ को ।

२. सामोद, दि० १२-१-६० को ।

३. अमरसर, दि० २३-१-६० को ।

(घ) जी हां । १९५९—६० में जयपुर जिले में केवल पांच ट्रेनिंग स्कूल्स थे । इसमें से तीन स्कूलों का उपाध्यक्ष द्वारा निरीक्षण किया गया जिसमें पावटा स्कूल भवन की कमी पूरी कराने के लिए ६५,००० रु० के एस्टीमेट पी० डब्लू० डी० द्वारा बनाये जा चुके हैं । इस रकम को तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में मन्जूर करने को कार्यवाही की जायगी । परसरामद्वारा, जयपुर तथा गोनेर के स्कूल ठीक चल रहे हैं । अमरसर तथा सामोद में जनता की मांग तथा स्थान देने के आश्वासन पर स्कूल खोले गये थे । उनके मकानों को पूर्ण रूपेण सन्तोषजनक नहीं कहा जा सकता । इसलिये स्थानीय मकानों

Page No.23

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

को किराये पर लेकर उनकी पूर्ति कराने की चेष्टा की जा रही है।

कोटपुतली में कॉलेज की मांग

११४. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या कोटपुतली में कॉलेज बनाने की योजना के लिये सरकार ने कोई कदम उठाया है ? यदि हां, तो वहां पर कॉलेज कब तक खोल दिया जावेगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : इस वर्ष कोटपुतली में कॉलेज खोलने का सरकार का कोई इरादा नहीं है।

श्री रामकरणसिंह : क्या कारण है इरादा नहीं होने का ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जो बहुत सी जगह नहीं खोलने का कारण है वही यहां भी है।

श्री रामकरणसिंह : क्या यह सही है कि पिछली साल सरकार की तरफ से पत्र आया था और कुछ कन्डीशन्स के साथ खोलने का आश्वासन दिया था ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी हां। आप भी मिले थे।

श्री रामकरणसिंह : भवन बनाने की बात थी, भवन बनाने वाला तैयार है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : पर कोई आये वहां भवन बनाने वाला।

श्री रामकरणसिंह : क्या आप यह आश्वासन दे सकते हैं कि भवन बनाने वाला आ जावेगा तो बन जावेगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसका आश्वासन अभी नहीं दे सकता।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : बिना आश्वासन के भवन बनाने वाला सामने क्यों आवेगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अभी मैंने कहा कि अभी आश्वासन नहीं दे सकते। कौन सामने आता है, क्या शर्तें लाता है तब फिर पता चले।

प्रश्न संख्या ११५

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रान्त में खोला जाने वाला खाद का कारखाना

११६. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या राजस्थान में कोई खाद का कारखाना खोला जा रहा है ? अगर हां, तो कहां पर ?

(ख) इस कारखाने के लिये कुल कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी तथा इसके लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (क) जी हां। राजस्थान में हनुमानगढ़ में एक खाद का कारखाना खोले जाने का निर्णय ले लिया गया है।

(ख) इस कारखाने के लिये लगभग २५–३० करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी जिसके लिये वह पार्टी जिसको कि भारत सरकार लाइसेन्स प्रदान करेगी स्वयं व्यवस्था करेगी।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : वह पार्टी कौन है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : बाबूरामजी जैन।

श्री भीमसेन : कारखाने के बारे में पिछले पांच-छः वर्षों से सुन रहे हैं, पर हम यह जानना चाहते हैं कि वास्तव में प्रोडक्शन कब से शुरू होगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अभी तक तारीख तो नहीं कह सकता, पर पहले जो कहते थे और आज जो कह रहे हैं उसमें इतना अन्तर है कि इस वक्त तक पार्टी को लाइसेन्स मिल चुका है; इतना बड़ा अन्तर पड़ा है।

पाली में निर्मित होने वाला कॉलेज

८८. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(क) पाली में कॉलेज का भवन किस स्थान पर बनाने का निर्णय किया गया है ?

(ख) क्या यह सत्य है कि इस भवन निर्माण में श्री बांगड़ सेठ आर्थिक सहायता देंगे ? यदि हां, तो कितनी ?

(ग) क्या सरकार भी अपनी ओर से इस कॉलेज भवन के लिये धन–राशि खर्च करेगी ? यदि हां, तो कितनी ?

(घ) सरकार पाली में कॉलेज कब से प्रारम्भ करने का विचार रखती है ?

उप मन्त्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) पाली में कॉलेज भवन पाली—सोजत—अजमेर रोड पर कलेक्टर के बंगले से करीब आधा मील दूरी पर बनाने का निश्चय किया गया है।

(ख) जी हां। दो लाख रुपये।

(ग) इस भवन में करीब तीन व साढ़े तीन लाख रुपये खर्च होंगे जिसमें दो लाख के अतिरिक्त शेष सारी धन–राशि राज्य की ओर से खर्च होगी।

(घ) यदि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा, आठ कमरे जून ६१ तक तैयार कर दिये गये तो जुलाई ६१ में कॉलेज कक्षायें खोल दी जायंगी। यदि उस समय तक कॉलेज भवन तैयार नहीं हुआ तो फिर जुलाई ६२ में कॉलेज कक्षायें खोली जा सकेंगी।

श्री मूलचन्द डागा : कब तक खोल दी जावेगी, अगर उस वक्त तक तैयार नहीं हुआ तो ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जुलाई ६२ में खोली जा सकेगी।

श्री मूलचन्द डागा : सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कमरों के बनाने का कार्य शुरू हुआ या नहीं ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : वह तो आपको ज्यादा जानकारी होगी। पर इसमें ऐसा लगता है, स्टे आ गया है। पत्थर—वत्थर डाले थे।

श्री मूलचन्द डागा : स्टे—विस्टे तो नहीं आया।

प्रश्न संख्या ६२

श्री अध्यक्ष : श्री किशनाराम।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६३

श्री भैरवलाल 'कालाबादल'।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६८

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

श्री रामकरणसिंह : ६८ का जवाब दिलवा दिया जावे।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह।

बम्बई सरकार द्वारा नाथद्वारा मन्दिर सम्पत्तियों की रजिस्ट्रेशन से छूट

६८. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) [श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली) द्वारा पूछा गया] : Will the Minister for Devasthan be pleased to state:—

1. Is it a fact that the Rajasthan Government made a request to the Government of Bombay for exempting the Nathdwara Temple properties in Bombay from registration with the Charity Commissioner, Bombay ? If yes, why ? A copy of the letter written in this behalf may please be laid on the Table of the House.

2. Has the registration of these properties been exempted by the Government of Bombay ? If so, when ?

देवस्थान मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (1) A copy of the letter has been placed on the Table of the House. This letter contains reasons for making a request to the Bombay Government.

(2) The request has not been acceded to.

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर): अध्यक्ष महोदय, ६६ का भी जवाब दिलवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या ६६।

राज्य सेवा में प्रवेश हेतु मैट्रिक तक के हिन्दी विषय को मान्यता

६६. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

(जौहरी बाजार, जयपुर) [श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली) द्वारा पूछा गया] : Will the Chief Minister be pleased to state:—

(1) Is it a fact that for the purposes of recruitment to and entry into Government services the Government of Rajasthan does not recognise the passing of Hindi subject in Matric from a University situated in non-Hindi speaking areas as equal to passing of Hindi subject in Matric of a University situated in a Hindi-speaking area ? If yes, why ?

(2) Is the Government aware that in Universities situated in non-Hindi speaking areas, Hindi is an optional subject in Matric, while in the Universities situated in Hindi-speaking areas it is a compulsory subject in Matric ?

(3) Is it a fact that the standard of an optional subject is always higher than the standard of a compulsory subject ?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (1) No, for the purposes of recuritment to and entry into Government services, no distinction is made on the grounds of the candidates having passed from Hindi or non-Hindi speaking areas.

(2) Yes. In non-Hindi speaking areas Hindi exists as one of the second Indian or modern Indian or alternative Languages as well as an optional subject but it is not compulsory for a candidate to offer it under either of them. In Hindi speaking areas it is a compulsory subject at the High School standard and also kept as optional for those who want to have wider and intensive study.

(3) Yes.

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : तो क्या सरकार यह मानती है कि जो हिन्दी एरिया में कक्षाएं हैं वहां पर हिन्दी का जो अनिवार्यपना है उसका स्तर कम है, बनिस्पत दूसरी जगहों के जहां हिन्दी ऐच्छिक है ? दोनों में फर्क है क्या ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं समझता हूँ कि प्रश्न (३) का उत्तर मैं दे चुका हूँ।

प्रश्न संख्या १०१

श्री अध्यक्ष : श्री लादूराम सुलाणिया।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ११५

श्री रामकिशन ।

तहसील नोहर में कोलोनाइजेशन विभाग द्वारा अस्थायी रूप से आवंटित भूमि

११५. श्री रामकिशन (नोहर) [श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) द्वारा पूछा गया]:—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(श्री रामकिशन)

(१) नोहर तहसील में कोलोनाइज़ेशन विभाग द्वारा गत वर्ष कितनी भूमि अस्थायी रूप से अलॉट की गई है ?

(२) उक्त अलॉटमेंट में कितनी भूमि भूमिहीन काश्तकारों को दी गई है ?

(३) क्या ऐसे नाबालिगों के नाम भी अलॉटमेंट हुई है, जिनके संरक्षकों के पास काफी भूमि पहले से ही है ?

(४) यदि हां, तो इस तरह गलत अलॉटमेंट के बारे में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) गत वर्ष नोहर तहसील में इस विभाग द्वारा कुल २८,४६६ बीघा भूमि अस्थायी रूप से अलॉट की गई है ।

(२) उक्त अलॉटमेंट में से १३,८६६ बीघा भूमि भूमिहीन काश्तकारों को दी गई है ।

(३) किसी ऐसे नाबालिग को रकबा अलॉट किया जाना नहीं पाया गया ।

(४) उत्तर ३ को देखते हुए इसका प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री मुरलीधर व्यास : नम्बर २ में जो आपने कहा है कि भूमिहीनों को अलॉट की गई है तो क्या यह सत्य है कि ६६ पर्सेन्ट ऐसे लोगों को भी भूमि दी गई जिनके पास भूमि पहले से थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : भूमिहीनों की परिभाषा में जो लोग आते हैं उनको दी। भाखरा अलॉटमेंट के रूल्स हैं जिसमें वे लोग भी भूमिहीनों की परिभाषा में आ जाते हैं जिनके पास जमीन एक स्टेन्डर्ड से कम है। इस तरह १३,८६६ बीघा भूमि तो भूमिहीनों को दी गई और बाकी की जमीन उस कम जमीन की पूर्ति करने के लिए अलॉट की गई है जो कि भाखरा अलॉटमेंट रूल्स की तारीफ में भूमिहीनों में आते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या यह सही है कि जिनके पास बहुत काफी भूमि पहले से थी उनको भी भूमि दी गई और जो इस तारीफ में नहीं आते ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरा अर्ज करना यह है कि आपका कहना सत्य हो सकता है, ठीक हो सकता है, जहां हजारों अलॉटमेंट हुए हों उनमें कहां क्या हुआ; यह मैं कुछ नहीं कह सकता जब तक कि आप कोई स्पेसिफिक केस के बारे में न पूछें। अगर स्पेसिफिक केस के बारे में पूछें तो मैं अच्छी तरह कह सकता हूँ। मेरे नोटिस में ऐसा कोई स्पेसिफिक केस नहीं है कि ज्यादा जमीन वालों को भी अलॉट की गई।

श्री मुरलीधर व्यास : स्पेसिफिक केस तो अभी नहीं रख सकता। पर इस प्रकार के केसेज़ अगर आपके सामने रखे जावें कि जो भूमिहीन भी नहीं हैं और छोटी होल्डिंग वाले भी नहीं हैं पर फिर भी उनको अलॉट हुई है तो क्या सरकार उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करेगी ?

Page No.28

श्री दामोदरलाल व्यास : That goes without saying that if anything comes to my notice, action will be taken.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

(१२.५० म० प०)

आबकारी तथा कर विभाग की अधिसूचना (सदन की मेज पर रखना)

श्री रामचन्द्र चौधरी (आबकारी तथा कर मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं आबकारी तथा कर विभाग की अधिसूचना संख्या एफ ५ (४०) ई. एण्ड टी. ६० दिनांक १ अक्टूबर, १९६० को जिसके द्वारा राजस्थान बिक्री कर नियम, १९५५ में संशोधन किये गये हैं, सदन की मेज पर रखता हूँ।

मारवाड़ विवाह निधि प्रशासन विधेयक, १९६० (प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन)

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मारवाड़ विवाह निधि प्रशासन विधेयक, १९६० पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूँ।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेतर वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेतर वाद-विवाद।

(विराम)

श्री तनसिंह।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सामने इन भाषणों के द्वारा जो आशा बंधाई जाती है और जो तथ्य सामने रखे जाते हैं जिनमें मूलतः हमारी आमदनी बढ़ाने और अन्न की पैदावार बढ़ाने की बातें बताई जाती हैं। उनका आधार एक तो जमींदारी और जागीरदारी प्रथा का खात्मा है, दूसरे नहरों का निर्माण और तीसरे फर्टीलाइज़र वगैरह के प्लान्ट्स वगैरह लगाना इत्यादि, इत्यादि। कहने का अभिप्राय यह है कि कितना जोर इन बातों की तरफ दिया जाता है। हमारे यहां पर ८० प्रतिशत जनता खेती करती है और राज्य की अधिकांश प्रवृत्ति इस ओर है कि किसी भी प्रकार हो इस अन्न की उपज बढ़े। दूसरे तथ्यों के अभाव में जो सरकार के स्वयं के प्रकाशित तथ्य हैं, उनके आधार पर ही कुछ तथ्य मैं आपके सामने रखता हूँ। हमारे राज्यपाल महोदय ने बताया है कि इस बार ८.१२ लाख टन के बजाय कुल १२ लाख टन पैदावार बढ़ जायेगी। यह हो सकता है कि पैदावार बढ़ गई और शायद इसका अनुमान है, लेकिन हो भी सकती है। पैदावार बढ़ भी जाये लेकिन दर असल में देखने की चीज़ यह है कि हमारी जो जमीन है और उसकी जो औसतन पैदावार होती है उसमें क्या प्रगति हुई है? आपने नहरें बनाई हैं, खेतों में खाद वगैरह डलवाते हैं और नये तरीके भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे तथ्य बताता हूँ जिनसे मालूम होगा कि उत्पादन हमारा औसतन बढ़ा नहीं है बल्कि घटा है। कुछ आंकड़े जो कि राजस्थान सरकार द्वारा डाइरेक्टोरेट ऑफ इकोनोमिक्स एण्ड स्टेटिस्टिक्स के द्वारा प्रकाशित हुए हैं सन् १९६० में उसके अन्दर जो एवरेज ईल्ड बताई हैं, वह मैंने कुल मिलाकर जितने भी अनाज हैं उनका जोड़ लगा कर वर्क आउट किया है। उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि

(श्री तनसिंह)

१९५४–५५ में जहां एवरेज ईल्ड पर–एकड़ ४४४ पौंड था वहां १९५५–५६ में ६४४ पौंड हुई, १९५६–५७ में वह घटकर ५८५ पौंड रही और १९५७–५८ में ४९३ पौंड हो गई। इससे मेरा अर्ज करने का मतलब यह है कि जो हमारी जमीन आज से चार, पांच या छः साल पहले पर एकड़ पैदा करती थी आज उससे कम करती है। १९५४–५५ में जमीन पर एकड़ ईल्ड करती ४४४ पौंड और आज उसके अनुपात में १९५७–५८ में आंकड़ों के अनुसार ४९३ पौंड हो गई। वैसे इसमें प्रकाशित आंकड़े १९५८–५९ के लिए प्रकाशित किये हैं। वह ६४१ पौंड हो जायेगी, लेकिन वह भी अनुमान ही है, कोई सर्वेक्षण करके नहीं बताये हैं। ये कोई सही आंकड़े नहीं हैं। उनका अन्दाजा ही केवल मात्र लगाया गया है कि ६४४ पौंड पर एकड़ ईल्ड होगी। लेकिन जो आज हमारे सामने पिक्चर है वह यही है कि जो हमारे सामने पर एकड़ ईल्ड है वह बजाय बढ़ने के इन्हीं आंकड़ों के अनुसार घटती जा रही है। इसके अलावा यही बात हम तिलहन के बारे में भी कह सकते हैं कि इस बार ७६ हजार टन का उत्पादन होगा जब कि योजना के अनुसार ४० हजार टन का अनुमान किया गया है। अब तिलहन की स्थिति भी इसी प्रकार है और इसका जो प्रोडक्शन का एवरेज है वह और भी ज्यादा निराशा-जनक है। तिलहन का उत्पादन १९५४–५५ में ४०३ पौंड था वह १९५५-५६ में ४०५ पौंड हुआ और १९५६–५७ में ३२८ पौंड हुआ और १९५७–५८ में जाकर २९७पौंड हो गया। यह भी ३१८ पौंड १९५८-५९ में एस्टीमेट किया गया था। लेकिन जो तथ्य आये हैं वे यह हैं कि जहां १९५४–५५ में ४०३ पौंड की उत्पादन–क्षमता थी वह १९५७–५८ में जाकर २९७ पौंड हो गई। तो यह मैंने तिलहन के बारे में आंकड़े सदन के सम्मुख प्रस्तुत किये।

आपने जो विदेशी मुद्रा का जिक्र किया है कि हम एक्सपोर्ट करते हैं और यह भी बात तथ्यों से सिद्ध नहीं होती। असली बात तो यह है कि राजस्थान में घी तक का आयात होता है। जब मैंने पहली ही पहली बार सरकार के आंकड़े देखे तो मुझे आश्चर्य हुआ कि राजस्थान, जिसके अन्दर घी का सबसे अधिक उत्पादन होता है और बाहर भेजता है और जिसके शुद्ध घी की बड़ी पैठ हो सकती थी उसी राजस्थान में घी का भी आयात होता है।

अब मैं आपके सामने आंकड़ों से निवेदन करूंगा। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट मिलाकर नैट जो स्थिति रहती है उसके मुताबिक हमारे यहां पर घी भी बाहर से आया है....

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : डालडा आया होगा ?

श्री तनसिंह : डालडा नहीं, घी आता है। तो जो कुल मिलाकर घी आया है वह १५५९ मन आया है। यह आंकड़े हैं १९५८-५९ के। तो हमारे यहां से २७३९ मन घी तो बाहर से आया है और हमारे यहां से गया है ११९८ मन। तो इसका मतलब, कुल मिलाकर स्थिति यह रहती है कि १५५९ मन बाहर से हमारे राजस्थान में आया। जहां तिलहन की बात है तो तिलहन में भी जो जो

(श्री तनसिंह)

चीजें निर्यात की गई हैं उनको आप देखेंगे तो मालूम होगा कि इरेन्डी हमारे यहां पर ६६६ मन आई है। कॉटन सीड बाहर से आया है १६ लाख ८५ हजार मन । इसी तरह से तिल हमारे यहां पर ३२५०६ मन बाहर से आया है । उसी तरह से कैस्टर ऑइल भी ७३१ मन आया है। ग्राउन्ड–नट भी करीब ३ लाख ६२ हजार मन आया है। तो मुझे तो समझ में नहीं आता कि हमारी स्थिति तो वास्तव में यह है कि जहां हम बाहर भेजते हैं और विदेशी मुद्रा की बातें करते हैं; लेकिन वास्तव में आंकड़े यह बताते हैं कि बाहर भेजने के बजाय बाहर से हम ज्यादा मंगाते हैं। यह तो उत्पादन की स्थिति है।

यह थोड़ा सा फैशन बन गया और बना रहेगा। १६५१ या ५२ में जागीरें समाप्त हुई और १६५४ में उसको अन्तिम रूप दिया गया और फिर १६५६–५८ में आखिरी रूप में निर्णय हो चुका। आज से २ साल पहले राज्यपाल महोदय कहते हैं कि अब कोई जमीन ऐसी नहीं बच रही कि जो कि जागीदार के नीचे हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें केवल एक राजनैतिक लाभ होने के कारण इस पैरेग्राफ को हर अभिभाषण में दोहराया जाता है। लेकिन मैंने देखा है कि आमतौर से जितने भी पहले के अभिभाषण हैं और इस बार के भाषण में ऐसा रिद्म मिला हुआ है कि जैसे वही चीजें जो पिछले साल हुई थीं और उससे पहले हुई थीं, सारी की सारी बातें थोड़े रूप में इधर–उधर घुमाकर कही गई हैं। थोड़ा सा तथ्य मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करूंगा कि हमारे यहां पर इस वर्ष के भाषण के पेज १४ पर लिखा गया है, नैटल कॉर्पोरेशन ऑफ इन्डिया ने उदयपुर में जिंक स्मेल्टर की स्थापना के सम्बन्ध में सभी औपचारिकता पूरी कर ली है और आशा है कि निर्माण-कार्य जल्दी ही शुरू हो जायेगा और आज से दो साल पहले इसी जिंक स्मेल्टर के सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में लिखा हुआ है, भारत सरकार ने हमें अपना यह फैसला भेजने की सूचना दी है कि उदयपुर में बहुत जल्दी जस्त गलाने का एक कारखाना खोला जायेगा। तो आज से दो साल पहले तो फैसला भेजने की सूचना भारत सरकार ने दी लेकिन आपके यहां पर कारखाने खोले जायेंगे और पिछली साल भी कुछ कहा ही होगा। इस साल इतनी तरक्की हुई है कि औपचारिकता पूरी हो गई है और आशा है कि जल्दी ही काम शुरू हो जायगा। दो साल तक पूछताछ की गई और दो साल में अब तक केवल फॉर्मेलिटीज ही पूरी हुई हैं और अब अन्दाज यह है कि काम पूरा हो जायगा। हनुमानगढ़ फर्टिलाइज़र फैक्ट्री के बारे में भी बराबर जिक्र चला आ रहा है। दो साल पहले उन्होंने भाषण दिया था उसमें बताया था :—

"चूंकि इसके लिए भारत के प्रत्येक कृषि क्षेत्र में कम से कम एक फर्टिलाइज़र फैक्ट्री की जरूरत होगी और चूंकि राजस्थान नहर के द्वारा सिंचाई का क्षेत्र बहुत बढ़ जायेगा इसलिये यह पूरी उम्मीद की जाती है कि भारत सरकार ने नई फर्टिलाइज़र फैक्टरियां कायम करने के लिये उचित स्थान नियत करने के लिए जो कमेटी मुकर्रर की है, वह हनुमानगढ़ में भी वैसी फैक्टरी कायम करने की सिफारिश जरूर करेगी। राजस्थान सरकार

(श्री तनसिंह)

इस बारे में भारत के एक उद्योगपति से भी बातचीत कर रही है ।"

बच्चा पैदा नहीं हुआ उससे पहले ही नाम दे दिया और यह आशा करने लगे कि वह बड़ा बहादुर होगा, परम चक्र और महावीर चक्र हासिल करेगा । इसी तरह से हनुमानगढ़ की फैक्टरी के बारे में भी कह दिया कि जो कमेटी मुकर्रर की गई है वह हनुमानगढ़ में फर्टिलाइज़र फैक्टरी खोलने के लिये सिफारिश करेगी और उसके लिये एक उद्योगपति से भी बातचीत शुरू कर दी थी । इस साल के अभिभाषण में इस फैक्टरी के बारे में यह कहा गया है कि हनुमानगढ़ में एक फर्टिलाइज़र फैक्ट्री को स्थापना के लिये शीघ्र ही लाइसेन्स दिया जाने वाला है । शायद यह लाइसेन्स दे दिया गया होगा क्योंकि अभी एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि लाइसेन्स दे दिया है । दो साल में इतनी प्रगति हुई कि कमेटी बनी, उसने सिफारिश की कि ऐसी फैक्ट्रीज़ कहां कहां खोली जानी चाहिये । बातचीत और सिफारिश में काफी समय लग गया । लेकिन इसमें उत्पादन शुरू होगा तब तक नहर शायद सूख जायगी या नहरी पानी समझौते के आधार पर भाखरा नहर में शायद पानी मिलना बंद हो जायगा । इन कार्यों से प्रभावित होकर ही क्या हम सरकार की सराहना करें या भविष्य में किये जाने वाले कार्यों के लिये उसे धन्यवाद दें ?

इसी तरह से पलाना लिग्नाइट प्रोजेक्ट तथा डूंगरपुर जिले में मन्डाओं की पाल में फ्लूरोस्पार प्रोजेक्ट को सार्वजनिक (राज्य सरकार) क्षेत्र के अन्तर्गत सम्मिलित करने का निश्चय किया गया है । आज से दो साल पहले यह कहा था कि डूंगरपुर जिले में फ्लूरोस्पार जो स्टील तथा एलीम्युनियम उद्योग के लिये एक अत्यन्त महत्वपूर्ण खनिज है बड़ी मात्रा में मिला है । दो साल पहले मिले हुए खनिज पदार्थ के बारेमें क्या तरक्की हुई ? दो साल पहले मिला या मालूम हुआ और दो साल बाद यह निश्चय किया है कि इसे सरकारी क्षेत्र में लिया जाय या हमारी उस पर मोनोपोली कर ली जाय । मैं समझ नहीं सका कि हम किस प्रकार की तेज गति से विकास का कार्य कर रहे हैं और रुपये खर्च कर रहे हैं ? रुपये की आमदनी के लिये जो महत्वपूर्ण साधन हैं वे या खानें हो सकती हैं, या उत्पादन हो सकता है या लैंड रेवेन्यू है । इन सब की ओर हमारा ध्यान केवल इतना ही है कि हम दो साल में इतना ही कर सके कि हमने इनके लिये सार्वजनिक क्षेत्र अलॉट किया और अब जल्दी ही काम शुरू करने वाले हैं लेकिन वास्तविक रूप में कब काम शुरू होगा, इसके बारे में अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता ।

अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को ले लीजिये । सहकारिता की बड़ी तारीफ की गई है । कितनी ही संख्या बताई गई है उसको गिनाना ही मुश्किल है । लेकिन इस बात से इन्कार नहीं कर सकते कि राजस्थान में सैकड़ों ही ऐसी संस्थाएं हैं जिनके लिये एक ही आदमी ने अंगूठे करवाये हैं या स्वयं ने किये हैं या बिना सोचे-समझे करवाये हैं । ऐसी लगभग ५०० संस्थाएं हैं जिनको बोगस संस्थाएं माना गया है और स्वयं सरकार ने उनको बोगस मान कर कैंसिल किया है ।

(श्री तनसिंह)

लेकिन ऐसी बोगस संस्थाएं बनाने वालों के खिलाफ कोई आवश्यक कार्यवाही नहीं की गई है। बोगस संस्थाओं से और कोई मतलब नहीं निकल सकता, या तो उन्होंने दूसरों के दस्तखत करवाये हैं, या जाली नाम रख कर पैसे लिये हैं, या दस्तखत सही भी होंगे लेकिन उनको बताया नहीं और पैसे ले लिये। एक आदमी को धोखा दे सकते हैं, कुछ लोग धोखा दे सकते हैं, लेकिन सारा का सारा कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट जो इन सब पर निगरानी रखता है वह कैसे धोखा खा गया? कोऑपरेटिव विभाग के इन्सपेक्टर के सामने हस्ताक्षर किये जाते हैं तब फिर राजस्थान में बोगस संस्थाएं कैसे बन गईं और यदि बन गईं तो उसके नेचुरल आस्पेक्ट निकलते हैं और ऐसी हालत में उन इन्सपेक्टर्स के खिलाफ क्यों नहीं कार्यवाही की गई जिनके सामने हस्ताक्षर होने चाहिये थे? यह ठीक है कि आप कोऑपरेटिव मूवमेंट को प्रोत्साहन देना चाहते हैं। लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि आप बेईमानी करने वालों को प्रोत्साहन दें। फोर्जरी करना एक नैतिक अपराध है और यह नैतिक अपराध ही माना जाना चाहिये। उनको सहयोग देने वाले कोऑपरेटिव विभाग के इन्सपेक्टर्स भी हों तो उनको कानून के हवाले करना चाहिये।

इसी प्रकार से सबसे बड़ी एक और भी बात बताई गई है: हाथ कर्घे के कपड़े और खादी के उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से सुधार हुआ है। दोनों का कुल उत्पादन १०८.३२ लाख गज से बढ़ कर १४०.४० लाख गज हो गया है। ऊनी खादी के उत्पादन में लगभग ५० प्रतिशत वृद्धि हुई है। अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो हम बड़े जोर से कहते हैं कि जमाना बदल रहा है और इसमें औद्योगीकरण होना जरूरी है, उत्पादन के क्षेत्र में विकास होना जरूरी है, साधनों का विकास होना जरूरी है। एक तरफ हम आकाश पार करके चांद, तारों और सूरज तक पहुंचना चाहते हैं और दूसरी ओर हम धरती के नगण्य क्षेत्र में टांग रखना चाहते हैं। कोई बता सकता है क्या कि हाथ कर्घा और हाथ की बनी खादी की ओर आपका आकर्षण क्यों है? ज्यादा से ज्यादा यह कहा जा सकता है कि यह कुटीर उद्योग है, साधारण लोगों को काम करने का मौका मिल सकता है। लेकिन यह कुटीर उद्योग क्या है? इस सारे मामले की जांच की जाय तो मालूम होगा कि सरकार की ओर से खुले रूप में सदाव्रत चल रहा है और उससे कबूतर पल रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। खादी बोर्ड रियायत देता है संस्थाओं को। खादी बोर्ड सेन्टर को संस्था है और जितनी खादी उत्पादन करने वाली संस्थाएं हैं उनको कमीशन मिलता है। यह बिल्कुल स्पष्ट और सर्व विदित बात है कि वे लोग रेट बढ़ा कर कमीशन भी हड़पते हैं और ग्राहकों से भी पैसा लेते हैं। जितने लोन की हमने सिफारिश करके संस्थाओं को दिलाया है उनका सदुपयोग हुआ या नहीं; इसकी जांच किस प्रकार होती है, कौन करता है? जो खर्चा होता है वह कंसोलिडेटेड फंड में से होता है। तब तो हम समझते हैं कि अकाउन्टेन्ट जनरल निरीक्षण करवा लेते हैं जिनकी रिपोर्ट आती है। लेकिन ऐसी संस्थाओं को जिनको सरकार से अनुदान मिलता है, लेकिन जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं है वे पैसों का सदुपयोग करते हैं या नहीं,

(श्री तनसिंह)

इसकी जानकारी होनी चाहिये। नतीजा यह होता है कि एक ओर जहां साधारण लोगों को खादी उत्पादन करके रोजगार देने की बात करते हैं वहां ऐसे लोग भी हैं जो खादी जैसी चीज़ पर धब्बा लगाते हैं और पैसों का ठीक तरह से उपयोग नहीं करते हैं। एक ओर हम औद्योगीकरण करना चाहते हैं, बड़ी बड़ी फैक्टरीज़ चलाना चाहते हैं और दूसरी ओर हमारी प्रवृत्ति जाती है या तो तेल घाणियों की ओर या हमारे छोटे मामूली उद्योगों की ओर। हमारा निश्चित मत होना चाहिये, कुछ टार्गेट होना चाहिये। सरकार कितने लघु उद्योग खोलना चाहती है और धन का कितना अनुपात इसके लिए रखा है और किस प्रकार कितने वर्षों में औद्योगीकरण करना चाहते हैं? यदि हमारी यह नीति है कि हमारे राज्य में हम पूर्ण रूप से औद्योगीकरण करना चाहते हैं, औद्योगिक उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं इन तरीकों से तो, आप जितना रुपया खर्च करते हैं उतना उत्पादन नहीं कर सकते। आपको व्यापारिक दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है, वह दृष्टिकोण भी हो कि रोजगार मिलना चाहिये, यह मानवीय दृष्टिकोण होना चाहिए। लेकिन इसमें इतना नहीं बहना चाहिये कि आप कर्ज पर कर्जा चढ़ाते जायं, आपकी आर्थिक स्थिति निर्बल बनती रहे और हमेशा सेन्ट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिये गये कर्ज के आधार पर पेट भरते रहें। यह स्थिति शोभनीय नहीं हो सकती। अगर स्वयं राज्य अपने पैरों पर खड़ा नहीं होगा तो भारत सरकार से कर्जा लेना होगा और साथ ही उतना भय जनता को बना रहेगा टैक्सेशन का और इस प्रकार से अनियोजित खर्चा होने के कारण अनियोजित टैक्स लगेंगे।

अब एक बात राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद का जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया उसके समर्थन में एक माननीय सदस्य ने बताई थी कि हमारी सरकार इस समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठा रही है– एक ऐसा कानून पास कर रही है जो वास्तविक रूप में गांव के लोगों के लिए हितकारी होगा और वह कानून है कर्जा निवारण कानून। लेकिन माननीय सदस्य को यह मालूम नहीं है और अगर मालूम होगा तो उन्होंने स्पष्टीकरण नहीं किया कि जो कर्जा निवारण का कानून है........

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : वह पहले बन चुका है।

श्री तनसिंह : कर्जा निवारण तो उन्होंने कहा। मनी लैन्डर्स कहना चाहिये।

तो मनी लैन्डर्स बिल पेश हो रहा है, ऐसा उन्होंने बताया था। तो यह है तो अच्छी चीज़, लेकिन यह चीज़ आज से कई वर्ष, पांच सात वर्ष पहले पिछली असेम्बली में पास हो चुकी है ....

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : पास हो चुकी है ?

श्री तनसिंह : मैं निश्चित रूप में नहीं कह सकता। बिल तो आया था........

श्री दामोदरलाल व्यास : पेश हुआ था।

श्री तनसिंह : तो खैर, पास तो नहीं

(श्री तनसिंह)

हुआ, बिल के रूप में रहा है। १९५७ से लेकर १९६० तक इस बिल को दबाये बैठे रहने से क्या लाभ हुआ? वैसे तो मैंने स्वयं प्राइवेट मेम्बर की हैसियत से यह बिल १९५५–१९५६ में पेश किया था। लेकिन प्राइवेट मेम्बर के बिल्स की स्थिति यह रहती है कि आप जाकर गवर्नर की सेंक्शन लाओ, प्रेसीडेन्ट से सेंक्शन लाओ। इन पचड़ों में हमारे से पड़ा नहीं गया। यह भी कहा गया कि इसका ट्रान्सलेशन कराओ। तो एक तो मुश्किलात से बटोर बटोर कर कुछ चीज़ लायें, फिर उनका ट्रान्सलेशन करवायें और वह भी ऐसा जो कानून के रूप में सही हो, फिर जाकर गवर्नर या प्रेसीडेन्ट से सेंक्शन लाओ, यह सब मुश्किल का काम है। यह कह दिया था कि राज्य सरकार अपनी तरफ से बिल पेश कर रही है, तो सोचा कि यह नोटिस देना ही पर्याप्त होगा। तो सरकार की ऐसी मन्शा थी कि मनी लैन्डर्स बिल पेश हो। वह पेश नहीं होता तो समझते कि इस सम्बन्ध में सरकार का ध्यान नहीं है। लेकिन सरकार ने स्वयं १९५७ या १९५७ के पहले बिल पेश कर दिया था। उसके बाद दूसरी असेम्बली आ गई थी। तो तीन–चार साल तक बिल को रखे रखने में क्या अभिप्राय हो सकता है? हम यह सोच सकते हैं कि इसमें कोई कानूनी विचार की बात होती तो सोचने–समझने में समय लग सकता था। इस पर विचार तो कर लिया था, बिल पहले आ चुका था। इतना महत्वपूर्ण कानून था, अगर सच पूछा जाय तो वास्तविक राहत लोगों को इससे मिल सकती है। कितने ही लोग लोगों को चूस चूस कर उनका रुपया खाते हैं और लोगों से पैसा ठगा जा रहा है। इसलिए यह कहना चाहिए कि इस बिल से वास्तविक रूप में सहायता मिल सकती है। वे कह रहे हैं कि यह बिल अच्छा है, यह आना चाहिए। मैं स्वयं भी इसका समर्थक हूँ, लेकिन जब धन्यवाद देने जा रहे हैं, तो साधुवाद इस बात पर नहीं देना चाहिए बल्कि यह कहना चाहिए कि आज से पहले इसे क्यों नहीं रखा, जब कि इसका निश्चित तौर पर महत्व था?

इसके बाद शिक्षा के क्षेत्र के बड़े बड़े आंकड़े दिये गये हैं। एक अध्यापक वाले ७ हजार प्राथमिक स्कूल खोले गये, १७६ मिडल स्कूल खोले गये हैं। इन आंकड़ों को लम्बा चौड़ा बता कर बताया गया है कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात देख रहा हूँ कि हमारा विचार यह है कि अनिवार्य शिक्षा हो और अनिवार्य शिक्षा करने का हमारा स्वयं का कमिटमेंट है। उसको लागू करने की जो लॉएबिलिटीज़ होती हैं, उसके लिए हमारी सरकार कहती आ रही है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास पैसा नही है; अब हम अपनी रेस्पोन्सिबिलिटी, अपना उत्तरदायित्व बड़े आराम से पंचायत समिति, जिला परिषद् के ऊपर डाल कर स्वयं मुक्त होना चाहते हैं। मेरा निवेदन करने का अभिप्राय है कि पंचायत समितियां इस बात का शायद अनुभव कर सकें या न कर सकें, कई जगह उनके सामने इस प्रकार की परिस्थितियां होंगी या नहीं होंगी; यह कहा नहीं जा सकता। इसमें बहुत सारी बातें सम्मिलित हैं, खास तौर से पैसे का जरिया निश्चित रूप में होना

(श्री तनसिंह)

चाहिए। इसका मतलब यह होगा कि जो विकेन्द्रिकरण हुआ है कि अनिवार्य शिक्षा की नीति, जो कभी कानून बनने वाली है, उसको आगे बढ़ाया गया है। मैं देख रहा हूँ चाहे यह कार्य पंचायत समितियों के पास हो, लेकिन सरकार को इस सम्बन्ध में निश्चित तिथि घोषित करनी चाहिए, चाहे पांच साल की हो, चाहे १० साल की हो, चाहे १५ साल की हो, एक स्पष्ट कमिटमेंट हो कि उस समय तक निश्चित रूप से प्राइमरी एजुकेशन कम्पलसरी कर देंगे। जब तक यह नहीं कर पाते हैं, तब तक डेमोक्रेसी में कोई महत्व नहीं है। आज हमारे यहां जनतंत्रवाद को हम दुःख की नजर से देखते हैं। चाहे हम कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हों। वास्तव में जब हम जन मत के सामने खड़े होते हैं तो हमारी स्थिति क्या होती है और किन किन हथकंडों को काम में लेकर एक पक्ष और दूसरा पक्ष काम करता है। मेरा निवेदन करने का मतलब यह है कि जब तक जनता शिक्षित नहीं हो तब तक न तो यह सही तौर से काम कर सकते हैं और न देश का भला कर सकते हैं। अगर देश में जनतंत्र को सही रूप में पनपाना है तो आवश्यक है कि प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिये और इस नीति को आगे बढ़ाना चाहिये, क्योंकि जिस तरह खाने की और पीने की चीजें शारीरिक शक्ति के लिए आवश्यक हैं उसी तरह बेसिक एजुकेशन की जीवन के लिए आवश्यकता है। इसलिए जनता को शिक्षित किया जाय और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार हमारी अनिवार्य शिक्षा की नीति आगे बढ़ती जायगी।

दूसरी बात माननीय मन्त्री महोदय को निवेदन करना चाहूँगा इस बात को बतला कर कि हमारे यहां पर इतने स्कूल खोले गये हैं, इतना काम हो गया है, इससे इतनी सक्सेस प्राप्त कर ली है; यह बात दूसरी है, लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि आज जो बढ़ती हुई अनुशासनहीनता है, जो हमारे इस देश के भावी नेता लोग तैयार हो रहे हैं वे किस दिशा में जा रहे हैं। आम तौर पर लोग आलोचना करते हैं कि ये बहुत अनुशासनहीन होते जा रहे हैं, निकम्मे होते जा रहे हैं। मेरा निवेदन यह है कि अनुशासनहीनता, जो छात्रों में दिखाई देती है उसका कारण छात्रों में ही दिखाई नहीं देता है, उसका कारण है अयोग्य शिक्षक। हम चाहते हैं लोग डिसिप्लिन रखें, लोग नियंत्रण में रहें। लेकिन शिक्षक इतने काबिल नहीं हैं कि उनको नियंत्रण में रख सकें, उनको अनुशासन की ठीक प्रकार से शिक्षा दे सकें। यदि इन बच्चों को ठीक तरह से अनुशासन में नहीं ला पाते हैं तो इसका कारण है कि उनको सिखाया नहीं जाता। फिर कहते हैं कि अनुशासन में चलना नहीं जानते हैं। इसलिए यह कहना उचित है कि वास्तव में आत्म—निरीक्षण करते तो अच्छा होता। हम यह कह सकते हैं कि अध्यापकों की कमी है। इसके लिए जो कुछ कर सकते हैं वह करना चाहिए और इस ओर कदम बढ़ाने चाहिए। इतना काम इसके लिए पर्याप्त नही है कि टीचर्स ट्रेनिंग के अन्दर शिक्षकों को इतनी बात सिखा दें कि उनको कैसे पढ़ाना चाहिए, कैसे उनको आकृष्ट करके पाठ को उनके दिमाग में बैठाना चाहिए, बल्कि उसके साथ ही उनको जीवन की शिक्षा देनी चहिए,

(श्री तनसिंह)

चरित्र की शिक्षा देनी चाहिए और वह तभी हो सकती है जब कि अध्यापकों को वैज्ञानिक शिक्षण दिया जाय। इस दिशा को हम भूलते जा रहे हैं, इसका परिणाम यह आयगा कि उनमें अनुशासनहीनता बढ़ती जायगी।

आप एक तरफ तो कोशिश कर रहे हैं कि हम साम्यवाद को रोकना चाहते हैं और उसकी जगह रिवोल्युशन लाना चाहते हैं, पर वह उस विभाग की बात हो सकती है जो अपने आप में पूर्ण हो। आज आप चाहे कितना ही कहें कि आप अहिंसा में विश्वास करते हैं, पर आज जो आपकी पीढ़ी बन रही है वह अहिंसा पर विश्वास नहीं करती, आने वाली आपकी पीढ़ी अहिंसा में कतई विश्वास नहीं करेगी, यदि उसे सच्ची शिक्षा नहीं दी तो। केवल बाहरी शिक्षा दे देते हैं, केवल गणितज्ञ बना देते हैं तो यह पर्याप्त शिक्षा नहीं है। शिक्षा के माने यही नहीं कि केवल कमाने के योग्य बना दिया जाय। शिक्षा के माने हैं, सही माने में मानव बनाना; देश का सच्चा नागरिक बनाना। जब तक सच्ची शिक्षा देकर सही माने में मानव, देश का सच्चा नागरिक नहीं बनाया जायगा तब तक शिक्षा का अन्तिम उद्देश्य कभी प्राप्त नहीं हो सकेगा। समय रहते सरकार को इसमें गम्भीरता से विचार करना चाहिये। विद्यार्थियों को दोष देने से कोई मतलब हल नहीं होगा, अध्यापकों को, शिक्षकों को इस प्रकार की ट्रेनिंग देना चाहिये ताकि वे ठीक प्रकार से सही माने में मानव का निर्माण कर सकें।

मैं समझता हूँ राष्ट्र निर्माण में दो डिपार्टमेंट्स, दो विभाग; शिक्षा विभाग और जेल विभाग बड़ा महत्वपूर्ण भाग अदा करते हैं। ये दो विभाग राष्ट्र निर्माण के लिये अत्यावश्यक और महत्वपूर्ण हैं। जेल में जाने के बाद यदि ठीक तरह से शिक्षा दी जा सकती है तो वहां लोग सुधरेंगे और यदि जेलों में केवल सजा देने का ही काम रखा जायगा तो वहां मनुष्य का निर्माण नहीं हो सकेगा। तो राष्ट्र निर्माण के लिये, मानव के निर्माण के लिये ये दो डिपार्टमेंट बड़े काम के डिपार्टमेंट्स हैं। जेलों के विशेषज्ञ इस बात को मानते हैं कि मनुष्यों को सुधारने, आप चाहे हंसें जेलें इन्सान को सुधारने, इन्सान को इन्सान बनाने की जगह है। इस समाज का एक अंग जो खुद कमा कर नहीं खा सकता, भावनाओं के उद्रेक में बह कर वह अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन कर बैठता है वही तो जेल में जाता है। तो ऐसी दशा में जेल में एक विषैले दिमाग को अमृतमय बना कर बाहर भेजते हैं। तो यह एक इन्सान को सही माने में इन्सान बनाने की जगह है।

पर आज देखा जाय तो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें सबसे उपेक्षित ये दो डिपार्टमेंट्स हैं। वैसे तो मुख्य मंत्री महोदय ने स्वयं बड़ा ध्यान रखा होगा पर उन लोगों की स्थिति को देखिये जो कि अध्यापक हैं। पहले जमाने में बेगार ली जाती थी। पर इस जमाने में यदि किसी काम के लिये कहीं भी कोई भी नहीं मिलता है, फांसी के लिये ढूंढो यदि कोई मोटा ताजा इन्सान नहीं मिलता है तो मास्टर को लाया जाय। उसी तरह सेन्सस का कार्य हो चाहे इलेक्शन का कार्य हो, किसी काम को ले लीजिये कोई नहीं मिलता

(श्री तनसिंह)

है तो सीधे–सादे शिक्षक को, ये एक गाय हैं, इस रामजी की गाय को पकड़ लिया। मैं यह नहीं कहना चाहता कि इनसे काम नहीं लिया जाना चाहिये। पर मैं तो यह कह रहा हूँ कि हमारे अध्यापक वे लोग हैं जो हमारे जीवन का, हमारी आने वाली पीढ़ी के जीवन का निर्माण करने वाले हैं। उनको समुचित शिक्षण नहीं दिया जाता और उनसे बेगार ली जाती है। वे शिक्षक भी यही समझते हैं कि और कोई नौकरी नहीं मिलती इसलिये रद्दी से रद्दी, बेकार से बेकार मास्टरी की नौकरी कर ली। उनके दिमाग में भी यही बात है कि सरकार हमको उपेक्षित मानती है इसलिये हर तरह का काम सरकार हमसे लेती है। तो जो लोग अपने आपको उपेक्षित समझते हैं, जिन लोगों के दिमाग में इस तरह की बात जमी हुई है वे दूसरे लोगों का क्या निर्माण कर सकेंगे, यह मेरी समझ में नहीं आता।

दूसरी बात है विकेन्द्रीकरण। विकेन्द्रीकरण एक बहुत बड़ा भारी परीक्षण है और इस लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण में हमने लोगों को अपने पैरों पर खड़े होने की शिक्षा दी है। लोक तन्त्र के विकास में, देश के निर्माण में लोगों का, आम लोगों का सहयोग प्राप्त करने का हमने यह माध्यम निकाला है, पर एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि जब कोई उत्तरदायित्व लोगों को सौंपते हैं तो हमारे दिमाग में यह बात स्पष्ट हो गई है कि उन लोगों के दिमाग में उत्तरदायित्व को निभाने की क्षमता है। यदि कहीं एक–दो गलती भी हो गई तो वे सुधर जायेंगे। पर यह समझ में नहीं आता कि कोआँप्शन में उन लोगों के लिये क्यों छूट दे रहे हैं जिनका कि रूरल एरिया से कोई भी सम्बन्ध नहीं है? या तो यह समझते हैं कि उस सारे क्षेत्र में किसी योग्य व्यक्ति को लाने की बात है। जब सारी पंचायतें रूरल एरिया की हैं, अर्बन एरिया के लिये म्युनिसिपैलिटीज हैं, कॉर्पोरेशन्स हैं, उनका पैटर्न बिल्कुल दूसरे प्रकार का पैटर्न है; तो फिर समझ में नहीं आता कि विकेन्द्रीकरण के द्वारा जिन्हें प्रजातन्त्रवाद का पाठ पढ़ाना चाहते हैं, उत्तरदायित्व देना चाहते हैं तो उन्हें क्यों छूट देना चाहते हैं जो लोग वहां के रहने वाले नहीं हैं? मैं तो यही कहूँगा कि कई म्युनिसिपैलिटियों के चेयरमैन और कई मेम्बर्स इनमें कोआँप्टेड हुए हैं। यह समझ में नहीं आता कि वे लोग म्युनिसिपैलिटियों का काम करेंगे या इन पंचायतों का काम करेंगे। यहां कोआँप्टेड हुए हैं तो वहां म्युनिसिपैलिटियों में क्या काम करेंगे? पर वास्तव में इसके पीछे भावना यह है कि हमारी पार्टी जीतनी चाहिये, इस दृष्टि से उन लोगों को प्रोत्साहन देना चाहते हैं। तो कम से कम एक बात स्पष्ट हो जानी चाहिये कि सरकार रूरल एरिया में रहनेवालों को योग्य नहीं समझती है। इस तरह कोआँप्शन में आये हुए अर्बन एरिया के ये लोग हमेशा इन पर हावी रहते हैं और आप देखेंगे कि बहुत से कोआँप्टेड लोग हैं। वे ही प्रधान बनते हैं, चेयरमैन बनते हैं और वहां के सारे कार्यों का संचालन करते हैं। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि यदि आप यह चाहते हैं कि वे लोग आगे बढें तो आप उन्हें ही सारा काम करने दीजिये कोआँप्शन में भी उन्हीं लोगों में से लेने का रखिये, बाहर के लोगों को लेने का मत

(श्री तनसिंह)

रखिये। अगर दो–चार बार गल्तियां करेंगे तो भी कोई बात नहीं, वे धीरे धीरे सब ठीक हो जायेंगे। वे लोग हमसे कम योग्य हों, ऐसी बात नहीं है। तो इस चीज को भी हमें देखना है।

दूसरी बात यह है कि इससे हमने सामान्य लोगों के दिमाग में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात भर दी है कि हर आदमी अपने को इसके लायक समझता है, हर आदमी में महत्वाकांक्षा जगी है, हर आदमी आगे आना चाहता है। आप यह देखेंगे कि सरपंचों के लिये ही झगड़े हुए हों, ऐसी बात नहीं है, अपितु मामूली से वार्ड पंच के लिये भी बड़ी खींचातान और बड़े संघर्ष हुए हैं, इतनी कसमकस से लड़ाई–झगड़े पैदा होने का डर रहता है। वहां राजनैतिक पार्टियां बनी हों; ऐसी बात नहीं बल्कि भीतर ही भीतर एक नई किस्म की पार्टियां पैदा होने लग गई हैं। इस सबसे एक बात आगे आई है कि हमारे अन्दर, जन–सामान्य के अन्दर एक महत्वाकांक्षा पैदा हुई है, यह जनतन्त्र के लिये बड़ी आवश्यक चीज़ है। यदि सभी महत्वाकांक्षी हों तो कम्पीटिशन होगा और कम्पीटिशन से योग्य से योग्य व्यक्ति आगे आयेंगे। पर इस महत्वाकांक्षा से खतरा भी है। महत्वाकांक्षा तो होनी चाहिये। यह तो एक अच्छी चीज़ है, मगर जब एक आदमी में कुछ महत्वाकांक्षा होती है और राज्य पर शासन करने की स्थिति उत्पन्न करते हैं तो उसमें त्याग की शिक्षा होनी चाहिये। अगर यह नहीं होगा तो केवल महत्वाकांक्षा से काम नहीं चल सकता, इससे तो प्रशासन बिगड़ेगा। यह राज्य के भोग की इच्छा इतनी बलवती होती जा रही है कि उसमें किसी बात का ध्यान नहीं रखा जाता। महत्वाकांक्षा तो होनी चाहिये, लेकिन व्यक्तित्व भी होना चाहिये। इस विकेन्द्रीकरण में इतनी सी बात है कि हम लोगों का शासन रहे चाहे वे लोग लड़ें या कुछ भी करें, गांव वाले कितनी ही पार्टीज करें। लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि यह हमारे शांतिपूर्ण ग्रामों में रहने वालों के लिये झगड़े भी पैदा कर सकते हैं। त्याग की मनोवृत्ति पर लोग चल सकें तो अच्छा है।

अब एक बात मुझे डाकुओं के सम्बन्ध में निवेदन करनी है। खैर, पहले कितने डाकू सरेन्डर हुए उसके लिये मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन इस बार जो डाकुओं ने आत्म–समर्पण किया है वह माननीय मंत्री महोदय के सामने किया था और कल या परसों हाउस में इस सम्बन्ध में एक प्रश्न भी आया था और हाउस में उसका उत्तर दिया गया। जो लिस्ट डाकुओं के आत्म–समर्पण की बताई उसको मैंने सरसरी तौर से देखा। एक व्यक्ति को उसमें से मैं जानता हूँ और वह मेरा चचेरा भाई है। कभी उसने डाका नहीं डाला और वह हमेशा वहीं रहता है। मुझे मालूम नहीं कि कब वह डकैती में शामिल हुआ। हां, ५ या ६ वर्ष पहले का एक ३७९ का केस उस पर था। पुलिस उसको क्यों नहीं गिरफ्तार करती थी क्योंकि वह उस केस में डाइरेक्टली इन्वोल्वड नहीं था। ऊंट या किसी जानवरों की चोरी का मामला था और जिसके यहां चोरी हुई थी उसने भी रिपोर्ट पुलिस में कर दी कि मुझे अपना माल मिल गया। वह मामला २०० या २५० से नीचे का ही था, उस वजह से पुलिस ने तवज्जोह

(श्री तनसिंह)

नहीं दी हो, यह भी हो सकता है । मुझे यह मालूम नहीं कि यह आदमी भी चोरी करने-वालों में से था या कभी इसने चोरी या डकैती की हो । जब यह पेश भी हुआ तो भी मुझे मालूम नहीं हुआ । जब मैंने लिस्ट देखी तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आत्म-समर्पण करने वालों में से एक डाकू वह भी था । मुझे मालूम होता है कि इस प्रकार से पुलिस जिसकी फाइनल रिपोर्ट नहीं दे सकी होगी या और कोई बात होगी उससे ऐसा किया गया हो । मुझे कोई इससे ईर्ष्या नहीं है कि उन्होंने मंत्री महोदय के सामने आकर क्यों आत्म–समर्पण किया । यदि और भी बहुत से लोग आकर आत्म-समर्पण करें तो मुझे बड़ी खुशी होगी । मगर इस प्रकार आत्म–समर्पण कराना, मन्त्री महोदय की बात नहीं कहता, लेकिन पुलिस ऑफिसरों ने अपने स्वयं की कारस्तानी बताने के लिये ऐसा किया है । मैं यह कहूँगा कि गृह मन्त्री को इस सम्बन्ध में जानकारी करनी चाहिये कि कितने ऐसे आदमी थे जो वास्तव में डाकू थे ? मगर स्थिति ऐसी है कि वे लोग यह सोचते हैं कि उनको होम मिनिस्टर का प्रोटेक्शन मिलेगा । यह ठीक है कि डाकुओं में कमी हुई है और होनी भी चाहिये ।

इसके अलावा मैं एक विषय पर कहूंगा कि हमारी सरकार की यह घोषित नीति है कि नशा–बन्दी को बन्द करेंगे । मगर हमारे बार बार हल्ला मचाने के बावजूद भी इसको बन्द नहीं किया जा रहा है । इस नशा बन्दी में शराब, भांग, गांजा सभी आ जाते हैं । या तो इसके लिये हमारी सरकार यह कह दे कि हमने जो कुछ कहा उसको हम वापिस लेते हैं । मुरारजी देसाई को देख कर हमारी हिम्मत नहीं होती कि नशा बन्दी को लागू करें । एक बार बीच में कानून आया था उसके मुताबिक यह बात कही गई कि आबू एरिया में यह नशा बन्द कानून लागू है । मैं यह कहूँगा कि आज वहां पर लीनियेन्टली लोगों को परमिट दिये जाते हैं । जब लोगों को लीनियेन्टली परमिट दिये जाते हैं तो फिर क्यों कोई छिप कर पीएगा ? इसके लिये सरकार की अगर दलील होगी तो सबसे बड़ी दलील यही होगी कि हमें इससे आमदनी होती है । ठीक है । मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि या तो कांग्रेस पार्टी ऐसा निर्णय ले लें कि हमारे यहां जितने भी सक्रिय सदस्य हैं उनके लिये यह शर्तें रखी हैं कि वे नशा न करें मगर राजस्थान सरकार को ऐसी छूट दे देनी चाहिये । वे यह मानते हैं कि यह चीज अच्छी नहीं है, लेकिन जिस चीज को मानते हैं कि वह अच्छी नहीं है तो फिर उसको राज्य के लिये क्यों रखते हैं ? क्या इसीलिये रखते हैं कि इससे पैसा आता है ? ऐसा व्यापारी जो स्वयं दूरदर्शी नहीं है इस प्रकार की नीति में आवेगा । एक तरफ हम यह कहते हैं कि नशा बन्दी के लिये हम बराबर काम करते जा रहे हैं और इसको बराबर कम करते जा रहे हैं । मगर स्थिति यह है कि अफीम के लिये सरकार कहती है कि हम बराबर इसको कम करते जा रहे हैं । अफीम की कमी हो रही है । मगर जितना अफीम पैदा होता है उसको सेन्टर गवर्नमेंट लेती है और सारे राज्यों को देती है । वह एक नीति निर्धारित करती है । हर साल सेन्ट्रल गवर्नमेंट निश्चित क्वान्टिटी को काटती जाती है । जहां तक सेन्ट्रल गवर्नमेंट का प्रश्न है वह

(श्री तनसिंह)

तो निश्चित नीति के अनुसार चलती है। मगर राजस्थान सरकार को जितनी अफीम अलॉट होती है वह सारी की सारी सरकार खरीद लेती है बिना इस बात को देखे कि कितनी दूकानें हैं और कितनों को कम करना है। वह इसलिये खरीद लेती है कि हमारे यहां कभी जरूरत पड़े। मैं यह नहीं कहता कि आप इसको एक झटके में खत्म करें आप इसको धीरे धीरे खत्म करें। अब मैं इस सम्बन्ध में शराब के आंकड़े आपके सामने रखूंगा कि उसका कितना कन्ज़म्पशन है। मैं उस शराब की बात नहीं करता जो विदेशों से आती है, जो कन्ट्री लिकर या इस प्रकार की कोई दूसरी शराब हो, मैं तो ठर्रे की बात कहता हूँ।

हमारे यहां नशा बन्दी किस तरह से विकास करती है :

सन् ५२–५३ में ४ लाख ७९ हजार गैलन शराब (कन्ट्री लिकर)

सन् ५३–५४ में ४ लाख ६३ हजार ....

सन् ५४–५५ में ५ लाख ५० हजार गैलन

सन् ५५–५६ में ५ लाख ४३ हजार ....

सन् ५६–५७ में ६ लाख ६३ ,, ,,

सन् ५७–५८ में ८ लाख १६,७६७ ,,

सन् ५८–५९ में ८ लाख १८,२१८ ,,

सन् ५२–५३ में जो शराब की खपत हो रही थी उससे आज करीब करीब दुगुनी हो रही है। पहले ४ लाख ७९ हजार गैलन थी तो इस बार ८ लाख १८ हजार गैलन खर्च होगी। यह तो उस शराब की बात है जो हमारे यहां डिस्टीलरी से आती है। इसके अलावा कितनी शराब दूसरी जगह पर बनती है और खपती है, यह दूसरी बात है।

इसके अलावा सबसे बड़ी रुचिकर बात यह है कि भांग ५७–५८ में ७२,६६१ और ५८–५९ में ७८,८७९ की बिक्री।

यह साफ जाहिर करता है कि यह लीप्स एन्ड बोन्ड्स से बढ़ रही है। हलाकि हमने इसके लिये कानून पास किया है कि निश्चित दिन को पब्लिक प्लेसेज़ में नहीं पी जावेगी। मगर कहीं भी पीओ, घर में पीओ या बिलों में घुस कर पीओ, मगर इस दिशा में तरक्की हो रही है। हमें यह नहीं मालूम कि हमारी नशा बन्दी की नीति कहां पहुंच रही है और किस दिशा में पहुंच रही है ?

आमदनी के हिसाब से आमदनी भी काफी बढ़ती जा रही है। कहा तो यह गया था कि इसको केवल इसलिये जारी रखना चाहते हैं कि अगर इसको एक दम बन्द करेंगे तो हमको एक दम नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन होता यह है कि इस आमदनी में उत्त-रोत्तर बढ़ोत्तरी होती जा रही है; तो उनकी यह दलील कि एक दम कटौती को बर्दाश्त नहीं कर सकते, यह गलत है। यदि वे चाहते हैं कि एक दम न घटे तो क्रमशः घटानी चाहिये। लेकिन स्थिति यह है कि उल्टी बढ़ा रहे हैं। हमारे यहां पर उन चीजों से जो आमदनी बढ़ रही है वह यह है और वह आमदनी भी दूसरी प्रकार की नहीं है। केवल नशे नशे की आमदनी है। २ करोड़ ६८ लाख रुपया ५५-५६ में, ३ करोड़ १६ लाख ५६–५७ में, ३

Page No.41

(श्री तनसिंह)

करोड़ ५४ लाख ५७–५८ में और ५८–५६ में ३ करोड़ ८४ लाख वह आमदनी हो गई। उसके बाद एक्चुअल फीगर्स अवेलेबल नहीं हैं। स्थिति यह है कि ५५–५६ में जहां २ करोड़ ६८ लाख की आमदनी थी वह अब ५८–५६ में ३ करोड़ ८४ लाख तक पहुंच गई है। एक तरफ तो आप जनता को और हमको यह बता रहे हैं और बताते रहते हैं कि हम राजस्थान में धीरे २ नशा बन्दी को समाप्त कर रहे हैं और दूसरी ओर इस प्रकार से इन नशे की चीजों से आप आमदनी बढ़ा रहे हैं। गैलन्स, सेर और मनों में इन नशीली चीजों का कन्जम्शन बढ़ रहा है। इन चीजों का निर्माण भी कम होता जा रहा हो; ऐसी बात नहीं, किन्तु यह तो बढता ही जा रहा है। मैं यह नहीं समझ सका कि सरकार जो यह कहा करती है कि हम नशा बन्दी करना चाहते हैं वह केवल कहने के लिए था, नारे में ही क्या सरकार इसके लिए विश्वास करती थी? यदि यह सही है कि नारा नहीं था तो सरकार इसको क्यों नहीं बन्द कर देती है? सिद्धान्तों के कहने से जो नतीजा होगा उसका फल तो आप ही भोगें। लेकिन सिद्धान्तों का मूल्य क्या हुआ? सिद्धान्तों की जो आदमी या सरकार बात करती है उनको उसका उत्तरदायित्व वहन करना पड़ेगा। यदि सरकार चाहती है कि नशा बन्दी होनी चाहिये तो उसका परिणाम मैं फाइनेन्शियल नहीं देखता हूँ। फाइनेन्सेज़ के हिसाब से यह नहीं लागू होता है। लेकिन सरकार इस कारण से दब रही हो कि नशा बन्दी करते ही जनता हमारे खिलाफ हो जावेगी। ५५-५६ से लेकर दुगुना कन्ज़म्शन हो रहा है तो निश्चित रूप से पियक्कड़ों की संख्या बढ़ती जा रही है और सरकार सोचती है कि यदि नशा बन्दी का कानून लागू कर दिया तो ये लोग हमारे खिलाफ हो जावेंगे। सरकार यह कह दे कि वह अपना कमिटमेन्ट वापिस लेना चाहती है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन पहले सरकार जो कुछ कहती है वह तो करके दिखावें। आप बहुत बड़ा तालाब बना रहे हो लेकिन यदि उसका पैंदा ही फूटा है और पानी निकलता जा रहा है तो तालाब बनाने से फायदा क्या? निर्माण की हम बातें करते हैं। एक तरफ आप निर्माण की बातें करते हैं और दूसरी तरफ हमारी नेशनल इन्कम इस प्रकार नशीली वस्तुओं में खर्च हो रही है। इन नशे की चीजों से मनुष्यों के ऊपर जो मानसिक कुप्रभाव पड़ता है वह भी कितना भयंकर होता है। चाहे द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजनायें बनायें और निर्माण के कार्य करायें ये प्लान बेकार है। मुझे कोई एतराज नहीं है यदि सरकार अपनी उस नीति को वापिस लेती हो। हर साल अधिवेशन में हम याद दिलाते हैं कि कांग्रेस सरकार की यह नीति है। उसको खुद को भी याद रखना चाहिये। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : समय निर्धारित कर दिया जाय तो अच्छा होगा क्योंकि बहुत से माननीय सदस्य बोलनेवाले हैं।

श्री अध्यक्ष : समय निर्धारित कर दिया जाय तो अच्छा है।

श्री अर्जुनदास (अजमेर-पश्चिम) : Sir, I will make a special request today. The situation at Ajmer is ra-

Page No.42

(श्री अर्जुनदास)

ther grave and I might have to go back to Ajmer. Therefore, I request you to allow me some time today.

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, आज से ही समय निर्धारित कर दिया जाय।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, आज ही समय निर्धारित कर दिया जाय, बहुत बोलने-वाले हैं।

श्री अध्यक्ष : यदि आध घंटे का समय निर्धारित कर दिया जाय तो उचित होगा।

(विराम)

राजा श्री मानसिंह।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सीटी) : समय निर्धारित करने के बजाय यदि एक दिन और बढ़ाया जाय तो अच्छा होगा, क्योंकि इस पर काफी बोलनेवाले हैं।

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के भाषण पर चर्चा हो रही है और बजट के अवसर पर भी माननीय सदस्यों को चर्चा करने का अवसर मिलेगा। इसलिए समय निर्धारित कर दिया जाय तो ठीक है।

श्री भैरोंसहिं (श्रीमाधोपुर) : समय निर्धारित किया जाय तो सरकारी बैंचेज़ से बोलनेवाले मंत्रीगण हैं उन पर भी वह लागू होगा।

('वे भी अधिक समय नहीं लेंगे' की आवाज़)

राजा श्री मानसिंह (वैर) : Mr. Speaker, Sir, this motion of thanks is for H. E. the Governor for his speech in praise of the achievements of the Congress Goverment. But, Sir, the one and only person who has made the Congress Government here realise their shortcomings during a period of 13 days, which the Congress Government could not realise during the last 13 years, also deserves mention in these thanks. I refer, Sir, to Her Majesty the Queen Elizabeth of England.

For years the tax payers have been content with the potholes in the roads...

श्री श्रीमानसिंह (बयाना) : I cannot understand why the Hon'ble member is bringing in the foreign dignitary who is visiting the country ? How is it material ?

श्री अध्यक्ष : He is referring to the improvements that have been effected during the Queen's visit here.

राजा श्री मानसिंह : The Queen made the Congress realise in 13 days what the Congress could not realise in 13 years...

श्री श्रीमानसिंह : Mr. Speaker, I don't know...

राजा श्री मानसिंह् : I should not be interrupted like this, Sir.

श्री श्रीभानसिंह् : Certainly you will be interrupted if you bring forward the matters which are not relevant.

राजा श्री मानसिंह् : It is not for you.

श्री श्रीभानसिंह् : It is for me, yes. I appeal to the Chair, is it necessary that the Queen's visit should be referred to ?

श्री अध्यक्ष : I have already said that no reference should directly be made about any foreign dignitary's visit to our State.

राजा श्री मानसिंह् : For years, Sir, I was saying, the tax-payer had to be content with the pot holes in the roads and dirt abounding in the capital city of Jaipur. In the past, all the tax-payers' pleading and representations fell on deaf ears of the Congress Government. At long last, Sir, the pink city of Jaipur is again growing pink. Some roads have been impoved and brought in tip-top condition and certain improvements have also been made. It remains to be seen how long the standard that has been put up is maintained.

Inspite of the improvements, Sir, the tax-payers are shocked at the display of slave mentality that was shown when the visiting dignitary came to our poor province. For their entertainment, lavish arrangements were made. I should like to inform you, Sir, that a few days'entertainment 'cost our poor province more than the budget for the coronation of the Sovereign of England.

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): How much it is ?

राजा श्री मानसिंह् : It is about 10 lakhs. In the same context, Sir,...

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : It is not clear to me. Does he mean to say that the Rajasthan Government has spent Rs. 10 lakhs ?

राजा श्री मानसिंह् : That is for you to tell us. I think you have spent more than 10 lakhs.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : Again I want to know whether by 'you', he means the Rajasthan Government.

राजा श्री मानसिंह : Yes, Rajasthan Government.

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : What is the correct position ?

राजा श्री मानसिंह् : In the same context, Sir, I should like to mention that no improvement ever takes place in Bharatpur unless a high dignitary visits that place. Recently the Vice President of India happened to visit Bharatpur. In face of the fact, Sir,

(राजा श्री मानसिंह)

that he is a disciple of the great Master who travelled third class and walked in the dust of the country, much money was spent to repair certain parts of the roads so that he may not feel the bumps while travelling in his Rolls Royce car. The remaining parts of the city remained in the same shabby condition in which they were and the tax payers continued to stumble there.

श्री श्रीभानसिंह : You rode safely as a guest in your traditional dress, I believe.

राजा श्री मानसिंह : I did not visit.

श्री श्रीभानसिंह : Didn't you display your royalty ?

राजा श्री मानसिंह : It seems, Sir, that no area can have any improvement unless that area happens to have representation in the Ministry. Till recently there was no representation in the Ministry from Jhalawar. So no improvement took place there. Now that area has representation in the Cabinet, and we see that a textile mill is to be opened there.

श्री अर्जुनदास (अजमेर–पश्चिम) : Ajmer has no representation.

राजा श्री मानसिंह : On the other hand, Bharatpur has had no representation for the last 9 years in the Cabinet.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : And yet you got a wagon factory ?

राजा श्री मानसिंह : You did not put it there. This factory has been put there by a Seth and not by the Government.

For the last 9 years Bharatpur has had no representation in the Cabinet. It leads one to think that those elected from there on Congess ticket are not considered fit for such position.

श्री श्रीभानसिंह : Kindly plead your own case.

राजा श्री मानसिंह : In which case Sir, I don't think there would be any harm if some members from the opposition are taken in the Cabinet.

We are told that in the near future an ammunition depot is going to be opened at Bharatpur. I would like to say, Sir, that this is in no way in the interest of Bharatpur. Militarily and politically Bharatpur is already a stratagic target. It is a junction of two main railway systems and by opening an ammunition depot there it will only make it more so. The only people who might benefit from it are the owners of brick kilns and some temporary labour. I, therefore, appeal, Sir, that before such

(राजा श्री मानसिंह)

drastic action is taken, the Government should give the matter more consideration.

This is the year preceding the 1962 General Elections. Vague and forced promises are again to be made to the people by the Congress party. As an aspect of the socialist pattern of society, the Government have placed a ceiling on the income from agricultural lands. But they are reluctant to impose a ceiling on incomes from industrial or other sources. From this it is clear that this socialist pattern of society is only for the rural people and not for the urban people. In principle, Sir, I have always opposed this policy of ceilings on income. In the month of December 1959 this law of imposing ceilings on incomes from agriculture was passed but why has not that law been enforced till today? Would I not be correct in saying that law is not to be enforced till after the general elections of 1962 ? Is this not a clear indication that the people do not want this law ? Is this not a clear indication that the Congress Government is doubtful of its victory in the elections if it enforces this law now ?

Our farmer depends on the prices of grain that he produces himself. But the policy of the Government is to lower the prices of foodgrains, and at the same time impose ceiling on his income. At the same time, the Government is doing nothing, Sir, to prevent the rising prices of essential commodities which the farmer uses for himself or for agricultural purposes, I should like to know how the Congress could say then that it's policy is pro-agriculturists.

I would deal briefly with the recent statement of the Chief Minister with regard to the former Ruling Princes and his implied threat to them for coming under the banner of Swatantra Party. The Chief Minister, Sir, was silent all along on this subject because he and his stooges were wooing the Princes to Congress fold. When he has miserably failed in his efforts he has started his malicious propaganda against those Princes who have not been misguided by his allurements. I wonder, Sir, if this drive is not prompted...

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : On a point of order, Sir, Rule 15 of our Rules of Procedure says—

"15. Scope of discussion-on such day or days or part of any day, the House shall be at liberty to discuss the matters referred to in such address on a motion of thanks moved by a member and seconded by another member."

In the Governor's address, no reference was made to the Chief Minister's reply to Maharni Gayatri Devi. So how does he...

Page No.46

श्री अर्जुनदास : Perhaps he forgets that an important omission from the address can also be discussed.

राजा श्री मानसिंह् : If certain important matters have been left out from the address, they can be discussed.

श्री श्रीभानसिंह् : But the question is this, Sir, that in this House this so-called Swatantra Party is not recognised and no reference to it can be made in this House when it is not recognised. Otherwise that party is open to criticism on the floor of the House.

श्री अध्यक्ष : Two members belonging to Swatantra Party are members of this House.

श्री श्रीभानसिंह् : This party has recently been formed and they belong to it, but as long as it has not been recognised as a party by the Election Commission or on the floor of the House...

श्री अध्यक्ष : Recognition in that sense would not affect their status in the House.

श्री पी० के० चौधरी : But the point is whether an outside political controversy can be discussed in the House. He can bring in any matter relating to the Government's policy-economic, financial or other, but an outside political controversy, how the Hon'ble member brings it here ?

राजा श्री मानसिंह् : To continue, Sir, I feel that probably the Chief Minister has been misguided by the misguided actions of the Central Government in the Bastar issue. The Chief Minister...

श्री श्रीभानसिंह् : How does the Bastar issue come in here, Sir ?

श्री अध्यक्ष : The Hon'ble member should confine himself to the Address. How other people have acted...

श्री श्रीभानसिंह् : He has been busted already.

राजा श्री मानसिंह् : The comical folly of the Chief Minister apparently is that he thinks that even undesirable persons in the Congress are better than the best in other political parties. In order to perpetuate, Sir, the un-wanted rule of the Congress on credulous persons, the Congressmen have thrown discretion to winds and are even prepared, like their masters, to betray the principles of the Congress Party. I give a warning, Sir, that Congress will be beaten with the same sticks that they are using today against the people of this land.

With reference to the Decentralisation, Sir, I should like to know whether the Chief Minister is repenting the step that he has taken. Otherwise why should he quarrel with a few former Princes and Jagirdars who supported deserving candidates,

(राजा श्री मानसिंह)

when each one of the Ministers-who are the present day rulers-were camping in their respective areas during the Panchayat elections. May I know, Sir, whether this was not an interference in the freedom of the electorate. The fact remains, Sir, that the Congress did not face the electorate squarely and that is the reason why they did not put up a candidate on party ticket. Now that the Panchayat elections are over, the Congress party is wooing the candidates into Congress fold irrespective of their ideology and characteristics.

(१ म० प०)

The conduct of the former Rulers and Jagirdars has been above board and clean. They face the electorate with clean hands. I should not be surprised, Sir, that if the Congress supports infarious activities, the so-called decentralisation is going to be shortly wound up. I should like to give you a concrete example of the so-called decentralisation of power of which my friends are so proud. Five months ago the Zila Parishad of Bharatpur under its Congress Pramukh unanimously passed the vote of no-confidence against the Collector there. But even till today the Collector remains on their head. It means, Sir, that the decentralisation is got only to that extent that the elected body is used by the ruling group to perpetuate its mis-rule.

As an example, Sir, of what the Congress party stands for, you will remember that the tableau that was sent from Rajasthan to participate in the Republic Day at Delhi, it depitcted a picture of ferries. The tableau must have cost us a lot of money. What connection ferries have been with Rajasthan, I don't know. Rajasthan is a land of Padminis. But then, Sir, I don't put entire blame on the ruling party for their choice, because they themselves, are living in a ferry-age.

Thus, people have now realised to their regret that the democracy by the Congress is democracy of the Congress, for the Congress and by the Congress. In a nut-shell, to them anti-Congress body is undemocratic and anti-national. This is there, the same is tumulting to pieces. I oppose this motion of thanks.

श्री श्रीमानसिंह (बयाना) : Mr. Speaker, Sir,...

एक माननीय सदस्य : Is there a point of order ?

श्री श्रीमानसिंह : I am speaking.

Mr. Speaker, Sir, I had no intention to participate in the debate today, but since I heard the Hon'ble leader of the Swatantra Party going astray in his speech I made up my mind to clear up certain issues.

Firstly, while supporting the mo-

(श्री श्रीमानसिंह)

tion of thanks I must observe one thing that I am against such liberal interpretation of the Constitution which was made during this session, i. e., the interpretation of the Constitution should be such which keeps or which is in conformity with the democratic principles or republican principles of this country which goes not only to strengthen the democratic institutions in the State, but also does not violet the sanctity attached to those institutions.

Again, Sir, the second important event that took place in the State, as referred to by the Hon'ble member coming from Bharatpur, was the Queen's visit. While the people of Jaipur and Udaipur, though warmly welcomed the Queen, and if I am right, with all the past memories. It should revive only the happy memories of long association, and thus warmly welcomed the Queen here and also at Udaipur. But, Sir, I fail to understand that the Queen's visit should have been made an occasion for re-enacting what an editor has written the pre-feudal scheme...

राजा श्री मानसिंह (वैर) : It is beyond the scope of the speaker. You have already given the ruling in this matter.

श्री अध्यक्ष : You refer it not more what you did.

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : That mistake is repeated.

श्री श्रीमानसिंह : Should it revive nce again what we may call feudal ion our State that the ex-Ruler should have issued orders that all his stooges, this is the appropriate word that I can use, should come not only in traditional dress but with full decorations and insignia and show their loyality to the British Queen. This activity is uncostitutional, subversive and dangerous, and, I am afraid, he should be permitted to carry on this procession in the city. The State Government should have made all the arrangements. What was the right to term it as personal affair? I had no intention of criticising the Queen's visit as personal guest, but certainly in a democratic state all processions, all public functions must be presided over by the representatives of the people. Unfortunately, this procession was led by the ex-Ruler of Jaipur and not by the Governor of the State.

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : अध्यक्ष महोदय, यह कोई विषय है कि इसे यहां कहा जाय? यह चीज़ कार्यवाही से ताल्लुक रखती है क्या ? रूलर यहां मौजूद थे–पहले ये एक्स, रूलर्स थे, यहां नाम उठाने की बात नहीं है। गवर्नमेंट ने खुद ने बुलाया है उनको, गवर्नमेंट का उनसे खास सम्बन्ध क्या था ?

श्री श्रीमानसिंह : With all this

(श्री श्रीमानसिंह)

activity that it was strange on the eve of her visit the Maharani of Jaipur should have declared. It is an exploitation of her visit for political purposes. That it is strange that these things are permitted in a republican country. I am sure, no other country would permit, and, therefore, I demand the censure of this ruler for the unconstitutional, undemocratic, unrepublican activity, for which I am sure this House would agree that there is no alternative but the dethronement. This is what I have to say with regard to the Queen's visit.

Sir, coming to the Governor's speech I must say, I was a bit disappointed by that address. The Address, I may say, was lifeless dealt with matter in a very perfunctory manner and the single things in the Address were his omissions. In the first address the Governor promised that in Rajasthan mineral investigation is going on, but in this address the House has not been informed as to what are the results of the mineral investigation of the State. Not only this, Sir, in the first Address the House was told that there is oil exploration activities going on in Jaisaimer, but unfortunately what has happend to that oil exploration activiies we don't konw.

Similarly, regarding copper ore it was promised that after investigations having been completed at Alwar some further steps will be taken. But in this address except Khetri no mention has been made of Alwar.

Moreover, Sir, as regards the mineral production the picture of the State is not happy, because from 3 crores royalty income or whatever from minerals has increased, it comes only to 6 crores. It is not very good.

Therefore, similar another omission is regarding urban community development. I don't know what the Government is doing regarding the urdan community developement.

These omissions make it clear that sufficient attention has not been paid to give the House that information which was given out in this House during his first Address.

(१. १० म० प०)

(श्री निरंजननाथ आचार्य उपाध्यक्ष, पदासीन)

The House should be pround, Sir, that as regards agricultural production targets have been exceeded. But the Address is silent regarding Cooperative Farming and Service Cooperatives. It does make a mention that we are progressing happily and in a good manner but we don't know that what and where the State has progressed regarding the Cooperative Societies, Service Societies and Cooperative Farming. It appears that this Cooperative Department

(श्री श्रीमानसिंह)

and the State Government and the Officers are just simply not interested in promoting the cooperative farming societies in the State. Similarly the picture given about the Credit Societies is also not good. The total number is about 7 lacs while during the first Address, it was about 6 lacs. During one year the progress or the increase of the membership of one lac we cannot say it satisfactory. Moreover, the multiplication of the societies is very slow, and the complete picture is not there, as how many societies have been newly created. It is not a very happy one and the State Government will have to take some steps regarding Cooperative Farming Societies. Similarly in the Address, there is one significant omission and that is with regard to the Democratic Decentralisation. In this regard, it must have come to the Governments' notice that certain clauses of the Act are being misutilised-like that of co-option. It was kept in this Bill in order to bring people with good experience and social workers, those who can help, with their knowledge, the Panchayat Samitis, but unfortunately my experience is that with this clause all those good people, they kept back but those who lost even in the direct elections of the Panchayats, they got through this Clause not only as members but they also became Pradhan of the Samitis. Therefore, the purpose with which this clause was kept is not being achieved and, therefore I am of the opinion that this clause be deleted, otherwise all those elements which are dangerous to the Democratic Decentralisation, they indirectly find way to get into this and they not only rule there but guide. Similarly, Sir, the election of these Panchayat Samitis has shown that the electoral college of the Panchayat Samitis is very small, that only the Sarpanchas are entitled to vote. What happened is that during these elections, there have been cases of kidnapping of Sarpanchas to certain other places and bringing them at the time of voting. It does not occur well. This should be stopped and the electoral college should be constituted of all the Panchas and Sarpanchas and in that case this kidnapping will stop. Certain other trends during these Panchayat Samiti elections, were also brought to the forefront and they were once again in this State. The cry of Casteism was raised and the Hon'ble Leader of the House will excuse me if I say that some of his couleagues were a party to it. It is a matter of great regret, therefore, if Mr. Poonam Chand Vishnoi, a Deputy Minister, should have raised a cry of Casteism and deplore. I am told that he told in his public speech that three castes viz. Rajputs, Brahmins and Banias do not deserve because these Rajputs are land grabbers, Brahmins are religious minded and the Banias are money grabbers. This is, surpri-

(श्री श्रीमानसिंह)

sing, if this slogan should have been raised and by a man of his party like a Deputy Minister in his Cabinet. I think it is upto him to take steps to stop. Not only this, Sir, but as a reference has been made, I am told that one Jila Parishad had also passed a resolution against the Deputy Minister that in order to prevent his activities, the Jila Parishad requested the Government to forbid his entry into that Panchayat Circle. I don't know why it was not acted upon by the Leader. I am surprised that on the one hand my party is to fight against all these disruptive slogans and on the other hand, I am sorry to note that in his party such people are there.

Similarly I am to say that the omission in this Address was one that in this State the growing corruption has not yet been checked. I don't refer personally to anybody but I must say one thing that certain allegations are made against those people holding high positions and when no enquiry is made, people at the lowest level say that the Government is involved in the corruption. When there is no action then there is a general feeling like this.

There were certain complaints made to the Leader of the House regarding the Transport Minister and by one Shri Malik Ram or so, even those complaints were sent to the President of India requesting that this should be enquired. But unfortunately they were not enquired. Not only this, the Central Government made certain specific enquiries and the report is said to be adverse. I will like the Leader of the House to take help from the Home Ministry and Central Intelligence and then only to deal with the corruption which will show how far the Minister is liable to continue. It is for the Leader of the House to see and take steps by which people can have confidence.

I will also request that the Address was not upto the mark about the progressive steps taken to improve the economy of the State. Specially this House should be proud that we have completed regarding Land Reforms and other measures that is Ceiling and as regards social legislation also there are certain good measures but on the economy side, I will like to say that though trends are not well revealing but I have a doubt about the inflation and my request to the State Government is that it should be vigilant towards this, inflation, otherwise it may be too late for us to curb.

Similarly in the Industrial Sector, I am not happy. The Industrial Sector has not kept pace with the industry. If we have exceeded the targets of food-production there not reason if the State would

(श्री श्रीमानसिंह)

have this decimal percentage regarding per capita income.

श्री अर्जुनदास (अजमेर पश्चिम) : Mr. Deputy Speaker, Sir, having come back from Ajmar this morning, it is with a very. heavy heart that I have to speak on the floor of this House today. The Hou'ble Governor in his Address spoke about the decentralisation and power to the people to cotrol or govern themselves. But what I find in Ajmer today is absolutely contrary to anything that can be termed democracy or Government at all.

The Ajmer Municipal Council has been superseded. I am not going to discuss the reasons thereof or the legal aspects thereof, but after the supersession the Collector of Ajmer has been put in charge of the affairs of the city of Ajmer. The way he has been behaving there, I believe even the devil could not have done things which he has been able to do within a few days. It really burns my heart to see that even in Pakistan the people were not subjected to such things as the Collector of Ajmer has done to them in the last 4-5 days. Ask any Sindhi about Collector Masaud of Nawab Shah in Pakistan, and he would be able to tell you about his cruelty. Ask any Sindhi in Ajmer and he would say that what Masaud could not do to us, the Collector of Ajmer is doing with us. What havoc he has played, I am going to narrate and I expect the Government to make a reply.

He is the person in charge of the Municipal Council. From 22nd morning he goes around the city and wherever he finds anything which does not please his eyes he just asks his staff, "pull down this chhaja, pull down this cabin". Whether it is worth Rs. 2,000 or 10,000/- is a matter of indifference to him.

एक माननीय सदस्य : Encroachment.

श्री अर्जुनदास : No, I am using the words 'leased out cabins'. The people expect that when their cabins are removed, they will certainly be provided with alternate accommodation and they will be given sufficient time, say, 15 days' time to remove their cabins. Certainly, nobody could imagine that one man will come down and say, "I don't like this cabin here. Remove it at once". The Collector did not give even 10 minutes' time to the owners to remove their goods. In many of the cases the cabins were broken down.

On Saturday morning, I tried to talk to him on telephone, but right from morning 8A.M.to 10A.M. whenever I tried to contact him-and I tried a number of times-I got the reply "Sahib Bahadur Tatti Men Baithe hain". I said, "What the bloo-

(श्री अर्जुनदास)

dy hell do you mean ? Sahib Bahadur could not be in 'Tatti' right from morning to 10A. M." Anyway, the fact is, this is the reply which I got. The natural inference is that he did not like us to meet him before the whole thing was finished. You can go and see the ruins of Ajmer city today. The loss sustained by the citizens of Ajmer would not be less than 10 lakhs of rupees.

Eventually yesterday, when a good deal of mischief had been done he did give us an interview and he ordered 'ceasefire' yesterday at about 4 P. M.. But merely ordering of 'cease fire' would not do. The worst thing I find is that the person in-charge of the affairs would never go to the Muslim zone, but only to the Hindu zone.

I expect the Government to appoint an enquiry committee and see whether he proceeded well or not and if he has done something wrong, then I expect the Government to rise to the occasion and give compensation to the persons who have lost so heavily, and restore confidence in the citizens of Ajmer.

वास्तव में मुझे मालूम नहीं कि यह क्यों किया गया है ? हो सकता है कि यह आने वाले चुनाव के लिए किया गया हो। कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि अजमेर में सरकार के बड़े बड़े कर्मचारी, सरकार के मर्जीदान, सन्स एंड सन इनलॉज़ अजमेर शहर भेजे जा रहे हैं। अजमेर के वे लोग जो कांग्रेस के खिलाफ जाते हैं उनको डराने के लिए ऐसे ऐसे अफसर वहां भेजे जाते हैं ताकि जनता डर जाय और ये उनसे काम लें। लेकिन मैं यह जानता हूँ कि इस तरीके से जनता का वोट आपको नहीं मिल सकता। जनता आखिर जानती है कि डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइज़ेशन केवल स्लोगन है। हम जानते हैं कि डीसेन्ट्रलाइज़ेशन केवल कांग्रेस के लिए है, न कि दूसरे लोगों के लिए....

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : आप हिन्दी और इंग्लिश दोनों में साथ साथ क्यों बोलते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : There is no restriction on him.

श्री मूलचन्द डागा : अब ये सिन्धी में बोल सकते हैं, अपनी भाषा में।

श्री उपाध्यक्ष : No, that cannot be allowed.

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : सिन्धी में नहीं तो उर्दू में बोल लीजिये।

श्री अर्जुनदास : You should not talk so lightly specially when I am not in that mood today, since I was in Ajmer yesterday and have seen what the Municipal Council is doing there. You should be in your bounds.

I was talking about Democratic Decentralisation. ....

(श्री अर्जुनदास)

भिनाय क्षेत्र में एक रतनलाल वर्मा नाम से सरपंच चुना गया। मैं जानता हूँ कि यह रतनलाल वर्मा ऑनरेबल मिनिस्टर फोर पंचायत के खिलाफ चुनाव में खड़ा हुआ था और उसने चुनाव लड़ा था। लेकिन इसका क्या परिणाम हुआ ? गवर्नमेंट ने इसको सस्पेन्ड कर दिया; बोला, इसको सस्पेन्ड कर देते हैं। सस्पेन्ड करने के बाद दूसरा चुनाव हुआ, फिर भी वह चुनाव जीत गया और सरपंच होकर आया। मुझे कहा गया है कि ऑनरेबल हरिभाऊ ने ऑर्डर दिया कि इसको अभी तक सस्पेन्ड करके रखो और इसको अपने पद के अधिकार न दिये जायं

श्री मोतीलाल : मुंह जुबानी ऑर्डर दिया था या लिख कर दिया था ?

श्री उपाध्यक्ष : You will not disturb the debate.

श्री अर्जुनदास : They take it so lightly because all that goes to their credit. From all these things that we find to say that we have got democratic set up is a mockery by itself. We have not got democracy. Democracy is there cetainly, but only for white caps. but not for the persons in opposition. I expect the Hon'ble Leader of the House to explain why all these things are being done. Of course, Ajmer Municipal Council was superseded only when the Congress lost its hold in Ajmer. Congress Municipal party has been defeated and anti-Congress-men came in power and there comes the order that the Ajmer Municipal Council be superseded. The order was passed to us only because the Congress lost its position in Municipal affairs, and they were defeated there, and anti-Congress came into power. This has been the biggest reason in my opinion. Extension orders were passed when the Congress was in power and this order reads, "Whereas the term is expired and whereas we cannot hold election at this stage..."with one change of the word, "Therefore we hereby extend the term." After the Congress lost its position in the Municipal Council the order, the notification reads, "whereas the term has expired and whereas we cannot hold election today, therefore, we hereby supersede it with immediate effect." Could it ever be called bonafide ? Certainly not. I imagine, it was superseded only because the Congress lost its position in the Ajmer Municipal Council. Same notification, and same words afterwards, only with the one change, "Therefore we supersede it." When the Congress party looses the position, the Government of Congress issue such orders. I beleve the Government wants the people to believe that wherever the Congress cannot hold the position, the local bodies shall have to be superseded. That is the impression that you want to create upon the people. Otherwise, of course, we cannot say that there is

(श्री अर्जुनदास)

democratic institution here at all. Unless and until they vote for them they shall have no right of democratic decentralisation. Therefore, I humbly request the Government to explain to us why only those Municipal councils are superseded where the Congress looses its hold. I was told about Toda Rai Singh. I was told of Kota, and now we have been facing in Ajmer and must be in other places whose names I could not recollect. Several cases are there in the whole of Rajasthan wherever the Congress looses its hold, order of supersession comes up. Where the position is different people get extension. Of course, no law exists. People have also risen to express this. I expect of the Government, on behalf of the citizens of Ajmer, I demand an impartial enquiry to see whether he has really done what he should not have done? Whether he should have demolished after notice or without notice' or whether he has shown any discrimination or not? And if the Government feels. he has really done what he should not have done, I expect the Government would remove him immediately from the city of Ajmer and also grant the compensation to those who suffered losses heavily. Otherwise, it would jeopardize the Government and Congress or either of them.

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के उपलक्ष में जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, उसके पक्ष में मैं भी अपनी राय प्रगट करना चाहता हूँ। वास्तव में जब हम इस अभिभाषण को देखते हैं और इसमें जो सरकार द्वारा किये गये पिछले कार्यों के सम्बन्ध में जिक्र देखते है तो उससे हमें बहुत खुशी होती है। सही बात तो यह है कि अगर पिछला इतिहास देखते हैं, जब से जनता का राज्य राजस्थान में कायम हुआ है तो मालूम होता है कि कांग्रेस सरकार की तरफ से आहिस्ता आहिस्ता इस स्टेट के विकास के सम्बन्ध में प्रगति की गई है। उसको शुरू से लेकर आखिर तक देखते हैं, पिछले नौ सालों के इतिहास को देखते हैं तो वास्तव में एक सुन्दर चित्र हम देखते हैं। वास्तव में राजस्थान प्रान्त पिछड़े हुए राजवाड़ों का बना था, जो कि २२ रजवाड़े थे, उनमें कोई काम नहीं होता था और अच्छी तरह देखें तो मालूम होगा कि राजस्थान का इलाका एक पिछड़ा हुआ इलाका था। उसी राजस्थान की जनता की आहिस्ता आहिस्ता प्रगति हुई है। वह प्रगति इतनी हुई है कि कम से कम आज इस स्थिति में हैं तो सारे हिन्दुस्तान को देखते हुए यह कहने की स्थिति में हैं कि राजस्थान हर दृष्टिकोण से हिन्दुस्तान में प्रथम स्थान पाता है। इसी राजस्थान को नौ दस साल पहले सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ स्टेट माना जाता था, यहां के लोग सबसे ज्यादा पिछड़े हुए माने जाते थे, यहां के किसान सबसे ज्यादा गरीब माने जाते थे। जब हिन्दुस्तान गुलाम था, उस वक्त यहां के लोग बहुत ज्यादा गुलाम थे। आजादी के पहले इस स्टेट के अन्दर आदमी बिकते थे। आजादी के बाद के इतिहास को देखते हैं....

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : आज ईमान बिकता है।

श्री मोतीलाल : तो हम स्पष्ट देखते हैं कि १० साल के अन्दर कांग्रेस की हुकूमत ने बहुत उन्नति की है, जिसका कोई पेरेलल स्टेट नहीं मिल सकता, जिसके कम्पेरिज़न में कोई टिक नहीं सकता। इस दृष्टिकोण से देखते हुए मुझे खुशी होती है और, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा राजस्थान सरकार को बधाई देता हूँ। सही रूप से देखें तो नौ दस साल से काम करते हुए आज इस स्थिति में आ गये हैं कि सही स्थिति में समाजवादी समाज का नक्शा हम देख सकते हैं। हो सकता है कि बहुत सी कमियां काम करने में हों, बहुत सी त्रुटियां रह गई हों, लेकिन हम उसको जब विशाल दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमें यह मालूम होता है कि हम समाजवादी समाज के ढांचे को सही रूप से राजस्थान में लाने में कामयाब हो सकते हैं। समाजवादी समाज का ढांचा देश में लाने के लिए आर्थिक स्थिति सुधारने की जरूरत है, समाजिक स्थिति सुधारने की जरूरत है। राजस्थान में इस सुन्दर व्यवस्था को कायम करने के लिए व्यवस्था की गई है जो कि हिन्दुस्तान के दूसरे प्रान्तों के लिए एक अच्छा उदाहरण है। अभी हमारे अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, राजस्थान में विकेन्द्रीकरण की चर्चा करते हुए और उनसे पहले अन्य माननीय सदस्यों ने भी विकेन्द्रीकरण के सम्बन्ध में अपनी अपनी राय जाहिर की कि राजस्थान सरकार ने इस संबंध में कितनी उन्नति की है? मैं इसके लिए राजस्थान के गवर्नर महोदय को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने अभिभाषण में इसका जिक्र किया और मैं ही नहीं बल्कि राजस्थान का हर नागरिक, हिन्दुस्तान का हर नागरिक उनको इसके लिए धन्यवाद देगा। डिसेन्ट्रलाइजेशन के सम्बन्ध में, विकेन्द्रीकरण के सम्बन्ध में राजस्थान ही पहला स्टेट है, जिसने इस काम में सफलता प्राप्त की है। ठीक है कानून में एक–दो गलतियां हों। कानून बना उसके बाद एक–दो ऑफिसरों ने गलती की होगी, लेकिन सात हजार पंचायतों के चुनाव का काम मामूली काम नहीं है, सात हजार पंचायतों के चुनाव निर्विवाद करना ममूली बात नहीं है। इतने पंच और सरपंचों का चुनाव करने के बाद पंचायत समितियों का निर्माण किया गया, इसके बाद जिला परिषदें बनी हैं। हो सकता है विरोधी दल बहुत कोशिश करने के बावजूद भी किसी एक जिले को हाथ में न ले सका। इसलिए उसको क्रोध हो सकता है। लेकिन उनको क्रोध नहीं करना चाहिए, उनको दुःख नहीं करना चाहिए, वे काम करते रहें विकास कार्य में, धीरे धीरे वे हाथ में ले सकते हैं। उनको मिल सकता है। इस दृष्टिकोण से वे विरोध करें। पंचायत चुनाव के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि कानून के अन्तर्गत काम करते हुए चुनाव हुए हैं हर गांव में। हमारे गांवों की जनता को कानून के अनुसार अधिकार मिले हैं, जब कि आजादी के पहले हमारी जनता की हालत यह थी कि उनको कोई अधिकार नहीं थे, स्टेट्स की कोई पॉलिसी नहीं थी। फिर वे कह रहे हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। अफसोस है कि ऐसी बात सुननी पड़ रही है लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जरुर कहूंगा कि सरकार ने कदम उठाया है, लैंड पॉलिसी के संबंध में, शिक्षा के सम्बन्ध में कदम उठाया है, आर्थिक व्यवस्था को दृढ़ करने के सम्बन्ध में कदम बढ़ाया है और हम देखते हैं कि प्रगति

(श्री मोतीलाल)

हो रही है। दूसरे स्टेट्स के मुकाबले में अच्छी प्रगति हो रही है। राजस्थान के पिछले नौ दस सालों को ले लेते हैं और कम्पेरिटिली फिगर्स देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि प्रगति हुई है।

इसके साथ कुछ संशोधन सुझावों के रूप में सरकार के सामने रखना चाहूँगा। विकेन्द्रीकरण का पूरा काम करने के बाद में आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये हमें काम करना है। इसमें सरकार ने जो कदम उठाया है वह ठीक है, पर फिर भी कुछ काम बाकी रह गये हैं। वे यह हैं कि हमारी स्टेट एक एग्रीकल्चरल स्टेट है, यहां की ८० प्रतिशत जनता खेती पर निर्भर करती है; उसमें से भी ५० प्रतिशत जनता पशुपालन पर भी रहती है, बाकी बची हुई २० प्रतिशत है वह व्यापार और नौकरी वगैरह का धन्धा करती है। खेती पर निर्भर करके भी यदि हम एग्रीकल्चर की तरक्की नहीं करते हैं तो यह ठीक बात नहीं होगी, यहां उद्योग पनपा कर, डेवलपमेंट करके ही तरक्की कर सकते हैं; खास कर राजस्थान में जहां पर ८० प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर करती है, साल भर में केवल ६ महीने ही यहां के लोग काम करते हैं और ६ महीने बैठे रहते हैं, उनके अन्दर जो शक्ति है, काम करने की ताकत है वह बेकार पड़ी रहती है। यदि इनको काम मिल जाय तो ये देश को और भी आगे बढ़ा सकते हैं। इससे अच्छा मौका राजस्थान के सिवा हिन्दुस्तान की और किसी भी स्टेट को नहीं मिलेगा। सारे हिन्दुस्तान के चक्कर लगा लीजिये, किसान अपनी पुरानी गाड़ी को वही लकड़ी के पुराने चक्के लेकर चला रहा है। राजस्थान में किसान बदला है, रबड़ के पहिये लगा रहा है, बस आर्थिक स्थिति सुधरने की बात है। यहां का किसान हिन्दुस्तान के और और जगहों के किसानों से मजबूत है, काम करने को तैयार है पर उसके लिये काम नहीं है। उसके पास केवल ६ महीने का काम है, साल के बाकी ६ महीनों में वह बेकार बैठा रहता है। नागौर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, जालौर, बाडमेर, इन सभी जिलों में किसान ६ महीने काम करने के बाद में बैठा रहता है। उनको यदि कुटीर उद्योग, छोटी इन्डस्ट्रीज़ काम करने को मिल जाय, बिजली पहुंच जाय तो बड़ी तरक्की कर सकते हैं। भरतपुर से आनेवाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि इन्डस्ट्रीज़ के अभाव में राजस्थान में तरक्की नहीं हुई है। बाडमेर से आनेवाले माननीय सदस्य ने कहा कि दो साल सुनते सुनते हो गये कि फर्टीलाइज़र फैक्ट्री खुलेगी, पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। वे मुझे माफ करें, मैं तो कहता हूँ कि हमें सरकार को धन्यवाद देना चाहिये कि हमको फर्टीलाइज़र फैक्ट्री मिली है, यह खुशी की बात है, वरना हमें तो सन्देह था कि फर्टीलाइज़र फैक्ट्री हमें नहीं मिलेगी। काम शुरू करने का लाइसेंस भी मिल चुका है, पर बड़ी इन्डस्ट्रीज के साथ साथ हमें छोटी छोटी इन्डस्ट्रीज को भी चलाना है। बड़ी इन्डस्ट्रीज़ में अधिक फायदा केपिटलिस्ट्स को ही होगा, हमारे राजस्थान में केपिटेलिस्टों का किसी भी तरह का भय नहीं था, अभी तक यहां इम्पीरियलिज्म और फ्यूडेलिज्म का भय था, पर राजस्थान की जनता पर केपिटेलिज्म का भय नहीं था, बाहर बम्बई में, कलकत्ता में उनका आतंक था, पर आज बड़ी इन्डस्ट्रीज़ के अन्दर प्राइ-

(श्री मोतीलाल)

वेट सेक्टर में वे ही लोग हैं जो हिन्दुस्तान के बड़े से बड़े पूंजीपति हैं, जो बड़े पूंजीपति होने के साथ साथ प्रमुख शोषक भी हैं, इन्डस्ट्रियलिस्ट्स हैं। ऐसी दशा में यहां बड़ी इन्डस्ट्रीज खोलते हैं तो सरकार को ध्यान रखना चाहिये कि ये लोग मज़दूरों का शोषण करने में समर्थ न हो सकें। लेबर पॉलिसी के बारे में इनसे पहले ही एग्रीमेंट हो जाना चाहिये कि लेबरर्स के सम्बन्ध में इनकी क्या नीति रहेगी, ताकि बाद में लेबर के लिये महकमा खोल कर सरकार को खर्चा न करना पड़े।

कोई भी कैपिटलिस्ट पूरी की पूरी अपनी ही पूंजी लगा कर इन्डस्ट्री नहीं चलाता, वह सरकार से इन्डस्ट्री चलाने के लिये लोन लेता है। जब सरकार जनता के रुपयों का लोन देती है, तो उनके साथ हमारा एग्रीमेंट हो जाना चाहिये लेबर के बारे में। इसके अलावा भी मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि बड़ी इन्डस्ट्रीज़ की तरफ सरकार को लालायित नहीं होना चाहिये, छोटी छोटी इन्डस्ट्रीज़, कोटेज इन्डस्ट्रीज़ को प्रोत्साहन दें, इनको चलायें ताकि लेबर की प्रोब्लम नहीं आये, पूंजीपति और मजदूरों की लड़ाई न हो। इसके अलावा बड़ी इन्डस्ट्रीज में आनेवाले किसान खेती छोड़ कर शहरों में आने वाले हैं, किसान से मजदूर बनने वाले है, इससे हमारी खेती में नुकसान होगा। उनके शहर में आकर बस जाने से शहरों की समस्या सरकार के सामने आयेगी। उनके लिये हॉस्पिटल्स वगैरह, पर सरकार को और अधिक खर्चा करना पड़ेगा। इससे अच्छा तो यह है कि वे लोग खेती भी कर लें और ६ महीने बैठे रहते हैं उस समय में इन कोटेज इन्डस्ट्रीज़ में, इन छोटी छोटी इन्डस्ट्रीज़ में काम करेंगे, खेती भी होती रहेगी और ६ महीने जब ये फालतू बैठे रहा करते हैं उन दिनों में काम भी करते रहेंगे। इनके लिये बनने वाले नये शहरों पर और हॉस्पिटल्स पर भी सरकार को खर्चा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि गांवों में लोग तन्दुरुस्त रहते हैं। इस तरह सरकार को हाउसिंग इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना पड़ेगा। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि इन्डस्ट्रीज़ के बारे में डीसेन्ट्रलाइजेशन का कदम उठायें। हमको हमारी पॉलिसी चेन्ज करनी चाहिये और कोटेज इन्डस्ट्रीज़, स्माल इन्डस्ट्रीज़ को प्रोत्साहन देना चाहिये।

तो माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपकी मार्फत सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि जिस गति से इन्डस्ट्रीज़ चल रही हैं, ठीक चल रही हैं, इसको मैं प्रशंसा करता हूँ। पर साथ ही मैं यह कहूँगा कि बड़ी बड़ी इन्डस्ट्रीज़ के बजाय छोटी छोटी इन्डस्ट्रीज़ को गांवों में प्रोत्साहन दें ताकि गांवों के किसानों को बाहर न जाना पड़े और वे घर का काम भी करते रहें और इन छोटी २ इन्डस्ट्रीज़ में भी काम करते रहें। ६ महीने जब कि वे लोग बेकार बैठे रहते हैं उस समय में उनको काम भी मिल जायगा।

खेती सम्बन्धी एक बात मेरे ध्यान में आती है वह यह है कि पंजाब और यू० पी०

(श्री मोतीलाल)

में अच्छी खेती होती है पर पंजाब और यू. पी. की खेती हमारे पशु–पालन पर निर्भर करती है। पंजाब सरकार अपने यहां हिसार सेन्टर में २० साल से हमारे राजस्थान के पशुओं का ब्रीडिंग करने की कोशिश कर रही है, पर आज भी उसको हमारे राजस्थान के बैलों और ऊंटों पर निर्भर करना पड़ता है। सेकिन्ड फाइव इयर प्लान में और थर्ड प्लानिंग में देखेंगे तो पता चलेगा कि इस सम्बन्ध में सरकार उदासीन तो नहीं, पर कम खर्चा कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब दूसरी पंचवर्षीय योजना चल गई है। उसमें हुआ सो हुआ और तीसरी योजना शुरू हो रही है। इस योजना में ५ करोड़ रुपया पशु-पालन के लिये दिया गया है। जब कि ५० प्रतिशत लोग अपना निर्वाह पशु-पालन पर करते हैं और उनकी आजीविका चलती है। वे खुद पशु-पालन नहीं करते हैं, मगर इस देश में ८० प्रतिशत जनता किसान है और वे सब पशुओं पर डिपेन्डेन्ट हैं। जब उनके पास अच्छे बैल होते हैं तो वे उनसे खेती जोतते हैं। यू. पी. और पंजाब के लोग इन्हीं से खेती करते हैं। ये बैल गाड़ियों में चलते है और इनसे लोग खेती करते हैं। यों कहा जाय तो सारे हिन्दुस्तान का १।४ हिस्सा पशुओं पर निर्भर करता है। राजस्थान का पशु-धन यू. पी., पंजाब और उसके आगे भी कई देहातों तक पहुंचता है। हमारे यहां नागौर का मेला भरता है और हर प्रान्त के लोग यहां बैलों को लेने के लिये आते हैं और हमारे नागौर के बैल और ब्रीडिग सब जगह पहुंच जाती है। इस तरह से भारत की १।४ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट राजस्थान के पशुओं पर डिपेन्ड करती है। इस पर तीसरी पंचवर्षीय योजना में ३ करोड़ से ५ करोड़ तक धन-राशि रखी गई है। सरकार इस तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो कुछ खर्च करेगी वह तो ठीक है और जो पशु-धन पर खर्च करेगी वह ठीक है लेकिन हमारी सरकार को भारत सरकार के पास एप्रोच करना चाहिये कि जो पशुओं में रोग फैलता है उसके लिये प्रबन्ध राजस्थान सरकार और भारत सरकार दोनों को करना चाहिये। इस ब्रीडिंग पर हमारे देश की उन्नति बहुत कुछ निर्भर है।

इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक–दो बातों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा और मेरे ख्याल से सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिये और वह यह है कि पशुओं को पानी पीने के प्रबन्ध के बारे में कोई सरकारी व्यवस्था नहीं है। म्युनिसिपैलिटीज़ में लाखों आदमी रहते हैं, वहां के लिये दो करोड़ का प्लान बनाया है; मगर जहां पर शहर के आदमी रहते हैं उनके लिये है। मैं मानता हूँ कि शहर के लिये ज्यादा खर्चा करना पड़ता है क्योंकि उन लोगों के लिये नल और बिजली भी चाहिये और दूसरा प्रबन्ध भी अच्छा होना चाहिये, परन्तु सारे राजस्थान में पशुओं के लिये पानी पीने का प्रबन्ध नहीं है। राजस्थान में जो पानी पिलाने के लिये कुएं है उनमें बहुत खर्चा आता है। एक आदमी पर १० रु० पानी के आते हैं। इसके अलावा जब अकाल पड़ता है तो उनकी हालत और भी खराब हो जाती है। बाडमेर और नागौर में जब अकाल पड़ता है तो वहां के पशु-धन को बाहर जाना

(श्री मोतीलाल)

पड़ता है और उससे आधे पशुओं की हालत खराब रहती है। उनको बहुत दूर तक जाना पड़ता है। जिस समय अकाल पड़ता है तो उसमें आदमी मर जाते हैं और पशु भी मर जाते हैं। अभी जब अकाल पड़ा तो लोग अपने पशु-धन को लेकर मालवे गये। कोटा में तीन आदमी मर गये। काफी पशु-धन मर गया और काफी की हालत खराब हो गई। अगर उनके लिये कोई हमारे यहां फोडर आदि का प्रबन्ध होता तो वे क्यों जाते और क्यों मरते ? पशु-धन हमारे देश का धन है। बाहर की दुनियां में पशुओं को कोई तकलीफ नहीं होने दी जाती है। इसके लिये एनिमल हस्बेन्ड्री की एक साइन्स है। अमेरिका आदि में पशुओं को जिस समय मेले आदि में ले जाया जाता है तो उनको ट्रकों में डाल कर ले जाते हैं, मगर हमारे यहां के पशुओं को जिस समय मेले में जाना होता है तो १५० या दो सौ मील पैदल ही ले जाया जाता है। उनके लिये कोई पीने के पानी का और चराई का प्रबन्ध नहीं किया जाता है। जैसा मैंने कहा कि हिन्दुस्तान की १।४ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इस पर निर्भर है, इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इसके लिये फोडर बैंक की व्यवस्था हो, क्योंकि इस पर जो एग्रीकलचर पर इन्डस्ट्रीज़ बेस करती हैं, वे सब इसी पर निर्भर हैं। अब रही यह बात कि अगर पशु-धन नहीं होगा तो हम ट्रेक्टरों से खेती कर लेंगे। मगर मैं यह निवेदन करूंगा कि पशु मर जावेंगे तो आपकी जो इन्डस्ट्रीज़ हैं वे आगे आने वाले दो वर्षों तक आपको पूरे ट्रेक्टर नहीं दे सकेंगी और नतीजा यह होगा कि पशु-धन के मर जाने पर दो वर्षों तक लोग खेती नहीं कर सकेंगे। ऐसी हालत में अगर हम यह थिंकिंग करें कि पशु-धन मर जावे या हमारे पशुओं की ब्रीड खराब हो जावे तो भी परवाह नहीं। हम ट्रेक्टरों से काम चला लेंगे, यह संभव नहीं होगा।

मैं यह निवेदन करूंगा कि यहां पर पशु-धन के लिये जो ५ करोड़ रुपया रखा गया है वह कम है और इसके लिये दूसरे कई आइटम्स ऐसे हैं जिनको कमजोर आप भले ही कर लें लेकिन पशु-धन पर ज्यादा खर्च करने की आवश्यकता है। गांवों में किसान रहते हैं और वे खेती पर निर्भर हैं। जिस समय अकाल पड़ता है उस समय उनके पशुओं को पीने के लिये पानी और खाने को फोडर नहीं मिलता। अगर उनको फोडर और पानी का प्रबन्ध मिल सके तो वे वहीं रह सकते हैं और इससे पशु-धन की हानि नहीं होगी। यह समस्या ५ जिलों की तो है ही, इसको ठीक कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं इस सम्बन्ध में और कहना चाहता हूँ। मुझे हालांकि इसके डिटेल्स मालूम नहीं हैं मगर फिर भी मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि हिन्दुस्तान में टोबेको प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिये डेवलपमेंट बोर्ड बना है। वह लेन्ड सबसिडी और सीड्स देते है और एडवाइज़ भी देते हैं। मगर हमारे यहां राजस्थान में इस प्रकार का कोई प्रबन्ध नहीं है। कोई किसानों को एडवाइज़ नहीं दी जाती है न कोई सहोयोग है, बल्कि तकलीफ ही है। यहां पर सबसे बड़ी दिक्कत पानी की आती है और वहां पर पानी नहीं मिलता क्योंकि रेगिस्तान में पानी पहले तो है ही थोड़ा। मगर फिर भी किसान इसको

(श्री मोतीलाल)

खेती करते हैं और जिस समय इसको बाजार में बेचते हैं तो उनको बहुत नुकसान रहता है। मूल में भी उनको घाटा रहता है। जैसे मूल है ३४ रुपये का, तो उस पर टैक्स ४० रुपये हैं। ऐसी हालत में जो किसान रेगिस्तान में खेती करते हैं उनको इससे कोई फायदा नहीं होता। अच्छा तो यह हो कि टोबेको की खेती यहां बन्द कर दी जाए। तम्बाकू के लिये बोर्ड है जो सब तरह का लोन लोगों को देता है मगर हमारे यहां पर कुछ नहीं देते और टैक्स बहुत ज्यादा लिया जाता है। इसलिये आपसे यही निवेदन है कि आप भारत सरकार से एप्रोच करें कि रेगिस्तान में पानी १५० या २०० फीट नीचे मिलता है, उसको देखते हुए उन पर जो टैक्स की रेट है वह कम होनी चाहिये।

इसके साथ साथ मैं विकेन्द्रीकरण के बारे में थोड़ा सा निवेदन करूंगा। इससे रूरल एरियाज़ में प्रगति होगी। वहां पर चाहे आप प्रगति खेती से करें या किसी इन्डस्ट्री से करें लेकिन बिना बिजली के कुछ नहीं बनने वाला है। कोई भी इन्डस्ट्रियेलाइज्ड देश हैं, जैसे अमेरिका, कनाडा, जर्मनी किसी को भी आप ले लें। गांवों में विकेन्द्रीकरण के बाद बहुत दिलचस्पी लेनी चाहिये और इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिये कि वहां के लोगों को जो गांवों में रहते हैं उनको सस्ती बिजली मिले तभी उनको उन्नति और प्रगति हो सकती है। खेती के लिये भी पानी चाहिये। जब बिजली उनको मिलेगी तो उनको पानी आसानी से मिलेगा कुओं पर बैल की जोडी रखने की जरूरत नहीं होगी। हजार, डेढ़ हजार में उनको यह सुविधा मिल सकेगी। जब जोड़ी की जरूरत नहीं तो फीडर की भी जरूरत नहीं रहेगी और उसके लिये दो आदमी भी चाहिये, उसकी भी जरूरत नहीं रहेगी।

एक माननीय सदस्य : फिर आपका पशु-धन कहां जावेगा ?

श्री मोतीलाल : पशु-धन दूसरा काम करने जावेगा।

एक माननीय सदस्य : पशु-धन बेकार हो जावेगा।

श्री मोतीलाल : पशु-धन कम है और बेकारी बहुत है। जिस प्रकार बेकारी बहुत है उसी प्रकार बेकार पशु बहुत हैं और जिस पशु-धन की कीमत है जिसकी हमें जरूरत है वह बहुत कम है। आज हम देखते हैं कि गायों के दूध सेर, डेढ़ सेर होता है; मगर होना चाहिये एक मन। कनाडा को छोड दीजिये, दूसरे देशों में उनको बेटर फीड करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : But you were speaking on rural electrification.

श्री मोतीलाल : रूरल एरियाज़ में बिजली का होना बहुत जरूरी है। इसके बगैर किसानों को कुओं से सस्ता पानी नहीं मिल सकता। इसके अलावा बिजली की ज्योति से उनको ज्योति मिलती है और वे यह सोचने लगते हैं कि हमारे गावों में भी बिजली है। हमें जो काम करना है करें। यह जरूर है कि गांवों के आदमी बिजली को काम में लेना नहीं जानते हैं लेकिन उसको

(श्री मोतीलाल)

जल्दी ही सीख सकते हैं। आप देखेंगे कि बाहर जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं उनमें सब गांवों के मजदूर ही काम करते हैं, जितने शहर के नहीं करते। अहमदाबाद आदि की जितनी भी कपड़े की मिलें हैं उनमें ५० प्रतिशत गांवों के लोग काम करते है और जिनमें ज्यादा हरिजन हैं। उसके बाद में कलकत्ता की इन्डस्ट्रीज़ बिहार के मजदूरों पर निर्भर करती हैं। इसलिए हमको बिजली गांवों में ले जाना बहुत जरूरी है, चाहे बडी इन्डस्ट्रीज़ बन्द भी रहें। जिन्क के लिए हम कहते हैं कि यदि इसको बिजली नहीं मिली तो हमारे फोरिन एक्स्चेन्ज में कमी आयगी। लेकिन यदि उसको बिजली देना बन्द भी कर दिया जाय तो कोई खास हमारा नुक्सान नहीं होगा क्योंकि यदि गांवों को बिजली मिलती है तो उससे गांवों में प्रोडक्शन बढ़ेगा, इकोनोमिक कन्डीशन देश की सुधरेगी, गांवों में स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। जिन्क की फेक्टरी फोरिन एक्स्चेन्ज पैदा करने के लिए है, यह कितना ही कहिये लेकिन उससे देश को उतना फायदा नहीं होगा जितना कि गांवों को बिजली मिल जाने से देश का फायदा होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पांच मिनट में ही अपने भाषण को समाप्त कर दूंगा।

मैं इसके बाद माननीय सरकार से निवेदन करना चाहूँगा शासन-व्यवस्था के सम्बन्ध में। जहां तक शासन–व्यवस्था का सम्बन्ध है, उसका सवाल है, हम जनता का राज्य देश में कायम कर चुके हैं, हर एक राज्य में कायम कर चुके हैं और हमारे यहां गांव और राज्य के बीच 'जिला परिषद्' कायम करके एक लिन्क भी बना चुके हैं। मैं सिर्फ आपका एक बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। जितनी सरकार की नीति है उसको जनता के, गांवों के लोगों ने ग्रहण किया है किन्तु सरकारी अफसरों ने नहीं किया है।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : उनको किस तरह से ग्रहण कराया जाय यह भी कह दीजिये।

श्री मोतीलाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़े अधिकारियों का नाम नहीं लेता हूँ। वे नीति को एग्ज़ीक्यूट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन शासन के जो छोटे अधिकारी हैं उनका रिओरियेन्टेशन करने की आवश्यकता है; जैसे पुलिस के आदमी हैं, वे विकास के कार्य को कुछ नहीं जानते हैं। जैसे रेवेन्यू का महकमा है। तहसीलदार को पूछ लीजिये कि what is the Third Five Year Plan. वे कुछ नहीं जानते हैं उसके सम्बन्ध में। जिस फौज की मार्फत हम शासन के जिस ढांचे को बदलना चाहते हैं उनमें रिओरियेन्टेशन की जरूरत है। सरकार के परमानेन्ट कार्य करने वाले है, परमानेन्ट रूप से वे हैं, वे ही काम चलाने वाले हैं, पढ़े–लिखे लोग भी हैं। उनको होल टाइम काम करने के लिए पैसा मिलता है। एक साथी ने कहा कि उदाहरण दीजिये। मैं एक उदाहरण देता हूँ। ग्राम पंचायत कानून में यह प्रावधान है कि ग्राम पंचायतों के जरिये फेमीन वर्क कराया जाय। लेकिन यह तहसीलदार की मार्फत कराते हैं। जैसे गोचर भूमि मिलनी चाहिये। कोई जगह नहीं मिलती है। इसलिए आप थोड़ा सा

(श्री मोतीलाल)

रिओरियेन्टेशन करायें । इसलिए उनको एजुकेट करने के लिए, उनमें इस ओर भावना बढाने के लिए सेमिनार करायें । इस प्रकार से उनको इन कार्यों के प्रति जानकारी मिलेगी।

मैं एक और निवेदन करना चाहूँगा, और उसके पश्चात् इसको समाप्त करूंगा । हम मानते हैं कि शिक्षा में प्रगति की है । लेकिन समाज शिक्षा में एक चीज़ की कमी मैं देखता हूँ । समाज शिक्षा के बारे में हम उदासीन हैं । उदासीन तो नहीं कह सकता लेकिन कुछ हद तक हैं । हर ब्लॉक के ए. सी. ओ. हैं । वे खुद ही ट्रेन्ड नहीं हैं, वे समाज शिक्षा का क्या कार्य कर सकते हैं ? समाज शिक्षा का बड़े से बड़ा रोल यदि कोई प्ले करते हैं तो वे सिनेमा करते हैं । हजारों आदमी सिनेमा जाते हैं । शिक्षा क्या मिलनी चाहिये, देश को उन्नति के लिए क्या काम करने चाहियें, विकेन्द्रीकरण क्या है, सिटीज़न्स का राइट क्या है, यह सिनेमा में नहीं मिलता है । ऐसी ऐसी पिक्चर्स दिखायी जाती हैं जिनके बारे में इस समय यहां कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जो हम प्रगति लाना चाहते हैं वह उनके द्वारा नहीं ला सकते । इसलिए मैं तो कहता हूँ कि राजस्थान में सारे सिनेमाज़ को नेशनेलाइज़ कर लेना चाहिये । ऐसी फिल्में दिखायी जानी चाहिये जिनसे आनन्द भी मिले, रिक्रियेशन भी हो, और देश के प्रति कुछ काम करने की भावना की जिनमें व्यवस्था मिले ।

मैं इतना ही कह कर हाउस से निवेदन करूंगा कि इस धन्यवाद के प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार करें और पास करें ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुवीरसिंह ।

(२.०५) म. प.

श्री रघुवीरसिंह (राजगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमन् राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को पढ़ने और विचार करने के बाद मुझे नीति का एक वचन याद आया ।

"असंतुष्टाच द्विजा नष्टा; संतुष्ट चश्महिपति:।
लज्जा गणिका नष्टा:, निर्लज्जा कुलवधु: ॥"

तो मैं देख पाया हूँ कि यहां जो महिपति हैं, शासक हैं, वह एक ही बात है । किसी शासक का संतुष्ट हो जाना, अपनी एफिशियेन्सी पर नाज करना, अपनी योग्यता पर, नाम पर दाद देना; यह उसके नाश का कारण है । तो मैं इसलिए निवेदन करूंगा....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री) : वह श्लोक दुबारा बोल दीजिये ।

श्री रघुवीरसिंह : "असंतुष्टाश्च द्विजा नष्ट:" असंतुष्ट ब्राह्मण नाश को प्राप्त होता है । "संतुष्टश्च महिपति:" और शासक यदि संतुष्ट हो जाय कि हमको जो करना चाहिये था वह कर लिया तो इस दृष्टि से वह भी नाश को प्राप्त होता है । "लज्जा गणिका नष्टा:" यदि गणिका को लज्जा आ जाय तो वह भी नाश को प्राप्त होती है. और "निर्लज्जा कुल वधु:" यदि कुल वधु के लाज न हो तो वह भी नाश को प्राप्त होती है ।

तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस भाषण में मैंने बहुत तलाश किया तो यह

(श्री रघुवीरसिंह)

कहीं नहीं मिला कि हमारे राज्यपाल महोदय या राज्य सरकार को अपने कारनामों पर कोई कमी मालूम पड़ी हो जिनमें कोई तरक्की करनी शेष हो, सब ही जगह यह है कि यह कर लिया, वह कर लिया....

श्री उपाध्यक्ष : 'सदस्य भाषण देकर संतुष्ट हो जाय' यह ऐड कर देना चाहिये।

श्री रघुवीरसिंह : इसलिए मैं निवेदन करूं कि काफी तलाश की इस भाषण में कि कौनसी बातें हैं जिन पर संतोष कर सकें कि किसी हद तक मंजिल पार करली है । जहां देखा कहीं नहीं मालूम हुआ । कहीं संतोष होने का सवाल ही नहीं है । सबसे बड़ी चीज़ जिसके सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय के भाषणों में निरन्तर सुनते आये हैं कि हमारे नाज की उपज, गल्ले की उपज निरन्तर राजस्थान में बढ़ती जा रही है । बढ़ी होगी तो आंकड़ों में, घरों से कलेक्ट किये गये जो आंकड़े हैं उनमें उपज बढ़ी होगी, लेकिन जो जनता पर प्रभाव पड़ रहा है, जनता पर जितनी मंहगाई पड़ रही है और नाज की मंहगाई का जो जनता पर प्रभाव पड़ रहा है, अगर मार्केट को जाकर देखें तो पता चलेगा कि चने जैसे मोटे अनाज का भाव १८) रु०, २०) रु० मन है । पिछले साल बड़े जोर शोर से फूड एडवाइज़री कमेटी बनी, फूड का डिपार्टमेन्ट बना और डिपार्टमेन्ट द्वारा डिसीज़न लिया गया था । उन्होंने कहा कि बंपर स्टॉक्स होंगे और जहां कहीं नाज की कमी होगी, मंहगाई आवेगी तो सरकार अपने उन स्टॉक्स को खोल देगी और अनाज सस्ता कर देगी। बावजूद उन बातों के वे सारी स्कीमें सेक्रेटेरियेट के मुआफिज़ खाने में बन्द हो गई हैं; उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है । न तो अनाज खरीदा गया और न ही जनता को दिया गया, मंहगाई बढ़ती जाती है । एक तरफ तो साल–दर–साल यह कहा जाता है कि अनाज की उपज बढ़ी है, हम सेल्फ सफिशियेन्ट हो जावेंगे और दूसरी तरफ देखते क्या हैं कि मंहगाई मुंह फाड़े हुई है ।

इसके अतिरिक्त दूसरी बात मैं देख रहा हूँ उपाध्यक्ष महोदय, वह है हमारी पर केपिटा इनकम । जिसके लिये यह कहा कि १।४ या १।५ बढ़ गई है, लेकिन इसके मुकाबले हम मंहगाई को देखते हैं तो ये रेट्स कुछ भी मालूम नहीं पड़ते । इनकम के मुकाबले हमारा जो खर्चा है वह बहुत ज्यादा बढ़ा है इसलिये यह जो पर–केपिटा इनकम की बताई गई है वह बिल्कुल नगण्य है ।

एक बात जिसको लेकर काफी प्रचार किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हमने बहुत बड़ा अचीवमेन्ट किया है राजस्थान में हमने नया परीक्षण किया है वह डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रलाइज़ेशन का । जिसमें हमारी पंचायतों के हजारों पंच और पंचायत समितियां और जिला परिषदों का चुनाव भी है । जहां तक पंचायतों के चुनावों का सम्बन्ध है राज्यपाल महोदय ने जिन बातों का जिक्र किया है उनको मैं भी सपोर्ट करता हूँ और यह मानता हूँ कि पंचायतों के इलेक्शन में लोगों ने अच्छी दिलचस्पी बतलाई है। पर्सेन्टेज ऑफ इलोक्टोरेट बहुत ज्यादा आया है । लेकिन पंचायतों के चुनावों के बाद सरपंचों के चुनाव की जो तसवीर सामने आयी है वह तसवीर ऐसी थी जिसको देखकर–सुनकर

Page No.65

(श्री रघुवीरसिंह)

कान खड़े हो जाते हैं। जो सरपंच दो हजार वोटर्स के नुमायन्दे होते हैं उनको किसी किसी जगह पर मुर्गा बना कर रखा गया, किसी जगह बकरों की संज्ञा दी गई। उनको बाजाब्ता कस्टडी में रखा गया और कस्टडी में रखने में किन किन अबेटर्स का हाथ था, उनमें हमारे मिनिस्टर साहबान, एम० एल० एज़०, एम० पीज़०; उन्होंने मिल कर उनको ताले में रखा, जैसे उन्होंने यह मान रखा हो कि हमारे कब्जे में आज दो मुर्गे हैं या दो बकरे हैं। आखिर यह जो सरपंचों के चुनाव में हुआ है वह सोचने और विचारने का विषय है। जो व्यक्ति दो हजार वोटर्स द्वारा चुन कर आता है आज उस सरपंच की कितनी कद्र रही है, यह सोचने का विषय है। इससे जन-तन्त्र को बड़ा भारी खतरा हो गया है। मैं तो यह देखता हूँ कि कई जगहों पर हमारे अलवर जिले का ही उदाहरण है। कई एक उम्मीदवार थे उनको मोटरों में बैठा कर चन्डीगढ़ की सैर करा लाये और जिस वक्त वोटिंग शुरू हुआ उनको उपस्थित कर दिया। पांच–सात दिन घुमा–घुमा कर बूथ के सामने उतार दिया।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : इसी तरह से तो विकास होता है।

श्री रघुवीरसिंह : इस प्रकार से आज उनका विकास हो रहा है। ताज्जुब इस बात का है कि जो हमारे सरपंच कहलाते हैं, जिनके ऊपर आज सारा भार आने वाला है एडमिनिस्ट्रेशन का, हमारी उन्नति करने का उनका नैतिक स्तर आज इतना गिरा हुआ है, आज उनमें इतना चारित्रिक बल नहीं है वे अपने आपको इन कस्टोडियन्स से बचा सकें। आज उनकी कद्र नहीं है, केवल उनको बकरों और मुर्गों की तरह ताले में बन्द कर दिया जाता है। आखिर इसका कारण क्या है? मैंने इस पर अन्दाज लगाया तो पता चला कि हमने जो को-ऑप्शन की धारा रख रखी है वह बड़ी खतरनाक क्लॉज है। को-ऑप्शन के लिये जो उम्मीदवार होते हैं वे शहर के लोग होते हैं पढे–लिखे लोग, वे सब प्रकार के हथकन्डों में माहिर होते हैं। वे गांव के लोगों को भेड़ की तरह पकड़ लेते हैं और उनसे अपनी मर्जी के अनुसार कार्य करवा लेते हैं। यह को-ऑप्शन की बीमारी है। मैं समझता हूँ, यह को-ऑप्शन की जो धारा है वह निकाल दी जानी चाहिये। को-ऑप्शन उन लोगों का होता है जो सोशियल वर्कर होते हैं या एड-मिनिस्ट्रेशन में जो एक्सपर्ट होते हैं। लेकिन आज कोई कसौटी नहीं है एक्सपर्ट होने की। आपने उसके लिये क्या स्टेंडर्ड रखा है, यह कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। न एक्सपीरि-यन्स का स्टेंडर्ड है, न सोशियल वर्कर का स्टेंडर्ड है, जिस किसी के पास ५१ वोट हो गये वह सोशियल वर्कर भी बन सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकता है, अनुभवी भी हो सकता है; ५१ आदमी उसकी जेब में होने चाहिये। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि को-ऑप्शन का जो क्लॉज़ है वह बहुत खतरनाक है। क्या जरूरत है इस प्रकार के अनुभवी और सोशियल वर्कर्स को रखने की? जब आप उनको सत्ता सौंप रहे हैं तो धीरे धीरे उनको भी ज्ञान हो जायगा, धीरे धीरे अनुभव से सीख जायेंगे। फिर को-ऑप्शन का झगड़ा रखते ही क्यों हैं?

इसके अतिरिक्त जो लिमिटेड वोटर्स हैं

(श्री खुवीरसिंह)

२०, २५, ३० इससे बड़ा भारी खतरा पैदा होता है और इस प्रकार से लिमिटेड वोटर्स के होने से ही इस प्रकार का झगड़ा पैदा होता है क्योंकि थोड़े से लोग हैं इसलिये उनको कुछ को गाड़ी में बैठा कर ले चले, किसी को दबा दिया, किसी को रिश्वत दे दी; इस तरह से उनको कब्जे में कर लिया जाता है। इसलिये वोटर्स की तादाद बढ़ायी जानी चाहिये जिससे गड़बड़ी नहीं फैल सकेगी और इस तरह से इसमें बहुत सुधार हो सकता है।

इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा; कुछ ऐसी बातें हैं जिनका जिक्र राज्यपाल महोदय के भाषण में होना चाहिये लेकिन दुर्भाग्यवश उसका समावेश इस भाषण में नहीं किया गया है। जैसा कि पिछले कई सालों से सुनते आ रहे हैं कि नेशनलाइज़ेशन ऑफ रोडवेज का बहुत दिनों से चक्कर चल रहा है। लेकिन आज जिस प्रकार का नेशनलाइज़ेशन ऑफ रोडवेज़ का हम राजस्थान में हाल देखते हैं वह अजीब हाल है। मैं अलवर–जयपुर रूट का हाल बताऊं। जिस रूट पर मुझे रात–दिन आने का अवसर मिलता है, इसलिये पर्सनल एक्सपीरियन्स के आधार पर निवेदन करता हूँ। इस वक्त इस रूट पर ११ गाड़ियां तो प्राइवेट चल रही हैं और ११ गाडियां स्टेट रोडवेज़ की चल रही हैं। इस तरह से इस रूट पर २२ गाडियां चल रही है। ११ गाडियां जो प्राइवेट चलती हैं उनसे १५ मिनट के फासले पर सरकारी बसें चलती हैं। प्राइवेट बसेज़ का किराया ३ रुपये, १० आने हैं और सरकारी बस का किराया ४ रु० १० आने है। नतीजा यह होता है कि मेरे ख्याल से सरकारी बसेज़ में किसी भी दिन दो-चार से अधिक पैसेन्जर होते होंगे। मैं सत्य निवेदन करता हूँ। एक दिन मैं और तीन साथी ही थे उस सारी बस में। उस दिन हम चार आदमी ही अलवर उस बस में बैठ कर गये। मैं नहीं समझता, आखिर यह क्यों हो रहा है ? अगर आप यह समझते हैं कि प्राइवेट बसेज़ को रोकने में अभी कठिनाई है तो आप सरकारी बसेज़ क्यों चला रहे हैं ? आप जब प्राइवेट गाड़ियों को रोक नहीं सकते तो सरकारी बसेज़ को तो मत चलाइये। रोडवेज़ की गाड़ियों को साथ साथ दौड़ाना क्या मायने रखता है ? उसमें सरकार को नुकसान जाता है। जब आप बन्द नहीं कर सकते प्राइवेट मोटरों को तो कम से कम सरकारी बसेज़ पर जो खर्चा हो रहा है उसको तो रोक सकते हैं। इस प्रकार रोडवेज़ में इस प्रकार की दोहरी सरकार चल रही है, यह समझ में आने वाली बात नहीं है। ताज्जुब इस बात का है कि नेशनलाइज़ेशन ऑफ रोडवेज़ में यहां कुछ नहीं किया गया है।

इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा के बारे में भी निवेदन कर दूं। जो शिक्षा के बारे में प्रगति की बात कही जाती है उसमें यह कहा गया है कि सात हजार सिंगल टीचर स्कूल्स बनाये गये हैं। जहां तक निजी अनुभव है, मैं यह कह सकता हूँ कि single teacher schools are worst than no schools. जहां पर इस प्रकार के एक टीचर के स्कूल्स हैं वे आधे टाइम खुले रहते हैं। अध्यापक आधे समय ही वहां उपस्थित रहते हैं।

(श्री रघुवीरसिंह)

समझ लीजिये, वे ऐसे बैठ जाते हैं; जैसे भेड़ बकरियों को घेर कर बैठ गया है और वह भी थोड़ी देर तक । वह सिंगल टीचर तो इस सांठ-गांठ में लगा रहता है कि किसी तरह से उसका तबादला उसकी चाही जगह पर हो जाय। इसी में उसका अधिकतर समय जाता है। मैं तो चाहता हूँ और निवेदन भी करूंगा कि सिंगल टीचर स्कूलों को तोड़ कर चाहे कम करें, पर पूरे तीन टीचरों की स्कूलें हों तो बच्चों की कुछ पढ़ाई हो सकती है।

इसके अलावा मेरा तो निजी ग्रज (Grudge) एजुकेशन विभाग से, इसे प्राइवेट ग्रज. (Grudge) कहना चाहिये, या यह मेरे डिस्ट्रिक्ट का ग्रज है, ऐसा मैं कह सकता हूँ; अलवर में पोस्ट ग्रेजुएट क्लासें पहले से थीं, लॉ क्लासें थीं, पर राजस्थान बनने के बाद उन्हें बन्द कर दिया गया, केवल डिग्री कॉलेज रख दिया गया। एक तरफ तो प्रगति की दुहाई दी जाती है पर दूसरी तरफ एक डिस्ट्रिक्ट को आप पीनेलाइज़ कर रहे हैं। आपने हमारे यहां जो तरक्की हो रही थी, उसकी जगह अवनति की।

अब उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक हाल की घटना जो शासन के कार्य-कलापों पर प्रकाश डालती है, निवेदन करूंगा। इस शासन की राज्यपाल महोदय ने बहुत तारीफ की है और इस शासन पर नाज किया जाता है, उसकी परसों की घटना में निवेदन करना चाहूँगा। हमने सुना कि गल्ला में ब्लैक मार्केट होता है, कपड़े में ब्लैक मार्केट होता है, शक्कर में ब्लैक मार्केट होता है; पर परसों उपाध्यक्ष महोदय, अलवर जिले में यह एक आने के रसीदी स्टाम्प पर ब्लैक मार्केट हो रहा था। दस नये पैसे में यह आता है, पर परसों यही एक रुपये में बिका अलवर में।

श्री उपाध्यक्ष : इस घटना को तो गवर्नर महोदय नहीं देख सकते थे।

श्री रघुवरसिंह : जिस शासन की गवर्नर महोदय तारीफ करते हैं, बड़ाई करते नहीं थकते उस शासन के प्रबन्ध का यह एक नमूना है। एक जिले में रसीदी टिकट ही नहीं हैं। पूछते हैं तो जबाब मिलता है हम क्या करें, हमने तो नासिक को लिख दिया है, गवर्नमेन्ट को भी लिख दिया है; न ट्रेज़री में है, न डाकखाने में है, न स्टाम्प वेन्डर के पास है। तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह है हमारे शासन का स्टेन्डर्ड, कार्य करने की कुशलता, जिस शासन के लिये कि हमें यह कहा जाता है कि हम तरक्की कर रहे हैं और जिस पर पंचवर्षीय योजनाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

इसी तरह से कुओं की तकावी मन्जूर करने की बात है। तकावी मन्जूर हो जाती है, लोग कुए खोद लेते हैं पर जब सीमेन्ट की जरूरत पड़ती है तो वह मिलता नहीं। किसी कीमत पर नहीं मिलता और आपको यह सुन कर ताज्जुब होगा कि अलवर का सीमेन्ट का सारा कोटा दिल्ली में जाकर बिकता है। अलवर में जो कोरोगेटेड आइरन शीट का कोटा आता है ३०) मन में बिकने के लिये, वह अलवर में नहीं मिलेगा, आप उसी कोटे को ६०) रु० मन में दिल्ली में जितना चाहें खरीद लीजिये। कैसे जाता है, यह कौन ले जाता है, क्यों ले जाता है; इसके लिये सरकार को सावधान होना चाहिये, पर सरकार

श्री रघुवीरसिंह)

को इसकी कुछ भी फिक्र नहीं । हम भी चाहते हैं कि हम-आप सभी आगे बढ़ें, हमारी प्रगति हो, पर आगे बढ़ने के साधन क्या हैं ? हमारे पैर काट कर तो छोड़ दिये और कहते हैं कि 'उड़ो, आगे बढ़ो, उड़ जाओ, ऊंचे उड़ जाओ' । कैसे उड़ जाओ ? कुछ समझ में नहीं आता । आज तकावी के अधिकतर कुंए सीमेन्ट के अभाव में अधूरे बने पड़े हैं, जरूरत पड़ने पर उनको टीन नहीं मिलते । अब तो कन्ट्रोल की चीजें भी थोड़ी हैं । पर इनका भी सुचारू प्रबन्ध तो करिये, नहीं तो फिर आप यह करें कि कन्ट्रोल ही उठा दें; जैसे हिम्मत की किदवई साहब ने कि नाज का कन्ट्रोल उठा कर और नाज मिलने लग गया । अच्छा-बुरा जैसा भी मिला । उसी तरह हिम्मत करके इन्हें भी हटा दीजिये । जिसको जरूरत होगी अधिक कीमत देकर भी लेगा । यह सप्लाई और डिमान्ड का सवाल है । पर कन्ट्रोल के नाम पर ब्लैक मार्केट तो नहीं पनपाइये । आज जो कर्जदार बन कर काश्तकार कुंए खोदते हैं वे आज जिस सीमेन्ट का ६-७ रुपये का भाव है उसके १२-१३ रुपये तक देकर खरीदते हैं और वह भी कभी कभी नहीं मिलता ।

श्री तेजमल बापना (बनेड़ा) : सीमेन्ट पर कन्ट्रोल नहीं है ।

श्री रघुवीरसिंह : सब जगह परमिट पर मिलता है । अफसोस है, आप यह भी नहीं जानते । यहां बैठे हैं और आपको यह भी नहीं मालूम ।

श्री तेजमल बापना : हमारे भीलवाड़े में नहीं है ।

श्री रघुवीरसिंह : तो मैं यह निवेदन कर रहा हूँ कि राज्यपाल महोदय जिन जिन बातों की घोषणाएं पिछले चार सालों से बार बार करते रहे हैं पर वे अब तक पूरी नहीं हो पाईं । इसलिये यह कहने के लिये बाध्य होना पड़ता है कि कहीं ऐसा न हो कि इस बार की घोषणाएं भी फिर निराशा में परिणत हो जावें । इसलिये मैं राज्यपाल महोदय से यह निवेदन करूंगा कि वे अपनी सरकार के कान ऐंठें और उसको....

श्री उपाध्यक्ष : Constitutionally or physically ?

श्री रघुवीरसिंह : दोनों तरह से, कि झूठ ही मेरे मुंह से ये शब्द कहलवा दिये और वे पूरे पड़ते नहीं । इनको पूरा करने का हिसाब बताइये । नहीं तो होगा यह कि लोगों को भरोसा कराना कठिन हो जावेगा । ठीक है हमारी एक योजना बनी, दूसरी बनी । योजनाओं के पूर्ण होने का अगर यह अर्थ मानते हैं कि इतना रुपया खर्च कर दिया, रिज़ल्ट चाहे कुछ निकले या नहीं तब तो ठीक है, बहुत रुपया हमने खर्च कर दिया । एक अरब से ऊपर हमने कर्ज ले लिया और खर्च भी कर दिया, पर उसका नेट रिज़ल्ट क्या है, उसका जन–जीवन पर क्या असर पड़ा, क्या सुविधाएं उनको मिलीं, देहाती जीवन पर क्या असर पड़ा, यह देखने की बात है । वह अगर असर नहीं पड़ता है तो मैं समझता हूँ कि राज्यपाल को अपनी सरकार के अच्छी तरह से कान ऐंठने चाहिये और ऐसे ऐंठने चाहिये कि आइन्दा वे ऐसी झूठी बातें उनके मुंह से कहलवाने के लिये हिम्मत न कर सकें ।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय का अभिभाषण मुझे आरम्भ से ही ऐसा लगा है कि हमारी राजस्थान सरकार के पिछले चार वर्षों के कार्य-कलापों का यह एक विवरण मात्र है । इस विवरण में कहीं कहीं तो आंकड़ों के माया-जाल से इस बात का प्रभाव उत्पन्न करने का प्रयत्न किया गया है कि बहुत कुछ तरक्की हम आंकड़ों के गुणनफल से समझ लें । आरम्भ में मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, अस्पतालों में जो औसत तरक्की की ओर इंगित किया गया है मैं उसे केवल आंकड़ों का माया–जाल मानता हूँ । सत्य है, उपाध्यक्ष महोदय, कि अस्पतालों की चिकित्सा की सुविधा की आज स्थिति, जब कि हम दूसरी योजना काल के अन्तिम वर्ष में प्रवेश होने वाले हैं, यह है कि हमने १४ हजार की जन–संख्या के बीच में एक चिकित्सालय की सुविधा देने का प्रयत्न किया है । लेकिन आगे जाकर राज्यपाल महोदय ने कृपा पूर्वक यह इंगित किया कि भारतीय चिकित्सालयों में जो पलंगों का औसत है उससे यहां का औसत अधिक है । मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का एक भ्रामक प्रयत्न अपनी प्रगति बताने और पिछड़ाहट को, कमी को, आवश्यकता को, दूसरी तरह से रोकने का प्रयत्न करना मैं उचित नहीं मानता । हमें दूसरी योजना की सफलताओं को मानना है, उपाध्यक्ष महोदय, पर साथ में यह भी मानना है कि हमारी दूसरी योजना के कार्य-काल के अन्त में हमारी ये आवश्यकताएं बची रह गई हैं जिन्हें हमें तीसरे योजना-काल में पूरा करना है । हमारे कुछ अभाव जो कायम हैं उनकी पूर्ति के लिये तीसरी योजना में संकल्प के साथ काम होना है ।

तो मुझे ऐसा लगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान में पिछले चार साल का सरकार द्वारा किये गये विकास का लेखा-जोखा, एक साधारण सा लेखा-जोखा राज्यपाल महोदय ने हमारे सामने रखने का प्रयत्न किया है । इसके लिये हमें उनको धन्यवाद देना चाहिये, उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन सारा उनका अभिभाषण सुनने के बाद, उन द्वारा विकास का लेखा-जोखा सुनने के बाद, प्रगति के कार्य के बारे में जानने के बाद हमारा यह राज्य समाजवादी विकास की ओर कितना बढ़ा, इसकी हमारे राज्यपाल महोदय ने हमें कोई सूचना नहीं दी ।

उपाध्यक्ष महोदय, तीसरी योजना के आरम्भ काल में मेरी ऐसी दृढ़ मान्यता है कि राजस्थान के आयोजन को, जो पूर्णत: सुन्दर बना है, लेकर तीसरी योजना-काल में समाजवादी समाज की ओर अग्रसर होने के लिये हमें निश्चयपूर्वक प्रयत्न करना पड़ेगा । अब आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक प्रगति की वह दशा आ गई है कि उसकी सारी विधाओं में, भारत की जनता की कुंठा में अब समझौतों से काम करने से लाभ नहीं होगा । हमें भारतीय जनता के सामाजिक और आर्थिक जीवन के विकास के लिये निश्चित रूप से समाजवादी समाज की दिशाओं को चुनना होगा ।

अब तक हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में कुछ आवश्यक क्षेत्रों में जहां तक नीति–निर्धारण का सवाल है, उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री जनार्दनराय नागर)

हमने जानबूझ कर समझौता किये रखा....

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : उपाध्यक्ष महोदय, कोरम नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष (श्री नागर से) : Proceed on, till then I count.

श्री जनार्दनराय नागर : आज की हमारी आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था के आरम्भ में इस बात का जबरदस्त दबाव है और वह यह कि हमारे राजस्थान में जो संस्कृति से आज तक जीवित है और कायम है उसमें राजाशाही अभी भी विद्यमान है और इसकी ओर उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ । भारतीय संविधान ने प्रिन्सली ऑर्डर को अभी तक कायम रखा है । लेकिन हमारी यह मान्यता है कि यदि इस ऑर्डर को जल्दी ही समाप्त नहीं किया या उसको कमजोर नहीं किया, उसको प्रभावशाली ढंग से राजस्थान के सामाजिक और राजनीतिक जीवन से नहीं हटाया तो मुझे भय है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के आरम्भिक काल में राजस्थान में हमें जबरदस्त प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा । मैं आपके जरिये सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, उपाध्यक्ष महोदय, कि अभी इंगलैंड की सम्राज्ञी जो भारतवर्ष में आई चहलकदमी के लिए वह राजस्थान में भी तशरीफ लाई । मुझे, उपाध्यक्ष महोदय, खेद के साथ कहना पड़ता है कि ब्रिटिश सम्राज्ञी का जो स्वागत हुआ वह भारत सरकार की ओर से अथवा राजस्थान की सरकार की ओर से उतना नहीं हुआ जितना कि राजस्थान के दो राजाओं की ओर से स्वागत किया गया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान के जनतांत्रिक विकास, सामाजिक और आर्थिक विकास के नाम में इस स्वागत का एतराज करता हूँ। ब्रिटिश की सम्राज्ञी हिन्दुस्तान में आये, हिन्दुस्तान को देखे जिसके ऊपर कि उसके पुरखों ने राज्य किया, मुझे खुशी है कि मैं सम्राज्ञी के यहां आने पर महात्मा गांधी की अहिंसा की नीति की सफलता मानता हूँ....

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : On a point of information, Sir.

श्री जनार्दनराय नागर : लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ और सरकार से पूछना चाहता हूँ कि राजस्थान में जब ब्रिटिश सम्राज्ञी आई....

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : On a point of information, Sir....

श्री उपाध्यक्ष : The Hon'ble member has raised a point of order...

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : On a point of order, please, मैं यह निवेदन करूंगा कि....

श्री उपाध्यक्ष : (रावल श्री नरेन्द्रसिंह से) पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर क्या है ? What is that point of order which you want to raise.

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : मेरा अर्ज करना यह है कि गवर्नमेंट ने उनको बुलाया है और फिर उसके बाद में महाराजा साहब ने बुलाया है, ऐसी हालत में प्रत्येक नागरिक....

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order Please !! This does not involve any point of order.

श्री जनार्दनराय नागर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि पहला मेरा एतराज यह है कि ब्रिटेन की सम्राज्ञी का स्वागत करने का जिम्मा दो प्राइवेट सिटिज़न्स को दिया गया। वे भारत के राजा हैं, राजाशाही के नामांकित तथाकथित सदस्य हैं, लेकिन ब्रिटिश सम्राज्ञी जो कि कॉमनवैल्थ की सदस्या भी हैं उनके स्वागत करने का ठेका दो राजाओं को दिया जाये, चाहे वह जयपुर के हों या उदयपुर के हों, एतराज के काबिल है। इसके बाद में उपाध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा एतराज यह है कि ब्रिटिश सम्राज्ञी की मेहमान–नवाज़ी के जोर–शोर को लेकर जिस प्रकार की प्रतिक्रिया को राजस्थान में, जो मरी हुई, पिटी हुई प्रतिक्रिया है उसको वापिस जीवित करने का प्रयत्न किया गया है। वह निन्दनीय है। आज हम सब जिसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं, जो कि आज समाज और जनता का विषय है। मैं पूछना चाहता हूँ, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सरकार से कि उनको पीछे फैंकने का प्रयत्न किया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, जब जयपुर के महाराज के साथ ब्रिटिश सम्राज्ञी हाथी के होदे में बैठ कर जनता को दर्शन दे रही थी तो हमारे मन्त्रीगण उनके पीछे पीछे जुलूस में क्यों गये ? वहां पर आपका जाना देश के हित में नहीं था, जनता के हित में नहीं था। आखिर आप राजस्थान के मंत्री थे। सम्राज्ञी के साथ बैठे हुए हमारे मुख्य मंत्री नहीं थे, हमारे राज्यपाल नहीं थे। उनके पीछे हमारे सब मंत्री जुलूस में थे। हमारे मंत्रीगण उस जुलूस में न जाने किस शान और शौकत से उसके पीछे घूमते नजर आये....

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मंत्री) : जुलूस में नहीं गये थे।

श्री जनार्दनराय नागर : जो जुलूस यहां निकला उसके लिए मेरे पास सूचना है कि मंत्रीगण उसके अन्दर थे और उनके पीछे चल रहे थे।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि आपका भाषण सूचनाओं के आधार पर नहीं होना चाहिए।

श्री जनार्दनराय नागर : मैं, उपाध्यक्ष महोदय, नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ कि जो जुलूस यहां निकला उस जुलूस के अन्दर हमारे मिनिस्टर लोग मौजूद थे और मेरा आंखों देखा अनुभव है कि उदयपुर में....

श्री उपाध्यक्ष : Well this is being refuted. It is not a truth.

श्री जनार्दनराय नागर : जहां तक उदयपुर का सवाल है, मैंने देखा कि सम्राज्ञी उदयपुर के महाराणा के साथ थी और उनके पीछे हमारे मुख्य मंत्री, दूसरे मंत्री और इस सदन के कुछ अधिकारी भी देखे गये, उपाध्यक्ष महोदय। उनके साथ हाथ मिलाना और परिचय प्राप्त करना तो अच्छी बात है, उपाध्यक्ष महोदय, पर मैं कहना चाहता हूँ कि दो राजाओं के यहां पर मेहमान–नवाजी के खातिर यह सब किया गया और जिस प्रकार की प्रतिक्रिया को जीवित करने का प्रयत्न किया गया मैं समझता हूँ कि इसके अन्दर सरकार ने उतनी सावधानी नहीं रखी

(श्री जनार्दनराय नागर)

जितनी कि रखनी चाहिए थी और इधर राज्यपाल महोदय अपने अभिभाषण में कहते हैं कि हमने आर्थिक, सामाजिक दृष्टि से जनतंत्रीय जीवन–पद्धति को दृढ़ करने का प्रयत्न किया है। अपने स्वाभिमान को भुला कर इस प्रकार के प्रसंगों में अपने आपको दिखाने का प्रयत्न करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि दोनों महाराजाओं ने ब्रिटिश सम्राज्ञी का स्वागत करके....

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble member, please. I will request that this matter which is so delicate in itself should not be discussed on the floor of the House, because it involves to sonie extent the prestige of the dignitory who has just visited our Country. I fear the reference may create mis-conceptions in the minds of the people at large.

श्री जनार्दनराय नागर : उपाध्यक्ष महोदय, ब्रिटिश सम्राज्ञी के व्यक्तित्व के बारे में मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने तो यह कहा कि उनका आना महात्मा गांधी की अहिंसक नीति का एक ऐतिहासिक घटन है। मैं यह मानता हूँ कि भारत की जनता और इंग्लैंड की जनता के बीच में प्रेम का आरम्भ हो चुका है, लेकिन मुझे एतराज है कि उनके स्वागत में जो प्रतिक्रियावादी तत्व हैं वे देश को पीछे ले जाने वाले हैं और हमारी सरकार बिना जाने ही प्रोत्साहन दे रही है, यह मेरा एतराज है। बिना जाने ही उनको उठा रही है....

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : वह तो उठेंगे, फिर उठेंगे और उठेंगे।

श्री जनार्दनराय नागर : यदि राजस्थान के प्रिवी पर्स पाने वाले राजस्थान की प्रगति और उसके विकास के खिलाफ सिर उठायेंगे तो उनको दबा दिया जायेगा।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : तो हम भी जानते हैं।

श्री जनार्दनराय नागर : एक साल बाद ही वह सामने आने वाला है। यहां बातों से कोई फैसला होने वाला नहीं है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : यह फैसला तो पोस्टेरिटी करेगी।

श्री जनार्दनराय नागर : राजस्थान के नगर, गलियां और चौराहे करेंगे वह फैसला। आप समझते हैं कि कांग्रेस में वह ताकत नहीं है। मैं कहता हूँ कि आपको ताकत का अनुभव ही नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता था कि आज हम अपनी द्वितीय पंचवर्षीय योजना समाप्त करने वाले हैं और तृतीय पंचवर्षीय योजना को आरम्भ करने वाले हैं। मैं चाहता था कि राज्यपाल महोदय हमें इस समय पर कहते कि इस योजना के प्रारम्भिक काल में इस प्रकार से कदम लेना चाहते हैं जिससे इस प्रकार की प्रतिक्रिया की शक्ति हमेशा के लिये अपना सिर नहीं उठा सके।

दूसरी बात जो मुझे कहनी थी वह यह है कि हमारे राज्यपाल महोदय ने बताया कि हमने यहां पर शिक्षा का विस्तार किया है। जैसा कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण

(श्री जनार्दनराय नागर)

में भी कहा गया है कि एक अध्यापक वाले ७,००० से भी अधिक नये प्राथमिक स्कूल खोले गये हैं। और १२ लाख ६ से ११ वर्ष की आयु के बच्चे स्कूलों में भर्ती हो रहे हैं। मैं समझता हूँ, यह संख्या आधे से भी कम है। अभी १५ लाख ६ से ११ वर्ष की आयु के बच्चे हैं जिन्हें स्कूलों में भेजना है। मैं यह कह सकता हूँ कि जहां तक शिक्षण संस्थाओं का सवाल है हमारी सरकार ने काफी सफलता प्राप्त की है, लेकिन मेरी चिन्ता यह है उपाध्यक्ष महोदय, कि इनके विस्तार के साथ साथ शिक्षा के स्तर का विकास होना चाहिये, शिक्षा सही दिशा में होनी चाहिये। इस ओर राज्यपाल महोदय ने कोई मार्ग–दर्शन नहीं किया है। उधर विश्वविद्यालय की हालत देखते हैं तो चिन्ता होती है, इधर इन संस्थाओं की हालत देखते हैं तो भय होता है। मैं कहता आया हूँ कि हमारी शिक्षा के विस्तार के साथ साथ शिक्षा को अन्तरंग नीति में परिवर्तन करना चाहिये। हमारे राज्यपाल महोदय ने हमें इस ओर आश्वस्त नहीं किया है। शिक्षा में चलने वाली टैक्स्ट बुक्स और परीक्षा प्रणाली को बदलने की दिशा में राज्यपाल महोदय ने कोई जिक्र नहीं किया है। आज से तीन साल पहले इस सदन में राज्यपाल महोदय ने आश्वासन दिया था कि राजस्थान से भ्रष्टाचार उन्मूलन के बारे में सरकार ने अपनी नीति का निर्माण किया है। मैं चाहता था कि राज्यपाल महोदय यह भी कहते कि राजस्थान में टैक्स्ट बुक्स को समाप्त किया जायगा और परीक्षा की प्रथा का उन्मूलन किया जायगा। ये परंपरागत प्रथाएं विरासत में मिली हैं पर मैं जागीरदारी प्रथा को सहन करने को तैयार हूँ, लेकिन परीक्षा को प्रणाली को सहन करने को तैयार नहीं हूँ। यदि हमें शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति करनी है तो हमें शिक्षा से संबंधित उन तमाम बातों की ओर ध्यान देना पड़ेगा जो शिक्षा का वातावरण उत्पन्न करती हैं। हमारी राज्य सरकार इन बातों की ओर समुचित जागरूक नहीं हुई है।

मैं यह मानता हूँ कि शिक्षण संस्थाएं बढ़ी हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज दो से तीन हो रही हैं, पोलीटैक्निक संस्थाएं बढ़ी हैं, मेडिकल कॉलेज भी दो हो गये हैं और शायद तीसरा और खुल जाय। तो संस्थाओं में सरकार ने काफी तरक्की की है और इसका असर भी पड़ रहा है। लेकिन मेरा कथन यह है कि उच्च शिक्षण क्षेत्र में नया मानस होना चाहिये, नया मूल्यांकन होना चाहिये, इस ओर प्रयत्न नहीं हो रहा है। इस बारे में न राज्य सरकार की ओर से प्रयत्न हो रहा है, न विश्वविद्यालय जैसी शिक्षण संस्था की ओर से हो रहा है। मुझे इस बात की खुशी है कि विश्वविद्यालय के नये उपकुलपति हैं उनके समय कुछ तरक्की कर जायेंगे, लेकिन उनके सामने भी कई उलझनें हैं, कई ऊहा–पोह हैं जिनके कारण अभी भी विश्वविद्यालय की ओर से प्रगतिशील कदम नहीं लिया गया है जिससे हम कह सकें कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मार्गदर्शन दे सकेंगे। विश्व-विद्यालय से हमने और राज्य सरकार ने और जनमत ने बार बार यह कहा कि आयुर्वेद फैकल्टी का निर्माण करें, लेकिन निर्माण नहीं हो पाया। हमने, जनमत ने और राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय से बार बार कहा कि संस्कृत की फैकल्टी खुलनी

(श्री जनार्दनराय नागर)

चाहिये लेकिन विश्वविद्यालय ने संस्कृत फैकल्टी नहीं खोली........

श्री उपाध्यक्ष : I presume the Hon'ble member is a member of the Senate of the University. At the same time, I wish to make it clear that this being an autonomous body, in the light of my observations too much should not be debated about its administration on the floor of the House.

श्री जनार्दनराय नागर : स्वतंत्र संस्था होते हुए भी राज्य कोष से सहायता मिलती है। राज्य की ओर से विश्वविद्यालय को सहायता........

श्री उपाध्यक्ष : मैंने ऑब्ज़र्वेशन पहले दिया है, I am fortified by my previous observations that things should not be talked to that extent so lightly about the administration of University.

श्री जनार्दनराय नागर : Mr. Deputy Speaker, Sir......

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : On a point of clarification, Sir, आपने जो ऑब्ज़र्वेशन्स दिये हैं क्या आपको मालूम है कि पिछले ऑब्ज़र्वेशन्स जो दिये हैं वे सही हैं या आपको ध्यान है कि क्या ऑब्ज़र्वेशन्स दिये गये हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : मैंने ऑब्ज़र्वेशन्स दिये हैं। जब पिछला मसला चला था I think the observations are here. I will just enquire from the Secretariat and find out. The observations are there.

(विराम)

I regret the observations are not with me but I will find out from the office. They must have been printed by now. I have made my observations in this direction with the consent of the House from time to time and I shall now see that observations are published and sent to members.

श्री जनार्दनराय नागर : संस्कृत के विकास के बारे में और आयुर्वेद के विकास के बारे में जहां तक उनके शिक्षण और परीक्षण का सवाल है हमारे सामने ऐसी समस्यायें हैं जिनके कारण, जब तक विश्व-विद्यालय दोनों फैकल्टीज़ नहीं खोलती है तब तक हम प्रगति इस क्षेत्र में नहीं कर सकते। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय के साथ अंतिम निर्णय से बातचीत की जाय और जल्दी से जल्दी आयुर्वेद फैकल्टी और संस्कृत फैकल्टी खोलने का प्रावधान किया जाय। मुझे ताज्जुब इस बात का है कि आयुर्वेद फैकल्टी और संस्कृत फैकल्टी खुलती नहीं है और हिन्दी की परीक्षाएं भी प्रारम्भ नहीं हो रही हैं। हिन्दी की ६–७ परीक्षायें दूसरी विश्वविद्यालयों ने प्रारम्भ कर दी हैं लेकिन हमारा विश्वविद्यालय आज इन बड़ी से बड़ी बातों को भी नहीं कर पाती। पहले प्रचार करने का तुक विश्वविद्यालय का मेरी समझ में नहीं आता। हो सकता है कि बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेन्सेज़ में विश्वविद्यालय की मंत्रणाएं होती होंगी। लेकिन सही बात यह है कि संस्कृत और आयुर्वेद के उच्च ज्ञान के

(श्री जनार्दनराय नागर)

विकास के लिए जितना होना चाहिये उतना हो नहीं रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे एक मित्र ने कहा था कि समाज शिक्षण के बारे में राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में कुछ नहीं कहा। यही नहीं, बल्कि मेरी सूचना यह है कि इस क्षेत्र में अभी जो कुछ हो रहा है उसमें भी कटौती की जा रही है और आगामी पंचवर्षीय योजना में इसको समाप्त कर दिया जायगा और डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइज़ेशन्स को समाप्त किया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि विभागीय स्तर पर रहेगा। एक तरफ यह कहते हैं कि समाज शिक्षण का विस्तार हो, उसको प्रोत्साहन मिले और दूसरी ओर राज्य सरकार इसको बिल्कुल कम कर रही है और विभाग में कटौती कर रही है। मैं राज्यपाल महोदय के भाषण से आश्वस्त होना चाहता था समाज शिक्षण की ओर ध्यान दिये जाने के बारे में। उन्होंने अपने भाषण में विकेन्द्रीकरण की बात कही और उधर यह कहा कि मानव इतिहास में पहली बार इतने बड़े पंचायत इलेक्शन्स हुए; ७४,००० पंच चुने गये। कभी भारतवर्ष में पंचायतों के ऐसे इलेक्शन्स नहीं हुए। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि विकेन्द्रीकरण से चेतना हो रही है। मतदाता हमारे गांवों के प्रतिनिधि हैं। इस समाज शिक्षण के लिए राज्यपाल महोदय को क्या चिन्ता है, मैं उनकी चिन्ता जानना चाहता था। हमारी चिन्ता यह है कि समाज शिक्षण की प्रगति हो और गांवों की जनता के लिए समाज शिक्षण का रूप निश्चित हो और हम सुन यह रहे हैं कि राज्य के पास समाज शिक्षण का जो क्षेत्र है उसको कम करने जा रहे हैं। जनतंत्र के विकास के लिए जो अहम चीज़ समाज शिक्षण है और उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज शिक्षा के क्षेत्र में फोर्मल एजुकेशन और कुछ टैक्निकल एज्युकेशन का विस्तार किया गया है। लेकिन जो आम जनता के शिक्षण का सवाल है जो कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है उसके बारे में राज्यपाल ने कोई इंगित नहीं किया है। मुझे आशा थी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में राज्यपाल हमें आश्वस्त करेंगे कि समाज शिक्षण का काम अधिक से अधिक विस्तार से किया जायगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया।

मैं नहीं समझता कि राज्यपाल के भाषण की किन विशेष बातों की ओर विचार व्यक्त किये जायं। मुझे मालूम होता है कि तीसरी योजना में हमारी सामाजिक, आर्थिक नीति की विशेषताओं की ओर इशारा नहीं किया, सिर्फ संभावनाओं की ओर ध्यान खींचा है। उन्होंने कहा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना से दूसरी पंचवर्षीय योजना बड़ी थी और दूसरी पंचवर्षीय योजना से तीसरी पंचवर्षीय योजना बड़ी है, २३६ करोड़ रुपयों की योजना बनाई गई है। लेकिन इन २३६ करोड़ से भी कई अहम बातों की पूर्ति नहीं कर पायेंगे। इसमें कहा है कि सड़कों पर, शिक्षा पर और चिकित्सा पर खर्च करने का आवश्यक प्रावधान रखा गया है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इन तीनों क्षेत्रों में राजस्थान की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कम से कम विकास हुआ है, कम से कम प्रगति हुई है। सड़कों के सम्बन्ध में निवेदन है, उपाध्यक्ष महोदय, कि गांव

(श्री जनार्दनराय नागर)

गांव में इस बात की मांग है कि सड़क बननी चाहिये और सड़क की मांग जब हमारे सामने आती है तब यह कहना पड़ता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सड़कों के लिए रुपया नहीं है। तृतीय पंचवर्षीय योजना के विषय में भी मैं यह कह सकता हूँ कि सड़कों के लिये वही संक्रामक उत्तर मिलने वाला है कि सड़कों के विकास के लिये रुपया नहीं है, अस्पतालों के विस्तार के लिए पैसा नहीं है। तब राज्यपाल महोदय कहते हैं कि तीनों क्षेत्रों में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अधिक प्रावधान किया गया है। मैं समझता हूँ कि वह अधिक नहीं था, बल्कि न्यून से न्यून, कम से कम प्रावधान था। उसको अधिक कहा जाता है, तो मेरा नम्रतापूर्वक मतभेद है। मैं चाहूँगा कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में सड़कों की दृष्टि से विशेष रूप से प्रावधान किया जाय और वह यह कि राजस्थान में गन्ना उत्पादन क्षेत्र है, उन गन्ना जोन्स के अन्दर भारत सरकार से, केन्द्रीय रोड फंड से पैसा प्राप्त करके सड़कों के विस्तार करने का प्रयत्न करना चाहिये। इसी तरह हमारे यहां पर ५०० की जन-संख्या पर एक स्कूल खोला गया है जब कि अस्पताल १४,००० की जन-संख्या तक ही पहुंच पाया है। मैं चाहूँगा कि तृतीय पंच-वर्षीय आयोजन में राज्य सरकार अधिक अस्पताल खोले और चिकित्सा की सुविधा को पांच हजार की जन-संख्या तक ले जाय। ठीक है, सिंचाई की दृष्टि से, कृषि और उद्योग की दृष्टि से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में काम हुआ है।

मैं उद्योग के लिए कहना चहता हूँ कि राज्यपाल महोदय ने जो चित्र दिया है अभिभाषण में, वह यह अर्थ रखता है कि राजस्थान में औद्योगीकरण के लिए दृढ़ शिलान्यास कर दिया गया है। अभी यह कहा गया कि छोटे छोटे उद्योगों का गांवों में बिजली पहुंचा कर विकास किया जाय और बड़े कारखाने न खोले जायं तो न खोले जायं। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। हमारे देश में औद्योगीकरण की दृष्टि से छोटे छोटे उद्योगों के लिए कल-कारखाने जरूरी हैं। मैं समझता हूँ उनके लिए सामान बनाने के लिए कार-खाने हों, इसलिए उनका निर्माण होना चाहिये। जो कारखाना ब्यावर में खोला जा रहा है, मैं समझता हूँ कि वह अच्छा कार-खाना होगा। इसी तरह से कॉपर स्मेल्टर के लिए बात हो रही है। मैं समझता हूँ कि औद्यो-गीकरण की दृष्टि से अच्छा शिलान्यास है। इसके अलावा तीन प्रोजेक्ट्स भी महत्वपूर्ण हैं। मैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में इतना ही कहना चाहता हूँ कि इसमें इस प्रकार का वातावरण पैदा किया और पूंजीपतियों को आकृष्ट करने का प्रयास किया। एक बात मुझे दिखती है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में जितनी पूंजी; चाहे पब्लिक सेक्टर, चाहे प्राइवेट सेक्टर में लग रही है, लेकिन उसको संतुलित बना कर लगाना पड़ेगा क्योंकि पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर को विकसित करना पड़ेगा तो ऐसा तो नहीं होगा कि राजस्थान में पूंजी के अभाव में व्यक्तिगत पूंजीपतियों को ही आकृष्ट करते चलें और पूंजी उनसे ज्यादा लगवाते चलें। इसलिए इनका संतुलन राजस्थान में समाजवादी समाज की स्थापना करने व आर्थिक विकास लाने के लिए आवश्यक है। इस सम्बन्ध में मैं इतना ही कह सकता हूँ कि इस बारे में

(श्री जनार्दनराय नागर)

राज्यपाल महोदय अपने अभिभाषण में नीति निर्देश करते तो हमें इस दिशा का संकेत मिलता।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में एक दिलचस्प बात बतलाई गई है और वह यह है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रति व्यक्ति आय करीब करीब २२ रुपये बढ़ी है। यहां फिर आंकड़ों की दृष्टि से बतलाया है कि राजस्थान में प्रति व्यक्ति इतनी आय बढ़नी थी, उसमें से इतना लक्ष्य प्राप्त किया है। मैं चाहता था; तीसरी पंचवर्षीय योजना में प्रति व्यक्ति १४७.५ बताई गई है, जो कि पांच वर्ष में प्राप्त करनी है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो प्रति व्यक्ति आय कूंती थी, उससे कम आय हुई और केवल ३१ रुपया प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। इसलिए इस बात का इंगित राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में मिलता कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में प्रति व्यक्ति कितनी आय बढ़ेगी। तो मैं समझता हूँ कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की प्रगति और तीसरी पंचवर्षीय योजना में होनेवाली प्रगति और सम्भावनाओं में तारतम्य कर पाते।

अब मैं कहना चाहता हूँ कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में संकेत दिया है, वह केवल नीति निर्देश व नितान्त संदेश न होकर विकेन्द्रीकरण की सूचना और उसकी व्यापक सफलता का आश्वासन देने का संदेश है। मैं चाहता था कि राज्यपाल महोदय हमें इस बात का संदेश देते कि राजस्थान में जो सामाजिक और राजनैतिक और आर्थिक ढांचे में परिवर्तन लाने का कार्य चल रहा है उसमें एक नया मोड़ मिलता। इसका राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में अभाव मिलता है।

एक बात और कह कर मैं बैठना चाहूँगा और वह यह है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आर्थिक सम्भाव्यताओं में विकास हुआ है। तृतीय पंचवर्षीय योजना में क्या अवसर है उनके विकास का, यह देना चाहिए। एक बात और कहना चाहूँगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विकास ऋण का भार काफी कर लिया है और विकास ऋण की सम्भाव्यताएं बढ़ी हैं। मैं जानना चाहूँगा कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो कर राजस्थान की जनता पर लगायेंगे उससे काफी ऋण भार बढ़ने वाला है, ८६ करोड़ रुपया हमें चाहिए। मैं चाहता हूँ कि राज्यपाल महोदय हमारे आर्थिक सम्भाव्यताओं का क्रमिक विकास जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आरम्भ किया है वह तृतीय पंचवर्षीय योजना में किस प्रकार होता चला जायगा, इसका ब्यौरा देते, इसकी सम्भावनाओं का संकेत देते तो हमें ज्ञात हो सकता था कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में हम कितने आत्म-निर्भर हो सकते हैं।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट और चाहूँगा।

श्री उपाध्यक्ष : You have already exceeded by one minute.

श्री जनार्दनराय नागर : एक बात और कहना चाहता हूँ कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में अभिभाषण में थोड़ा

Page No.78

(श्री जनार्दनराय नागर)

सा चित्र है और यह संकेत है कि उसके बारे में हम इस सदन के अन्दर विचार-विमर्श करेंगे। मैं यह कहना चाहूँगा, उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये कि २३६ करोड़ का तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिए प्रावधान है, यह तृतीय पंचवर्षीय योजना की सम्भावनाओं को देखते हुए बहुत कम है। मैं कहना चाहता हूँ कि इस मामले में राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार या जो भी सीलिंग करने की एजेन्सी है, को उसके सामने यह कहना चाहिए कि २३६ करोड़ से हमारा काम नहीं चल सकता। हमें यह चिन्ता है कि राजस्थान नहर और दूसरे बांध हैं अगर ४० करोड़ प्रस्ताव से कट जाता है इतना फर्क हो जाता है तो राजस्थान नहर का क्या होगा, हमारे भीमकाय प्रोजेक्ट्स का क्या होगा ? इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये कहना चाहता हूँ कि २३६ करोड़ रुपये से संतोष करके हमारी राजस्थान सरकार बैठी हुई है उसको मैं सावधान और जागरूक करना चाहता हूँ। उसको इस मामले में कार्यवाही करनी चाहिए और राजस्थान को अधिक सीलिंग प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : रावल श्री नरेन्द्रसिंह।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : उपाध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा विषय है जिस पर विचार करने के लिए तीन रोज लगाये जाते हैं कि गवर्नर महोदय ने जो ऐसे मौके के ऊपर जो एड्रेस किया है अपनी तरफ से उसके लिए धन्यवाद दिया जाय। यह औपचारिक चीज़ है, इसके वास्ते यह धन्यवाद का प्रस्ताव है। इस मौके पर जो भी कोई काम में त्रुटियां हैं उनको भी प्रकट करने का सवाल रहता है। तो ऐसे आयोजन के वास्ते मैंने शुरू से यह रखा है कि जहां तक हो ऐसे मौके पर पर्सनली अपनी तरफ से धन्यवाद ही दिया जाय और मैं अब भी गवर्नर महोदय को धन्यवाद ही दूंगा। इसके वास्ते मैं पहले यह निवेदन कर देना चाहता हूँ कि एक तरह से देखा जाय तो यह सिंहावलोकन साल भर के बजट के पहले यह प्रश्न उपस्थित हुआ है तो उसमें देखने का सवाल यह है कि किन किन चीजों के सम्बन्ध में किस किस साल में प्रगति हुई और कैसी आइन्दा की पंचवर्षीय योजना है, उसके वास्ते क्या आयोजन करना पड़ेगा, इसकी जो भूमिका बांधी है इसके वास्ते मेरा निवेदन है कि एक तो भूमि के वास्ते सबसे पहले कहा गया है और यह सही बात है कि राजस्थान के ज्यादातर कृषक कृषि से सम्बन्ध रखने वाले हैं व दूसरे पशुओं से सम्बन्ध रखने वाले हैं, तो इस पर मुझसे पहले बोलने वाले माननीय सदस्यों ने काफी प्रकाश डाल दिया है और इसके वास्ते मुझे यह कहना है कि इसके अन्दर जो प्रगति हो रही है वह बढ़ती रहेगी और बढ़ती रहनी चाहिए। अन्न–उत्पादन के विषय में बहुत ज्यादा दिक्कत पानी की है। पानी को उपलब्ध कराने के लिए जहां नहर और तालाब बने हैं वहां यह भी थोड़ी देर के वास्ते सोचा जाय कि कुंए भी खुदवाये जायं। इसके अतिरिक्त दूसरे कार्यों के अन्दर भी समयानुकूल और आर्थिक दशा को देखते हुए काम किया जाय और दूसरे कामों में भी आवश्यकतानुकूल किया जा रहा है वह ठीक है।

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

(३ म. प.)

जो अरबों रुपया खर्च हो रहा है उसके प्रोपोर्शन को देखते हुए प्रगति बहुत कम है। इस पांच वर्ष की असेम्बली के समय का यह करीब करीब आखिरी वर्ष है। उस समय यह अत्यन्त आवश्यक हो जाता है कि हम देखें कि क्यों नहीं उस प्रोपोर्शन से प्रगति कर सके और यह सोचें कि आइन्दा इसमें ठोस प्रगति की जाय। धन का दुरुपयोग होता है तो इधर और उधर दोनों तरफ बैठे हुए माननीय सदस्य ही नहीं, राजस्थान की सारी जनता का और राजस्थान के बाहर की आबादी का भी ध्यान आकर्षित होता है। इतना बड़ा आयोजन यहां किया गया है, विकेन्द्रीकरण के वास्ते आयोजन किया गया है, भारतवर्ष के दूसरे प्रान्तों में राजस्थान के मुकाबले में थोड़ी ही जगह ऐसा आयोजन हुआ है तो यह देखना जरूरी है कि हम यह देखें की इसका लाभ हमें कितना मिला है। पंचायतों के आयोजन के वास्ते, इसके आयोजन के वास्ते लाखों रुपया खर्च हुआ है और इस तरह का वातावरण बनाया गया है, इसकी उपयोगिता के वास्ते भी ढोल पीटा गया है तो इसके लिए सभी को जुट कर काम करना चाहिए। हर राजस्थानी का फर्ज है कि इसके वास्ते आगे बढ़ें।

ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाय तो यह डेमोक्रेसी का हिसाब चाहे भारतवर्ष से इतर देशों के वास्ते नया हो सकता है, पर भारतवर्ष के लिए यह नया नहीं। वैसे देखा जाय तो क्रॉमवेल के समय से वहां डेमोक्रेसी शुरू हुई, अमेरिका में पहले पहल बंकर्स हिल के ऊपर अंग्रेजों की पराजय होकर यह सवाल चला, १९०८ में रूस में डूमा का बनना, रूस में इस चीज को पैदा करने के लिए प्रेरणा देने वाला हुआ, फ्रान्स का रिवोल्युशन भी प्रजा और बादशाह के विवाद से खड़ा हुआ और नैपोलियन बोनापार्ट ने खुद ने कहा है ; "Bad Government is worst than no Government" यह अपने आपको एम्परर से कम नहीं समझता था। हमारे यहां तो सैकड़ों ही नहीं हजारों वर्षों से पहले से ही यह चीज प्रचलित होती रही है। भगवान् बुद्ध का प्रादुर्भाव जिस समय हुआ उस समय मल्ल, लिच्छवी, शाक्य, यौद्धेय और मालव; ये सारे के सारे गण मौजूद थे। तो यहां तो यह पहले से चला आ रहा है। हमें देखना है कि कैसे डेमोक्रेसी यहां चल सकती है, प्रारम्भ तो कर दिया पर गवर्नमेंट के लिए यह सोचने की बात है कि इसमें कहीं कोई कमी पड़ती हो तो उसका विचार किया जाय। अरबों रुपयों का सवाल हमारे सामने आ रहा है, बड़ा भारी आयोजन है, भगवान् करे कि यह फलीभूत हो, इसके वास्ते जो जो त्याग–तपस्या करने की आवश्यकता हो उसे करने में किसी भी राजस्थान को दूर नहीं रहना चाहिये। पर इसके वास्ते कई विशद् समस्याएं हैं उनको देखना आवश्यक है।

इसके अलावा शिक्षा के अन्दर बहुत रुपया खर्च करके व्यवस्था की जा रही है। मेरा भी शिक्षा से थोड़ा बहुत सम्बन्ध रहा है और है भी। तो मैं भी निवेदन करना चाहता हूँ कि इसमें जितना भी खर्चा लगाया जाय वह कम है, पर इसका जैसा सदुपयोग

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

होना चाहिये वह नहीं हुआ है। मेरे पहले बोलने वाले माननीय सदस्यों ने भी इस पर प्रकाश डाला है। जब तक ट्रेन्ड टीचर्स आपको नहीं मिलेंगे मैं तो समझता हूँ कि "No Education is better than bad Education," इस बात की आवश्यकता है कि यह खर्चा हो रहा है उसकी तरफ ध्यान दिया जाय और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट इस ओर जरूर विचार करेगी। मैं तो यह समझता हूँ कि इतना बड़ा आयोजन अपने कंधों पर, सिर पर गवर्नमेंट ने उठाया है, ज्यादा काम एक साथ ले लिया जाता है, ज्यादा खाना भी एक साथ खा लिया जाता है तो हजम थोड़ा कठिनाई से ही होता है........

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : चूर्ण ले लिया जाय।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : आप तो डॉक्टर हैं खुद ही।

तो ऐसी सूरत में "शनैः कन्था शनैः पन्था" की जो कहावत है उसके अनुसार धीरे धीरे चलें। उत्तर–पश्चिम व पूर्व–उत्तर के प्रदेश में विशाल हिमालय पहाड़ है उस पार भंयकर स्थिति हमें नजर आ रही है। हमारा सब का ध्येय होना चाहिए कि और बाकी सब चीजें गौण रहें, भारत की सुरक्षा के लिए प्रत्येक आदमी को कोई भी त्याग करने की नौबत आये तो हर प्रकार का त्याग करने को तैयार रहना चाहिये। १४ वर्ष पहले जो राज्य व्यवस्था थी व उसके पहले हजारों वर्ष तक उस शक्ति ने हजारों वर्षों तक एक छत्र राज्य किया है, मैं न तो एज्यूम करूंगा और न ढोल पीटने की आवश्यकता है, वह चीज उनके साथ थी जैसा कि बहुत से माननीय महानुभाव आज-वक्त कह देते हैं कि वे कुचल दिये गये और कुचल दिये जायेंगे। मैं तो यह मानता हूँ कि अगर किसी चीज को कुचलने की ताकत कोई रखता है तो वह महा विराट, महा काल है वह महा विराट ही रख सकता है, वह ही कुचल सकता है। मैं तो यह समझूंगा कि महा-महिम गांधीजी और महा-महिम पटेल के प्रोत्साहन से इन राजाओं, जागीरदारों और राजदूतों ने जो उस समय त्याग किया है उसे आने वाला वक्त और हिस्ट्री कहेगी कि त्याग है या भय से किया है।

पहले पश्चिमोत्तर दर्रों से काले बादल भारत पर मंडराते थे। इस बार उत्तर–पूर्व पर काले बादल मंडरा रहे हैं। परमात्मा न करे अगर ये काले बादल...........

श्री उपाध्यक्ष : हमारे किसी माननीय सदस्य का नाम तो नहीं है 'काले बादल' ?

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : काले बादल की कविता माननयी सदस्यों ने सुनी है, इसके बाद वह कविता भी हो जाय तो कोई बात नहीं है। मुझे तो पूरी याद नहीं है, उन्होंने ही कहा है। मैं तो दूसरी बना कर भी कह सकता हूँ। तो मैं यह अर्ज करता था कि जिस दिन वह मौका आवेगा उस दिन राजपूत का बच्चा-बच्चा और राजाओं के खानदान-वाले जहां जरूरत पड़ेगी उन आइसी माउन्टेन्स पर जहां बर्फ की चौकियें हैं, देश की रक्षा के लिए मरने को तैयार हैं और शायद मुझे डर है कि जो लोग इस समय

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

आगे बढ़ कर बहुत सी बातें करते हैं वे पीछे न रह जावें।

श्री विशम्भरनाथ जोशी (बांदीकुई) : कतई नहीं रह जावेंगे।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : देख लेंगे। मेरा तो निवेदन करना यह था कि इसके बारे में मैत्री जैसी चीज़ है, मैं नहीं कहना चाहता; मगर चूंकि यह प्रश्न पैदा हो गया, यह आरम्भ किया गया तो कहना पड़ता है कि उनका आदर यहां पर किया गया। आदर इसलिये किया गया और करना जरूरी था कि पहले तो वह दूसरे देश की रानी और पहले का यहां का उसका सम्बन्ध चाहे जो भी हो उसको भुला दिया जाए, वह रहे या नहीं, लेकिन वहां की रूलर हैं, दूसरी बात यह कि वह रानी हैं जो स्त्री है। स्त्री के लिए राजस्थान में पूरा त्याग रहा है और पूरा भाव रहा है। तो यह सब आगे बढ़ने की चीज़ है। इसके अलावा अगर कोई भी आदमी या कोई नागरिक के तौर पर आ जावे तो भी बुरा क्या है और गवर्नमेंट के खुद के नाक के सामने यह चीज़ रही है और इसको हायर गवर्नमेंट ने भी एप्रीशियेट किया है। राजस्थान सरकार का तो यों कहिये कि सिर्फ १२ वर्ष का शासन–काल है। वह कहां से उसके स्वागत के लिए पूरा साधन लाते और कहां से मकान और दूसरी सुविधा जो उनको उनसे मिल सकती, मिलती ?

डॉ० बहादुरसिंह : ये सब पुराने जमाने की चीजें हैं।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : पुरानी चीजें होने से ही काम में आती हैं। आज जहांसे हम बोल रहे हैं वह भवन भी उन्हीं का बनाया हुआ है। आप लोग यदि बना कर दिखाते तो अलग बात थी। खैर, इन सब को छोड़ कर मैं अपने खुद के विषय पर आता हूँ।

राज्यपाल महोदय को मेरे ख्याल से जरूर धन्यवाद देना चाहिये और अगर इसमें कोई कमी भी रह गई है तो उसको दरगुजर करने की चीज है क्योंकि इतनी बीमारी में होने के कारण शायद उनका मस्तिष्क इतना काम नहीं कर रहा होगा तो भी उन्होंने प्रयास किया है और स्पष्ट किया है। हम नहीं समझते कि यह भाषण चाहे गवर्नमेंट से ड्राफ्ट किया हुआ हो, चाहे सेक्रेटेरियेट से हुआ हो, हम तो राज्यपाल महोदय का ही समझेंगे। यह हो सकता है कि यह सब उनकी विषम परिस्थिति में लिखा है और इसको उनका ही समझना चाहिये। मैं यह कहूंगा कि आज हमारे सर पर इतना भार है उसको देखते हुए और वस्तुस्थिति को देखते हुए और समय को देखते हुए अगर कुछ गलती भी रह जावे तो ऐसे विषयों में सोचने की बात नहीं है। यह बजट मेरे ख्याल से कोई घोड़ा नहीं है, कोई ऊंट नहीं है, यह एक बहुत बड़ा हाथी है जो बजट के रूप में हमारे सामने आ रहा है। मैं इसको हाथी की उपमा देता हूं, वह भी उचित नहीं है क्योंकि आप यह कहेंगे कि तू इसको हाथी कैसे कहता है, हाथी का रंग तो काला होता है ? मैं यह कहूंगा कि वह सफेद हाथी है। मैं इससे भी आगे बढ़ कर यह कहूंगा कि वह सफेद हाथी ही नहीं, बल्कि सात सूंड का सफेद हाथी है। वह इन्द्र का एरावत हाथी है। मैं अपने माननीय मंत्री महोदय को निवेदन करूंगा कि

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

इसके लिये वे आयोजन करें और अगर यह कहीं जनता के बीच में मर गया तो नुकसान होगा और बड़ी मुश्किल हो जाएगी।

एक माननीय सदस्य : मर जाएगा।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : काहे को मर जाएगा ? आज होली के पहले दिनों में अशुभ बात नहीं कहा करते।

मेरी तरफ से यह निवेदन है कि मैं राज्यपाल महोदय को हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि बहुत सी चीजों के लूप होल्स जो हैं पहली दफा उनको मिले हैं। मैं समझता हूँ कि आज से चार वर्ष पहले यहां पहली मीटिंग हुई थी उसमें मुझको ऐसा मौका मिला कि मुझे ऑपोज़िशन की तरफ से बोलना पड़ा। उस समय मैंने उन्हें धन्यवाद ही दिया। शायद ऐसा मौका न आवे, मगर फिर भी मैं तो उनको धन्यवाद ही दूंगा। इस अवसर पर भी मैं धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता क्योंकि लूप होल्स तो पहले ही दिन मालूम हो गये और भ्रष्टाचार का शब्द पहले ही उनके मुखारविन्द से सुना था क्योंकि वह किसी भी डिक्शनेरी या कोष में उस वक्त नहीं था। इसके अलावा मैं मुख्य मंत्रीजी को भी जैसा उस दिन भी कहा था, धन्यवाद दिये बिना नहीं रहता कि उन्होंने ऐसा प्रबन्ध रख छोड़ा है, ऐसा आयोजन किया है कि पिछले ५–७ वर्षों से एक छत्र राज्य और इस कुर्सी पर कायम हैं, इसके लिये भी उनको धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता। मैंने ऐसी बात उस समय कह दी थी कि पॉलिसी थोड़ी सी बदलें। मैं देखता हूं कि बहुत कुछ पॉलिसी उन्होंने बदल दी है, लेकिन मुझे यह डर होता है कि राजस्थान में सबसे पहले दफा, वैसे तो कैरल में हो चुका है, मेरा ख्याल यह है कि कहीं कॉम्युनिस्ट यहां पर अपने पैर न फैला दें क्योंकि कॉम्युनिस्ट वहां आते हैं जहां गरीबी हो।

इसके अलावा मैं एक चीज की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा और उसे मैं गवर्नमेंट पर थोड़ा सा अभिशाप समझता हूं, कम से कम राजस्थान की गवर्नमेंट में और राजस्थान के अन्दर और जयपुर में कार्य करने वालों के लिये एक घटना–चक्र चला और ऐसा समय आया जिसके कारण वातावरण काफी खिलाफ रहा; जब म्युनिसिपैलिटी को तोड़ कर दूसरी म्युनिसिपैलिटी का चुनाव कराने की बात थी। वह चीज सही हुई या गलत, इसके लिये मैं कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन मैं यह कहूंगा कि दो–ढाई साल का अर्सा हो गया है उसको कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया गया है और उसको इतने लम्बे अर्से तक कोल्ड स्टोरेज में रखना डेमोक्रेसी का आले दर्जे का खून करना समझता हूं। ऐसी हालत में इधर–उधर बैठे हुए सभी माननीय सदस्य इस बात को महसूस करेंगे कि यह प्रश्न कितने समय तक कोल्ड स्टोरेज में रहेगा....

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : कोल्ड स्टोरेज में सड़ता नहीं है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : कोल्ड स्टोरेज में खराब हो जाता है। तेल में भी नहीं सड़ता। तेल में लांजो बनाते है वह सड़ती नहीं है। तो मेरा तो यह ख्याल है कि उसकी लाँजी ही बना दी जावेगी। कोल्ड स्टोरेज में रखने की बात कही जाती है, मगर कोल्ड स्टोरेज में भी

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

गर्मी में सड़ जाता है। खैर, मैं तो इस चीज को गवर्नमेंट की तरफ से एक अभिशाप समझता हूं।

मुझे यह भी डर है कि ५ वर्ष समाप्त होने आये हैं और चुनावों के दिन आ रहे हैं और यह जो मैं कह रहा हूँ वह किसी व्यक्ति विशेष के लिये नहीं बल्कि पार्टीज़ के लिये कहता हूँ कि आगे का समय सामने आ रहा है इसलिये मिनिस्टरों आदि को थोड़ा सा डर भी हो गया है और कुर्सियों में बैठे हुए थर्रा रहे हैं कि आगे उनकी क्या स्थिति होगी।

यह सोच रहा हूँ कि हमारी जो स्थिति रहेगी, चाहे बुलन्द आवाज़ से तो कुछ कह दें लेकिन जो चीजें सामने आ रही हैं तो आदमियों को इस बारे में ज्यादा गुमान या घमन्ड करने की आवश्यकता नहीं है।

मैं ज्यादा देर तक न कह कर राज्यपाल और खास कर मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद दिये बगैर नहीं रहूंगा कि वे अपनी पॉलिसी बदलें, नहीं तो दूसरा केरल न हो जाय; इसका ख्याल रखें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में राज्यपाल के अभिभाषण को एक सुकुमार पौधा कह दिया जाय या उसके सदृश्य रखा जाय तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं इस बात को जानता हूँ कि इस पौधे का बीज लगाने वाला व्यक्ति इस दुनिया से उठ गया और इस पौधे को जिन्होंने सिंचित किया और जनता के पास से कर इकट्ठा करके इस पौधे को खाद दिया और इसको पनपाने और पल्लवित करने के लिए जिन्होंने कोशिश की और जिस पौधे पर कलियां खिलने लगीं उनकी प्रशंसा का वर्णन अभिभाषणों के द्वारा वर्णित किया जाता है और जिस पौधे को विकसित किया है और करना चाहते हैं, उस पौधे को विकसित कराना चाहते हैं और यह सोचते हैं कि राजस्थान का पौधा जो आगे बढ़ रहा है, जो वृक्ष के रूप में बढ़ जावेगा, मैं समझता हूं कि हमें कई बातों को सोचना पड़ेगा। जब पौधा लग जाता है, मैं एक बात जरूर कह दूं कि पौधा लगाने के बाद जो उसको उखाड़ने की कोशिश करते हैं और जो चाहते हैं कि पौधा उखाड़ दिया जायं, उनको मैं चेतावनी दे देना चाहता हूं कि उखाड़ने से पहले वे खुद ही कहीं न उखड़ जायं। पौधा इतना मजबूती से लग चुका है, पौधे का बीज इतनी मजबूती से लग चुका है कि उखाड़ने वाले खुद ही न उखड़ जांय, यह अंदेशा है। जो कुछ विकास हुआ है, एक बात जरूर है कि जब हम कहते हैं कि हमने अपना विकास किया है, पौधे का विकास किया है, जो उस पौधे का सिंचन करने वाले हैं, उसका विकास करने वाले हैं, जब कली खिल जाती है, बढ़ने लगती है, क्षमा करें विधान सभा के मेम्बर, मधुमक्खी की तरह हैं, कली खिली है, जिस तरह से मधुमक्खी को रस मिल जाता है वह अपने क्षेत्र में, अपनी कॉन्स्टिटुएन्सी में उस रस को दे देती हैं, उस पौधे की तारीफ करती हैं, सराहना करती है लेकिन जो सदस्य मधुमक्खी की तरह उस पौधे पर बैठ कर उसका रस नहीं पाते, उस रस का आस्वादन नहीं करते वे उस पौधे की और रस की सरहना नहीं करते हैं। वह मधु-

(श्री मूलचन्द डागा)

मक्खी जो रस नहीं पाती है, वह भिनभिनाती है और कहती है कि रस नहीं मिलता । कई ऐसे साथी भी हैं जो उन कलियों और पौधों के पास जाना पाप समझते हैं और दूर से आवाज करना चाहते हैं कि उस पौधे को वे उखाड़ना चाहते हैं । वे भूल करते हैं । जो पौधा सिंचित किया हुआ है, सिंचन जिसका किया गया है, जिसको पाला गया है, पोषा गया है और बड़ा किया गया है, माली लोग उस पौधे पर गर्व करते हैं कि हमने यह पौधा तैयार किया है, पल्लवित किया है; लेकिन हम कहते हैं कि राजस्व मंत्री ने भूमि तैयार की ऊंची नीची, सिंचाई मंत्री द्वारा पानी देने का जो तरीका है उससे पौधा गल गया, उद्योग मंत्री समझते हैं कि तुम्हारे तैयार किये गये पौधे का हम विकास नहीं करेंगे । हमें चुनौती मिली है, वे चुनौती देने के अधिकारी हैं क्या ? उन चेहरों पर जो भाव हैं उनको लिख नहीं सकते, नूतन नहीं कर सकते हैं, कला द्वारा खींच नहीं सकते हैं, उनके चेहरों का भाव प्रकट करता है कि अभिलाषाओं का स्वागत करते हैं, पौधा लगाया है वह सही है । लेकिन हम कहते हैं कि हमारी इच्छाओं का आदर नहीं किया गया । गत पांच सालों के भाषणों पर पौधा विकसित करने का हमको भी अधिकार है और इस पौधे को खाद और सिंचन करने में जन–सहयोग लगा है । हमने भी अपना दृष्टिकोण रखा है, जनता का दृष्टिकोण रखा है । हमारी दिलचस्पी भी इस पौधे के ऊपर है । यह उखड़ न जाय; यह हम चाहते हैं और इसका सही विकास हो, यह सही तरीके से पल्लवित हो, फले–फूले और इसका रस ठीक तरीके से वितरित हो । मधुमक्खी बैठती हैं, किसी को रस मिलता है और किसी को नहीं मिलता; अलग अलग दृष्टिकोण से बैठी है और कहती हैं कि हमको रस मिला और कोई कहती हैं कि हमको रस नहीं मिला ।

हिन्दुस्तान में राजस्थान ने एक पौधा लगाया और उस पर एक कली खिली विकेन्द्रीकरण की । एक पौधा लगाया जिसको लेकर हिन्दुस्तान में एलान किया गया कि राजस्थान ने कोमल पौधा, लचीला पौधा लगाया है उस पर एक कली खिली है, विकेन्द्रीकरण की । लेकिन यह सोचना है कि हम यह समझते हैं कि वह कली क्या रंग लायगी ? उस पर विचार करना है ।

स्वाधीनता के पूर्व भी कांग्रेस और बुद्धिजीवियों के मन में एक स्पष्ट बात थी कि लोकशाही को कायम रखने के लिए विकेन्द्रीकरण करना होगा । यह नयी बात नहीं थी । महात्मा गांधी ने अनेक तरह से व्याख्या की थी और स्पष्ट तरीके से कहा था वह प्रशासन व्यवस्था नहीं जिसमें निम्नतम और कमजोर वर्ग को समानता का स्तर न दिया जाय । जहां समानता का स्तर उनको देने का सवाल था महात्मा गांधी ने कहा था, मैं राज्य की प्रशासन व्यवस्था ऐसी चाहता हूँ जिसमें कमजोर और निम्न वर्ग को समानता का अवसर दिया गया हो ।

क्या आप इस बात को मानते हैं कि जो चुनाव हुए हैं, यह सारा खेल हुआ है, आपने जो एलान किया है उसका यह नतीजा निकलता है कि उन कमजोर और निम्नतम वर्ग के लोगों को इन कुर्सियों पर आसीन किया गया है ? शायद आप सोचेंगे । जहां हम लोकतन्त्रीय विकेन्द्रीकरण की बात करते

(श्री मूलचन्द डागा)

हैं, आदर्श और सक्षम की बात करते हैं, ऐसा लोकतन्त्रीय विकेन्द्रीकरण चाहते हैं जिसमें सामानता और सक्षम आदर्श हो तो मैं कहता हूँ कि आपने जो लोकतन्त्रीय विकेन्द्रीकरण की कली खिलायी है उसमें वह कहां है ? गरीब और अमीर की मुठभेड़ का ही आपको इसमें प्रतिबिम्ब नजर आवेगा। लोकतन्त्रीय विकेन्द्रीकरण जो कुछ होगा तो वह यह कि जहां गरीब की झोंपड़ी ने महलों को टक्कर दी। महल और झोंपड़ी में टक्कर हुई। समाज में ऐसा वर्ग है, साधन सम्पन्न वर्ग है जिसके जीवन की सफलता ही गरीब लोगों के शोषण पर आधारित है। हमारे समाज में ऐसा वर्ग है और उसका आदर, उसके जीवन की सफलता गरीबों के शोषण पर ही आधारित है और जिस समाज में असन्तोष है, जिस समाज में विषमतायें हैं वहां पर प्रजातंत्र पनप नहीं सकता। लोकतन्त्र शासन प्रणाली न होकर जीवन–प्रणाली होनी चाहिये। आज जिस प्रकार की मनोवृत्ति जनता में है वह पलटनी होगी। बिना मनोवृत्ति पलटे जनतन्त्र पनप नहीं सकेगा। आप मुझे क्षमा करेंगे, यह कह सकता हूँ कि आज जो विकेन्द्रीकरण हुआ है उसमें ईमानदारी के साथ खिलवाड़ किया गया है। आज जिस तरह का स्तर देखने में आया है उससे मानवीय स्तर गिर गया है। आज इस प्रकार के स्तर के गिरने का एक कारण है पंचायत समितियों में इस प्रकार से होने वाले सहवरण का यह जो को–ऑप्शन का क्लॉज़ है वह बड़ा खतरनाक क्लॉज़ है। माननीय मन्त्री महोदय इस पर विचार करें। क्या वे चाहते हैं कि इसी आधार पर देश में सक्षम और स्थायी राज्य शासन स्थापित कर सकते हैं ? मैं यह नहीं चाहता कि आज हम इस प्रकार से चुनाव करें जिसमें गरीबों के साथ खिलवाड़ किया जाता हो। मैं इस सम्बन्ध में इतना कह सकता हूँ कि यह नर–कन्कालों के बीच नर–पिशाचों का नृत्य था; एक ऐसा नृत्य था जिसे हम पिशाचों का नृत्य कह सकते हैं। कोई खद्दर पहिन लेता है तो उसे यह समझ नहीं लेना चाहिये कि वह ईमानदारी का ठेकेदार हो चुका, इससे केवल समाज में श्रद्धा और पूजा नहीं होती। कोई दाढ़ी रखने से सरकार नहीं बनती उसके लिए दिल चाहिये। कोई गोल चक्कर रुपया नहीं होता उस पर मोहर चाहिये। आज हमारी लोकतन्त्र की प्रणाली है वह विषमता से भरी हुई है।

आज हम समाज में झोंपड़े और महल का अन्तर देखते हैं। आज हम देख रहे हैं कि निम्नतम व्यक्ति को समाज में उचित स्थान प्राप्त नहीं है। इसलिए हम यह कहते हैं कि हमने विषमताओं का किस हद तक निराकरण करने की कोशिश की है। आज एक गरीब तकावी लेने जाता है तो उससे जमानत पूछी जाती है। उससे पूछा जाता है कि तुम्हारे पास जमीन है क्या ? आप गरीब की गरीबी मिटाना चाहते हैं और उससे जमानत मांगते हैं। आप इस तरह से इन्सानियत को ललकारना चाहते हैं। जिस गरीब की स्थिति विषम है जिसको आप ठीक स्थिति पर लाना चाहते हैं वहां आप उससे जमानत की मांग करते हैं। आज किसान को भूमि देने का सवाल है। राजस्व मन्त्री कहते हैं कि हमने उसको भूमि दी है लेकिन जमीन दी किसको है ? क्या गरीबों को दी है ? आज गरीबों को

(श्री मूलचन्द डागा)

जमीन देने के लिए तैयार नहीं जो शक्तिहीन हैं। जो गये–गुजरे हैं उनको आप जमीन देते तो हम भी मानते, लेकिन जिस किसी को भी जमीन दी गई है वे ताकतवर लोग हैं। गरीबों का नाम लेकर आप चाहते हैं कि उनको जमीन मिले, तो आपको इस तकाबी कानून में परिवर्तन करना चाहिये था उसमें संशोधन होना चाहिये था, लेकिन आज उनकी सुनता कौन है ? गरीब अपनी आवाज करता रहेगा, फिर भी उससे तकाबी के लिए जमानत मांगी जायगी।

जमीन के टुकड़े नहरी इलाके में दिये जा सकते हैं, हरिजनों के नाम से दिये जा सकते हैं लेकिन उसके साथ यह नहीं कि उनको दस साल का रुपया पहले दे दें ताकि वे जमीन ले सकें। लेकिन आप विषमताओं का निराकरण करना नहीं चाहते। आप उन विषमताओं का बंटवारा कर सकते हैं लेकिन यह आपके वश की बात नहीं है। आज हम देखते हैं कि आज मजदूर और गरीब उसी हालत में हैं, उद्योगपति मालदार बने हुए हैं और बनते जा रहे हैं, गरीबों की हालत और गिरी है। आज विषमताओं का अन्त हुआ कहां है ? ब्लैक मार्केटियर्स आज इकट्ठे होकर जगह जगह इन्डस्ट्रीज़ कायम करते जा रहे हैं। आज सारा उद्योग ब्लैक मार्केटियर्स के हाथ है। वे यहां का माल ब्लैक मार्केट में, बम्बई ले जाकर बेचते हैं, दूसरे शहरों में वह माल जाता है। जहां हम डेमोक्रेसी की ओर अग्रसर हो रहे हैं वहां हमें विषमताओं का अन्त करने की ओर कदम रखना होगा। आज गरीबों को ठुकराया जाता है, गरीबी उनके लिए अभिशाप है, आज उन्हें गले लगाने की जरूरत है। आज देखते हैं, एक चपरासी के बच्चे को दवा मुफ्त मिल सकती है, लेकिन एक गरीब जो अस्पताल जाता है उसको दीवारों से ठोकरें खानी पड़ती हैं, फिर भी उसको दवा नहीं मिलती। आप कहां इस प्रकार की विषमताओं का निराकरण करने जा रहे हैं ? आज हम देखते हैं विषमताओं का अन्त नहीं हुआ है और ये बढ़ती जा रही हैं।

मजदूरों की हालत को ही लीजिये। वहां मजदूरों के लिए क्वार्टर बन चुके लेकिन आज उनके यहां बिजली की व्यवस्था नहीं है। इस अर्से में जहां मिल मालिक डेढ़ लाख, दो लाख का लाभ कमा चुका है, उनके जहां बोनस का सवाल है जो ट्रिब्यूनल के पास पड़ा है उसका फैसला नहीं होता। चार रुपया मंहगाई उनको मिल जाती तो क्या हो जाता ? केवल तीन हजार मजदूरों का सवाल था। आज हमारी अदालतों का हाल यह है आज जहां मजदूरों के बारे में निर्णय देने का सवाल होता है महीनों बीत जाते हैं। मजदूरों के लिए वहां मकान बनाये गये किन्तु उनके लिए बिजली की व्यवस्था नहीं है। चार साल हो गये; बारह बजे जाते हैं, अन्धेरे में ठोकरें खाते हैं ठीक प्रकार से पानी की व्यवस्था नहीं। म्युनिसिपैलिटी को कहां जाता है तो वह कहती है कि हमारा एरिया नहीं, लेबर डिपार्टमेंट कहता है इसके लिए हमारे पास मत आओ। यह क्या तमाशा है ? आखिर वे अपनी मांग कहां ले जावें ?

थोड़े में ही मैं बताना चाहता हूँ। जिस

(श्री मूलचन्द डागा)

किताब से मैं पढ़ रहा था उसमें यह बताया गया कि राजस्थान में मजदूरों की तरक्की कैसे हो, यहां ट्रेड यूनियन्स की संख्या २१३ है ? मैं जो कुछ कहता हूँ आपकी किताबों से पढ़ कर कहता हूँ। इसलिए हमारी प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि जहां २१३ संस्थायें पनपती हैं वहां पर क्या होता है कि अगली साल वे केवल २१३ रह जाती हैं। फिर उन संस्थाओं का क्या हाल हो ? उनकी बातों को सुनने का कोई सवाल नहीं। हमारे यहां इस तरह से ट्रेड यूनियन मूवमेंट पनप नहीं सकता, लेबर लॉज़ को को कोडीफाइ नहीं कर सकते । हमारे यहां मजदूरों के लिए जो ट्रिब्यूनल बैठते हैं, उनके फैसले वर्षों तक अटके रहते हैं । ऐसी हालत में बताइये मजदूरों के स्तर और किसानों का स्तर किस प्रकार से उठ सकता है ? आज आप किसान और मजदूर का राज्य कायम करना चाहते हैं। उस मजदूर और किसान की हालत यह है। जहां तक वेज बोर्ड के फैसले का सवाल है हमारे यहां के मिल पर वह लागू नहीं हुआ है उसका फैसला लटक चुका है, यह हालत है हमारी अदालतों की। वहां भी जीत थैली वाले की होती है, सत्यनारायण की नहीं। सारी अदालतों के एडमिनिस्ट्रेशन पर हमारे राज्य का करोड़ों रुपया खर्च होता है किसान और मज़दूर की कमाई का। आज एस० डी० ओ० को टाइम नहीं क्योंकि वह विकास के काम में लगा हुआ है, सारे बयानात क्लर्क द्वारा लिये जाते हैं। कॉमेन्टरी, प्रोसीडिंग्ज़ आदि जो भी होती हैं उन सारे केसेज़ के बयानात क्लर्क्स द्वारा लिये जाते हैं और फैसले भी क्लर्कों की राय पर होते हैं । ईश्वर के नाम पर मैंने आप से पहले भी कहा था कि आप जुडिशियरी को एग्ज़ीक्यूटिव से अलग कर दीजिये, लेकिन अभी तक इस बारे में कुछ नहीं किया गया । आपने बाफना कमेटी का निर्माण इसलिये किया था, उसकी रिपोर्ट भी है लेकिन आप जुडिशियरी को सेपरेट नहीं कर रहे हैं। आपने पी० एस० आई० को मुकर्रर किया है, जो १२० रुपया माहवार पाता है वकालत के लिए। आपने दस हजार रुपया रखा है पिछड़े हुए जो लोग हैं उनको कानूनी सलाह देने के लिए; लेकिन उनकी तरफ से एक भी मुकदमा लड़ा नहीं जाता। सारे जितने भी लोग आपको जेलों में मिलेंगे पिछड़े हुए गरीब और सताये हुए लोग मिलेंगे, क्या यही हमारा न्याय का तरीका है ? बहुत साफ शब्दों में कहूँ, क्या आप इसी तरह से चाहते हैं कि न्याय सस्ता हो, जनता को सुलभ हो, जल्दी हो, ईमानदारी से हो ? पर न्याय के मामले में जो फिगर्स रखे हैं उन पर आप सोचें तो ? ७५ पर्सेन्ट केसेज़ के यों ही जाते हैं। किसको फ़ुरसत ? लाखों–हजारों रुपये भत्तों के रूप में सरकार को देने पड़ते हैं। गवाहियों के लिये लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, पर मजिस्ट्रेट साहब नहीं मिलते और कामों में वे मशगूल रहते हैं। सरकार के सारे नियम–उपनियम पड़े रहते हैं । यह है आपका न्याय, आप कहते हैं। हमारे देश की तरक्की हो, देश की उन्नति हो, देश अभ्युदय और उत्थान की ओर जावे ।

मैं एक चीज पढ़ना चाहता था । सारी बातें कह दीं। खनिज विभाग ही लीजिये। क्या हालत है उसकी ? आप कहते हैं वहां

(श्री मूलचन्द डागा)

दौलत पड़ी है, राजस्थान के कण कण को हम सोना बना देंगे, राजस्थान के खेत लह-लहा उठेंगे। बड़ी अच्छी आपकी भाषा है। मैं कहता हूँ, आप थोड़ा बहुत इस खनिज विभाग को महरबानी करके देखिये। यह आपका खजाना बढ़ा सकता है, आपकी दौलत बढ़ा सकता है, पर उसकी आज क्या हालत है ? इस बारे में समिति कहती है :

"इस (प्राक्कलन समिति) की यह निश्चित राय है कि खनि अभियन्ताओं, जो टैक्निकल ज्ञान से सम्पन्न अधिकारी हैं, उनकी सेवाओं का उपयोग केवल टैक्निकल कार्यों अर्थात् राज्य के खनिज विकास के लिये किया जाना चाहिए। समिति की यह भी दृढ़ धारणा है कि जब तक खनिज विभाग का पुनर्गठन उप-रोक्त आधारों पर नहीं किया जायगा तब तक राज्य सरकार को खनि अभियन्ताओं जैसे प्राविधिक ज्ञान से सम्पन्न उच्चाधिकारियों की सेवाओं का समुचित लाभ नहीं मिलेगा।" और फल क्या हुआ ? इसका फल सोचिये। इसका यह नतीजा हुआ :

"समिति को यह कहते हुए खेद होता है कि जिस विभाग का वार्षिक बजट कुल मिलाकर २०–२२ लाख रुपये से अधिक का नहीं है, उस विभाग में बकाया की राशि पिछले सालों से लगभग ३३ लाख रुपये चली आ रही है।....किन्तु समिति को यह कहते हुए खेद होता है कि विभाग द्वारा दिनांक २८–११–५८ को भेजी गई सूचना के अनु-सार उक्त प्रतिबन्ध कि जिन पार्टियों में बकाया हो उन्हें आगे किसी प्रकार के लाइसेन्स अथवा लीज़ नहीं दिए जाएं तथा उनके सर्टीफिकेट ऑफ एप्रूवल का नवीनीकरण नहीं किया जाय, का कोई पालन नहीं हुआ है। उदा-हरण के लिये मैसर्स मेवाड़ मिनरल कम्पनी, उदयपुर तथा...."

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या ये बातें राज्यपाल के अभिभाषण में है ?

श्री मूलचन्द डागा : जिस विभाग की तारीफ राज्यपाल ने की है उसके लिये समिति ने यह भी बतलाया कि जिन पार्टियों में बकाया रकम है उसके बारे में समिति को यह भी बताया गया कि जिन पार्टियों में बकाया है उन्हें ६० दिन की अवधि में बकाया रकम जमा करा देने के नोटिस का प्रावधान किया गया है पर; इस सम्बन्ध में भी वास्तविक स्थिति इस प्रकार है कि उक्त अवधि के बाद भी राज्य सरकार को पार्टियों में बकाया होते हुए भी लीज़ अथवा लाइसेन्स की आज्ञा प्रदान करने के लिये सिफारिश की गई। इस बारे में आंकड़े बताये हैं और इससे स्पष्ट है कि सन् ४६ से लाखों रुपये पार्टिय में बकाया हैं और आगे लिखा है कि जो टैक्निकल नॉलेज रखते हैं उनसे ऑफिस का काम अभी भी लिया जा रहा है। सिफारिशों पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता और बकाया का यह हाल है कि अभी ३३ लाख रुपये बकाया हैं और जिन पर यह बकाया होने के कारण आगे लाइसेन्स देने का प्रतिबन्ध लगाया गया, उन्हें भी कह दिया गया कि तुम्हें लाइसेन्स और सभी सुविधाएं मिलेंगी। यह है आपकी प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट।

जिस विभाग से हम करोड़ों की आमदनी पैदा कर सकते हैं उसके बारे में सरकार का यह रवैया है। आइरन ओर का और कोयले

(श्री मूलचन्द डागा)

के बारे में कई बार प्रश्न उठे। अगर सरकार थोड़ा सा भी ध्यान देकर रेलवे की सहूलियत दिलाती तो राजस्थान का काफी लोहा बाहर जा सकता था, जापान जा सकता था, जहां इसकी बड़ी मांग है और जरूरत है। अब सवाल यही नहीं है कि यह लोहा नहीं जा सका, पर सवाल यह भी है कि हम लोग किस प्रकार अपनी शासन व्यवस्था को चला रहे हैं? सरकार के यह बाहर की बात है कि वह प्राक्कलन समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करे। इससे तो बहतर यह होता कि इन प्राक्कलन समितियों को ही बन्द कर दिया जाता ताकि हजारों रुपया जो इस समिति पर खर्च किया जा रहा है वह तो कम से कम बन्द हो जाता। प्राक्कलन समिति की रिपोर्टों की बार बार अवहेलना की गई है।

मैं बताना चाहूँगा कि हमारी सहकारी समितियों की क्या हालत है। हर साल कुछ न कुछ दिवालियापन की तरफ जाती हैं और आंकड़ों से साफ जाहिर है कि ५७–५८ में ६२ समितियां लिक्विडेशन में आई और इस बारे में समिति ने क्या राय दी है :

"इन आंकड़ों से प्रकट होता है कि समितियों की संख्या प्रति वर्ष बढ़ी है, यह स्वाभाविक नहीं।"

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

"इसके अतिरिक्त प्रति वर्ष कर्ज की राशि बढ़ती गई है और पेमेन्ट की राशि कम होती गई है....और ज्यादा ज्यादा संख्या में लिक्विडेशन में गई है और उनकी रकम आने की उम्मीद नहीं है।" बताइये आपकी इतनी संस्थाएं एक साल में लिक्विडेट हो जावें, उन सहकारी समितियों से आप क्या आशा कर सकते हैं? इस पैसे से जो हमने विकास के हित के लिये लगाया है क्या विकास हो सकेगा? यह आपकी सहकारी समितियों की स्थिति है। आप ताज्जुब करेंगे कि हमारा २४ लाख रुपया गबन के मामलों में अटका हुआ है। उन्होंने बताया कि ६६५ मामले ऐसे हैं कि २४ लाख की धन–राशि का गबन हुआ है और कब से? ४६–५० से और यह गबन २००) रू० से ऊपर का। नीचे के गबन के आंकड़े दिये ही नहीं गये हैं।

समाज कल्याण को लीजिये। इसकी गाड़ियों की हालत लिखी है। समिति ने लिखा है कि सरकारी गाड़ियों के घर के सदुपयोग के बारे में लिखा है। 'सदुपयोग' शब्द का उपयोग किया है अपने तेरहवें–चौदहवें प्रतिवेदन में। गाड़ियों का यह सदुपयोग रूकना चाहिये। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार इस काम में सतर्क नहीं है। यही नहीं, बंटवारा भी ढंग से नहीं होता। यह बताया गया कि एक छात्रालय में, जिसमें ५० विद्यार्थिगण हैं वहां खर्चा होता है १७,३३२)रू० और एक छात्रालय है जिसमें भी पचास छात्र हैं; पर वहां खर्चा होता है केवल ४,२५७) रु०। शायद वहां गेहूँ मिलता है रुपये का डेढ़ सेर और वहां मिलता होगा दस सेर?

राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में समय और धन की सारी बातें लिखीं और फिर विषमताओं को रखा। लोकतान्त्रिक शासन में यह सिद्धान्त है कि वह अपनी कमजोरियों को जनता के सामने रखे। वही लोकतन्त्र जीवित रहता है जो अपनी कमजो-

(श्री मूलचन्द डागा)

रियों को स्पष्ट रूप से जनता के सामने रख देता है । अभी आपने भाषण सुना होगा । साफ शब्दों में कहा गया कि स्वतन्त्र और सुदृढ़ लोकतन्त्र वह है जो अपनी कमजोरियों को स्पष्ट शब्दों में जनता के सामने रख देता है । पर यहां का लोकतान्त्रिक शासन अपनी कमजोरियों को जनता के सामने रखने में मेरे ख्याल से झिझकता है । यह आपकी झिझकपूर्ण वृत्ति और यह ढिलमिल नीति आपको खत्म कर देगी और हमें नुकसान पहुँचावेगी और प्रजातन्त्र पनप नहीं सकेगा ।

(३.५० म० प०)

(श्री विशम्भरनाथ जोशी, सभापति, पदासीन)

मैं यह चाहता था कि हम लोग एक और बात कह दें कि जो हम कहते हैं उसकी ओर भी ध्यान दिया जाये ।

अब मैं प्रशासन व्यवस्था के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूँ । इसके लिए अभी पं० जवाहरलाल नेहरू ने आर्थिक समीक्षा में एक जगह किन सिद्धान्तों का स्वागत किया है, वह मैं बताना चाहता हूँ । "सरकार के हाथ में असीमित कोष सौंप देने का केवल अर्थ है, प्रशासन के कन्धों पर बेकार अधिकारियों और अनावश्यक कागजों का बोझ लादना । ऊंचे कर देने के बाद हम केवल प्रशासनिक कार्यों में देरी होना ही देख सकते हैं ।" उन्होंने इनका उत्तर बताया, "विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था में प्रशासनिक प्रवृत्तियां होनी चाहिए ताकि निर्धारण और उसके कार्यान्वयन में कम से कम अन्तर रहे ।" पर हमारे यहां क्या तरीका है ? मैंने सारे उदाहरण आपके सामने रखे कि हम इतना प्रशासन बढ़ा रहे हैं, इतने अधिकारी बढ़ा रहे हैं लेकिन उसका परिणाम जो मिलता है वह आप जानते हैं । तो मैं यह चाहता हूँ कि हम लोग इस आशा को लेकर चलते हैं कि एक हमारा भी हिस्सा है इस लोकतांत्रिक पौधे को लगाने में । हमारी भी बातों का स्वागत किया जाये और हमारी बातों को सुनकर उनको अमली जामा पहिनाया जाये ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई, उप–मन्त्री, शिक्षा द्वारा वक्तव्य एवं उस पर वाद–विवाद

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (उप–मंत्री, शिक्षा) : चेयरमैन महोदय, मेरे ऊपर एक माननीय सदस्य ने कुछ आक्षेप लगाये थे उनका जवाब देने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ....

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : On a point of order, Sir, ये माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं वे गवर्नर महोदय के एड्रेस पर कुछ कहना चाहें तो डिबेट के बीच में इन्टरवीन कर सकते हैं । जहां तक पर्सनल एक्सप्लेनेशन का सम्बन्ध है आपके पूर्व माननीय उपाध्यक्ष महोदय के समक्ष यह मसला आया था और आपने उस समय भी बोलने की इजाजत चाही थी, परन्तु उन्होंने उस समय इस मैटर को ड्रॉप कर दिया था ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : चेयरमैन महोदय, इसमें ऐसा है कि लोकतंत्रीय विकेन्द्रीकरण के बारे में कुछ कहा था, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहां पर इस तरह की बातें सरकार की तरफ से और सरकार के मिनिस्टर चलाते हैं उस सम्बन्ध में कहा गया था....

श्री सभापति : Is it on a point of personal explanation ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : Not only on a point of personal explanation but I want to take part in the debate about my Department.

श्री भैरोंसिंह : There is no personal explanation.

श्री सभापति : It is also a personal explanation which is a privilege of any member of this House for which he can intervene at any stage. Now the Hon'ble Minister is speaking on the point of personal explanation and he is seeking intervention about his Department also. He is allowed.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : चेयरमैन महोदय, अभी जब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के ऊपर सदन में बहस चल रही थी तो उसके दौरान में लोकतंत्रीय विकेन्द्रीकरण के बारे में एक माननीय सदस्य कह रहे थे। तो उन्होंने लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के कुछ उदाहरण देकर कहा था कि सरकार की कैसी नीति है और किस तरह से मिनिस्टर लोग भी सरकार की जो निर्धारित नीति है उसको असफल बनाना चाहते हैं, इसके बारे में कुछ शब्द कहे थे। उसमें उन्होंने दो बातें कही थीं कि एक तो मैंने किसी मीटिंग में यह कहा कि पंचायतों के चुनावों में बनिये, ब्राह्मण और राजपूत; इन तीन कौमों के उम्मीदवारों को मत नहीं देना चाहिए और दूसरे उन्होंने यह फरमाया कि जिला परिषद् जालोर ने मेरे खिलाफ एक रिज्योल्युशन पास किया था कि क्योंकि मैं जातिवाद का प्रचार करता हूँ इस जिले के लोकतंत्रीय विकेन्द्रीकरण में, इसलिए मुझे इस जिले में आने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। ये सब बातें मुख्य मंत्री महोदय की जानकारी में थीं और मेरे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया।

सभापति महोदय, मैं नम्र निवेदन कर देना चाहता हूँ कि मैंने कोई इस तरह की किसी मीटिंग में यह नहीं कहा कि जनता को ब्राह्मण, बनिया या राजपूत को वोट नहीं देना चाहिए या मैंने कभी यह साजिश की हो अपने मन में भी हो कि मैं इन लोगों के खिलाफ हूँ। उसके बाद में सवाल आता है रिज़ोल्युशन का। मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ कि इस तरह का कोई रिज़ोल्युशन जिला परिषद्, जालोर ने मेरे खिलाफ पास नहीं किया कि मैं जातिवाद का प्रचार करता हूँ इसलिए मैं उस जिले में कभी नहीं जाया करूं। यह जो कुछ कहा गया है मैं समझता हूँ कि व्यक्तिगत द्वेष की वजह से कहा गया है क्योंकि हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि माननीय सदस्य जिन्होंने ये बातें कही हैं वे सदन के एक बड़े प्रतिष्ठित सदस्य हैं और उनको काफी अर्से का तजुर्बा भी यहां काम करने का है और मैं जहां तक समझता हूँ वे हमारे इस सदन के कुछ चुने हुए सदस्यों में से हैं कि जिनको पार्लियामेन्टरी प्रोसीजर के विशेषज्ञों में माना जा सकता है। मैं नहीं कहता कि उन्होंने जो कुछ भी बातें कही हैं वे अनजाने में कह दी हो या उनको पार्लियामेन्टरी प्रोसीजर मालूम नहीं था; यह मैं नहीं मानता हूँ क्योंकि कोई व्यक्ति या तो सीधे कह कर अपना द्वेष प्रकट कर सकता है तो मैं यह कहूँ कि ऐसा नहीं हुआ है

Page No.92

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

और मैंने हाउस को गलत इनफोर्मेशन नहीं दी है और मीटिंग के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। उसी समय मैंने अर्ज किया था कि अगर मीटिंग का हवाला माननीय सदस्य दे दें या तारीख बता दें तो मैं अपनी सफाई अच्छी तरह से दे सकता हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं होते हुए उन्होंने कतई जानकारी करने की कोशिश नहीं की आक्षेप लगाने से पहले, सदन में बोलने के पहले कि किस व्यक्ति को कितना जिम्मेवार होना चाहिए और मैं जानता हूँ कि वे बहुत ही जिम्मेदार सदस्य हैं और जिम्मेदारियों के प्रति हमेशा जागरूक रहते हैं और जागरूक हैं, लेकिन जो कुछ कहा है वह किसी उद्देश्य से कहा है और अपने उस उद्देश्य की सिद्धि के लिए यह बात कही है।

तो अब मैं निवेदन करूंगा कि मैंने ६ पंचायत समितियों में दिलचस्पी ली थी, ताकि अच्छे व्यक्ति उनमें आयें। उनमें मैंने अपनी पार्टी के लिए भी कोशिश की थी। इन ६ पंचायत समितियों में से एक पंचायत समिति सांचौर के प्रधान के लिए है। शुरू से ही वह केन्डीडेट था जिसको कि १६५२ में कांग्रेस पार्टी का टिकट दिया था। वह शुरू से आखिर तक मेरा अच्छा साथी है। दूसरों ने उसको बहुत ही हटाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं हट सके। मैं किसी दूसरे व्यक्ति को हटा कर अपने कौम के व्यक्ति को लाना चाहता तो इसकी भी इसमें गुंजाइश नहीं है क्योंकि शुरू से ही वे इसके लिए केन्डीडेट हैं और आज भी हैं। वे जाति के महाजन या बनिया हैं। दूसरा केन्डीडेट जो रानावाड़ा से जीता है वह परब्रतसिंह है और जाति का राजपूत है। उसके लिए यदि मैं कहूँ कि वह 'ब्लुएस्ट ब्लडेड' राजपूत है तो कोई गलती नहीं होगी। वे कांग्रेस मण्डल के अध्यक्ष थे और जिस दिन से काम किया यह आधार बना कर काम किया कि इस व्यक्ति को प्रधान लेना है।

(४. म० प०)

यदि मैं राजपूतों और महाजनों के खिलाफ होता तो इन दोनों को ही खड़ा क्यों करता पहले मैं अपनी कौम के लोगों को ही खड़ा करता। तीसरी पंचायत समिति जिसमें मैंने दिलचस्पी ली वह जसवन्तपुरा पंचायत समिति थी। उसमें मेरे केन्डिडेट श्री सांवलचंद जैन थे, जो आखिर तक खड़े रहे और हार गये। चौथे श्री सुन्दरलाल जो जाति के ब्राह्मण हैं वे केन्डिडेट थे। मैंने कोई इधर उधर कूद कर दूसरे को सपोर्ट करने की कोशिश की हो, ऐसी बात नहीं हैं। वे कोऑप्शन में खड़े हुए और हार गये। पांचवीं दिलचस्पी मैंने मेरी कान्स्टिट्युएन्सी में दिखाई थी। वहां एक प्रधान जो आये हैं वे राजपूत हैं। उनके बारे में भी यह नहीं कहा जा सकता कि उनको टोपी पहिना कर लाया गया हो। वे पिछली बार भी आये थे। छठी पंचायत समिति में चौधरी जाट हैं उनको प्रधान लाया। जहां तक मेरी कौम का सवाल है कुल १७० पंचायतों में से केवल ७ या ८ सरपंच हैं। यह नहीं कि ५० खड़े, हुए हों और हार गये हों, इसलिये मैंने जातिवाद को छोड़ दिया हो, ऐसी बात भी नहीं है। मेरी कौम के सिर्फ दो या तीन व्यक्ति हैं जो

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

पंचायत चुनाव में हारे हैं। शुरू से मेरा ख्याल हो कॉम्युनलिज्म का, ऐसी बात नहीं है। एक जगह मैं राजपूत को लाया, लूनी में एक महाजन केसरीमल हैं उनको बनाया। सांचोर में मेरी ही कॉम्युनिटी के लोग हैं जो पूरे जोधपुर में सबसे ज्यादा वहां पर कॉसेन्ट्रेटेड हैं।

माननीय सदस्य को शायद गलत फहमी हो गई है बिश्नोइयों के बारे में। यह एक गरीब कौम है, पिछड़ी हुई कौम है। मैंने ही पहले पहल ग्रेजुएशन किया। आपको शायद मालूम नहीं है कि बिश्नोई कौन होते हैं। भरतपुर की तरफ शायद होते नहीं हैं, इसलिये आपने समझ लिया होगा कि ये भी शायद जाट ही हैं और जाट कॉम्युनलिज्म के बारे में हल्ला मचाया जा रहा है, इसलिये आपको सहारा मिल गया कि कॉम्युनलिज्म फैलाते हैं। मैं बहुत थोड़े में यह कह दूं कि बिश्नोई एक जाति नहीं है बिश्नोई धर्म चलाने वाले और उसके प्रोटेक्टर राजपूत थे जिनके खानदान के एक सदस्य राव साहब मसूदा इस हाउस में हैं, जिनके बुजुर्ग इस धर्म के प्रोटेक्टर थे। २०० साल तक हमारे धर्म के पुजारी मुसलमान थे, संरक्षक राजपूत थे और जहां तक फोलोअर्स का सवाल है। इसमें अग्रवाल, गोयल, गर्ग, राजपूत, हाडा, माहेचा, राठौड़ आदि हैं। ५०० वर्ष पहले जब हिन्दू और मुसलमान में आपसी फूट थी तब यह बात चली थी कि इनको युनाइट कैसे किया जाय। तब दोनों धर्म के सिद्धान्तों में से बातें ली गई। हिन्दू धर्म में से बहुत सी बातें लेकर और मुस्लिम धर्म में से बहुत सी बातें लेकर यह मत चलाया गया। जाट व राजपूत बहुत से मेरे दोस्त हैं। ऐसी बात नहीं है कि मैं जाट कॉम्युनलिज्म को फैला रहा हूं। जो लोग ऐसी बात करते हैं वे गलत कहते हैं।

जाटवाद का नारा चलाया जाता है और कहते हैं कि जाट राजपूतों के खिलाफ हैं। पता नहीं अच्छे से अच्छे अखबार भी कैसे गलत-फहमी से चलते हैं। मुझे एक भी नजीर दीजिये कि जाटों और राजपूतों में कहीं एक भी दंगा हुआ हो। दोनों ही साथ साथ शान्ति से रहते हैं, आराम से रहते है, दोनों ही लोग अच्छी तरह से समझे हुए हैं, उनके आपस में कोई टंटा नहीं है। लेकिन इन बातों को बढ़ावा कौन दे रहा है? राजपूतों में से जागीरदार भी थे, बहुत से समझदार लोग थे जिन्होंने त्याग कर दिया। किसानों में जाट भी थे और दूसरी कौम के लोग भी हैं, लेकिन जाटों की संख्या ज्यादा थी। ग्रामीण जनता कौमों के भेद को भूल गई, लेकिन कुछ राजनैतिक लोग हैं जो इनका दुरुपयोग करते हैं। बहुत से भाई कांग्रेस में आये उनका भी दिमाग साफ नहीं था। हो सकता है कि माननीय सदस्य भी जो पहले विरोधी दल में थे और उधर से भी आये थे, जागीरदारों से भी उनका सम्पर्क था, तभी उनको अच्छा नहीं लगा। क्योंकि जाट–किसान ज्यादा हैं और उनमें से एक–दो आगे आ गये हैं उनको कैसे छुड़ाया जाय, यह सोचा होगा। इसका समर्थन इस बात से भी मिलता है। माननीय सदस्य को जब इन तथ्यों के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी तो इस तरह की बात यहां नहीं करनी थी और वे कांग्रेस पार्टी के ही सदस्य हैं। हम साथ में ही बैठते हैं, पार्टी में इस बात की

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

जानकारी की जा सकती थी और वहां पर आरोप लगाया जा सकता था। लेकिन उन्होंने इस बारे में यहां कहा, यह उनका व्यक्तिगत द्वेष मालूम होता है....

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : यह बात व्यक्तिगत है।

श्री सभापति (श्री बिशंभरनाथ जोशी): It is not very necessary for the Hon'ble member to enter into all these details. He may simply explain his position.

श्री अर्जनदास (अजमेर–पश्चिम) : ऐसी बातों से हमारा टाइम क्यों खर्च किया जाता है ?

श्री सभापति : The Hon'ble Minister has explained his position which he has every right to do. I just cautioned him not to enter into details.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इस बात को छोड़ देता हूँ। व्यक्तिगत सुबूत देना चाहता हूँ....

श्री सभापति : You explain your position. You need not make any counter aspersions.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : चेयरमैन महोदय, आज इस बात को जानने की जरूरत है कि हमारे देश में कितनी कौमें हैं, कितने धर्म हैं, कितने धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं जिनके बल–बूते पर हमारा देश आज तक बना रहा। जातिवाद के नाम पर इस तरह की बातों को बढ़ावा देना ठीक नहीं है। आप जाट–वाद की बात कहते हैं। आप बता सकते हैं क्या कि जाटों की कौनसी सभा है ? ये बातें अखबारों में निकलती हैं कि जाटवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, ऐसा हो–हल्ला हुआ है, लेकिन क्या कभी जाटवाद के नाम पर दंगे हुए हैं ? ठीक है, आज से १३ साल पहले एक सवाल चला था....

श्री मुरलीधर व्यास : इस तरह की बातें यहां क्यों की जाती हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : आपको बुरा क्यों लगता है ?

श्री मुरलीधर व्यास : मैं इस तरह की बातें हाउस में नहीं चाहता।

श्री सभापति : The Hon'ble Minister is in possession of the floor of the House. The Hon'ble member has not raised any point of order. Without raising a specific point of order it is not proper to intervene in the debate.

श्री मुरलीधर व्यास : मैं पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रखता हूँ, आप यदि ठीक हैं तो चैलेन्ज दीजिये।

श्री सभापति : I have already called upon the Hon'ble member to leave out the details and give a pointed reply.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अध्यक्ष

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

महोदय, जहां तक मेरा व्यक्तिगत सवाल है, मैं इतिहास का हमेशा अध्ययन करता हूँ। राजपूत कौम की क्या सेवाएं देश के लिये रही हैं, इससे मैं परिचित हूँ और उसकी अच्छाइयों को एडमायर करनेवाला हूँ। इस तरह की बातें करके फिजूल का विष हमारे यहां नहीं फैलाना चाहिये और मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिये कह दूं कि मेरे जितने राजपूत दोस्त हैं उतने दूसरी कौम के नहीं होंगे और माननीय सदस्य के जितने राजपूत दोस्त होंगे उनसे मेरे ज्यादा हैं....

श्री भैरोंसिंह : This is not a competition about the number of friends.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : क्योंकि यह लाइट तरीके से सदन में बात कही गई है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि यदि मैं गल्ती पर हूँ तो मैं चाहता हूँ कि तीन सदस्यों की एक कमेटी मुकर्रर करके जांच कराई जाय क्योंकि हम छोटे आदमी हैं और बड़े बड़े काम सौंपे गये हैं राज्य के। उनमें से तीनों राजपूत कौम के हैं, श्री विजयसिंह सिरयारी, मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट, श्री भैरोंसिंह खेजड़ला और अनूपसिंह, सदस्य रामराज्य परिषद्। आप तीनों को जानते हैं–रामराज्य परिषद् विरोध में है, उनके सदस्य के लिए कहा मैंने। इसके अलावा जिन दो माननीय सदस्यों के लिए कहा है, वे दूसरे ग्रूप में हैं। वे कह दें कि मैं कॉम्यूनलिस्ट हूँ, या एन्टी राजपूत हूँ, एन्टी ब्राह्मण हूँ, एन्टी बनिया हूँ तो उनकी रिपोर्ट के ऊपर अपनी मिनिस्ट्री से और इस सदन से इस्तीफा देने को तैयार हूँ और उनकी रिपोर्ट उनके खिलाफ आ जाती है तो इस सदन के माननीय सदस्य के नाते उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। सदन अच्छी तरह से जानता है कि तीनों व्यक्ति उनके ज्यादा नजदीक हैं बनिस्बत मेरे।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : चेअरमैन महोदय, मैंने जो भाषण के दौरान में कहा था, उसका एक्सप्लेनेशन माननीय उप मंत्रीजी ने दिया। मैं यह नेसेसरी समझता हूँ यह कह देना कि उन्होंने दो–तीन शब्द उपयोग किये हैं, पहले भी उन्होंने उपयोग किये थे, जब मैं बोल रहा था–मेरा कोई व्यक्तिगत द्वेष हो–मेरा कोई व्यक्तिगत द्वेष है नहीं और न हो सकता है। दूसरे, उन्होंने कहा कि मैंने अपनी स्पीच में उन पर या किन्हीं माननीय सदस्य पर जाटवाद का आरोप लगाया था। आप मेरी सारी स्पीच देख लें, मैंने जाटवाद का आरोप नहीं लगाया, मैंने कास्टिज्म कहा था और मैं उस पर स्टिक करता हूँ और मेरी बेसिक नॉलेज है, "राष्ट्रदूत" में माननीय उप मंत्री के नाम के साथ प्रकाशित न्यूज़ कि इस प्रकार का रिज़ोल्युशन जालोर में माननीय उप मंत्री के नाम पर पास किया गया है, जो यह रिज़ोल्युशन गलत था, जो लिखा था वह गलत था या न्यूज़ गलत थी तो माननीय उपमंत्री को कॉन्ट्राडिक्शन दे देना चाहिए था। वह नहीं दिया; न गवर्नमेंट की तरफ से और न माननीय उपमंत्री की तरफ से कि "राष्ट्रदूत" में छपी न्यूज़ गलत है, जिसके आधार पर मैंने आरोप लगाया था। इस सदन में, मेरे को हर्ज नहीं होगा इसका, मैं अपोलोजी मांगू–करूं। जहां तक यह है कि वहां कहा, वहां नहीं कहा; मैं समझता हूँ वे बहुत दूर

Page No.96

(श्री श्रीमानसिंह)

चले गये कि इन्क्वायरी बैठा सकते हैं और वह इन्क्वायरी कमेटी अपनी रिपोर्ट दे दे। इसमें मुझे एतराज नहीं है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (उप-मंत्री शिक्षा): But you should offer to resign if it is against you.

श्री श्रीमानसिंह : In the words of the Chief Minister of Punjab, "I never indulge in speculation in politics."

श्री सभापति : I think in accordance with the conventions of Parliamentary Democracy, when an hon'ble member gives a personal explanation, that explanation should be accepted. The Hon'ble member in front of me has clarified that he did not mean to cast any aspersions on the Hon'ble member from the Treasury Benches, and that he was perhaps misunderstood. The House should accept the explanation given by both and close the matter.

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : माननीय सभापतिजी, मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूँ। मसला इस प्रकार का नहीं है, जिसमें हाउस में दुःख प्रगट करने के बाद उसको बिल्कुल ड्राप कर दिया जाय। यह इस प्रकार का प्रश्न है जिस प्रश्न के कारण डेमोक्रेटिक इन्स्टीट्यूशन को खतरा पहुँच सकता है। माननीय सदस्य ने कुछ बात कही है तब जालोर जिला परिषद् में इस प्रकार का रिज़ोल्युशन पास हुआ है, जिसमें जातिवाद को लेकर, जातिवाद के आधार पर होने वाली कार्यवाही को कन्डेम किया गया है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (उप-मंत्री, शिक्षा): मैंने निवेदन कर दिया है कि इस प्रकार का रिज़ोल्युशन नहीं हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : यह रिज़ोल्युशन है, मैं इसे चाहें तो पढ़ कर सुना दूं। मैंने आपका नाम लेकर नहीं कहा, जातिवाद के नाम पर रिज़ोल्युशन पास हुआ है। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि त्याग–पत्र देना उस सम्बन्ध में ठीक नहीं है, लेकिन यह इस प्रकार का मसला है जिसको निश्चित रूप से इन्क्वायरी होनी चाहिए; चाहे कोई त्याग पत्र दे या न दे, that is a different matter. जातिवाद पनप रहा है, इस प्रकार का जालोर जिला परिषद् ने रिज़ोल्युशन पास किया है, वह चाहे माननीय उप मन्त्रीजी के खिलाफ पास किया हो या दूसरे किसी मन्त्री के खिलाफ पास किया हो। तो जिस कमेटी को प्रस्तावित किया है उसे इन्स्टीट्यूट करना चाहिए। मैं लीडर ऑफ दी हाउस से निवेदन करना चाहूँगा कि जब उन्होंने इस प्रकार की बात कही है तो इस बात को वे स्वीकार करें।

श्री सभापति : If the Hon'ble member who has just spoken, wishes to refute anything that the Hon'ble member has just said, it will be open to him to say so during the course of his speech for which he will have an opportunity. As far as the question of instituting an enquiry is concerned, that can be done only on a substantive motion for which the Hon'ble member

Page No.97

(श्री सभापति)

may in due course move a motion to that effect, or it will be open to the Leader to initiate such proceeding But at present there is no such motion before the House. The House will proceed with the debate on the Governor's Address.

श्री भैरोंसिंह : I have made a request to the Leader of the House.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : मैं इसमें स्पष्ट कर दूं । जो अभी उप मंत्री जी ने स्पष्टीकरण दिया वह पर्याप्त होना चाहिए इस सदन के माननीय सदस्यों के लिए क्योंकि दूसरी तरफ से जो भी आक्षेप किया गया है, जिसका आधार है केवल एक पत्र के अन्दर दिया हुआ समाचार, जिसको व्यक्तिगत तौर पर जोड़ दिया है । उसके अलावा जिन फैक्ट्स के आधार पर बात कही गई है, मैं उम्मीद यह करता था कि भरतपुर से आये हुए माननीय सदस्य उसे गुड ग्रेस के साथ स्वीकार करते । जो बात कही गई है उसके बाद यह बात, फैक्ट्स एस्टब्लिश नहीं होते हैं । रहा सवाल इन्क्वायरी का । उसको मुकर्रर करने के लिये मैं साफ इन्कार करता हूँ । इसके लिए इन्क्वायरी करने का सवाल नही है, क्योंकि जो फैक्ट्स हमारे सामने आ गये हैं । एक पत्र ने कुछ लिख दिया, उसके ऊपर उन्होंने कुछ कहा । यह गलत परम्परा है कि इसके आधार पर इन्क्वायरी चलाई जाय ।

श्री श्रीभानसिंह : But I have accepted and I have also told you the basis of my criticism in the House.

श्री सभापति : The Hon'ble Leader of the House has expressed his views and now I will request the Hon'ble member to proceed with the debate on the Governor's address. The members desirous of speaking may please stand.

(विराम)

Yes. Shri Bhim Sen.

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद–विवाद

(पूर्व क्रम से

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर काफी माननीय सदस्यों ने, जो राज्यपाल महोदय के भाषण में कामयाबियों की चर्चा है उसके बारे में काफी आलोचना की ।

सभापति महोदय, हमारी राजस्थान सरकार ने, जैसा कि राज्यपाल महोदय के भाषण से प्रगट होता है, काफी क्षेत्र में कामनायें हासिल की हैं और भौतिक लक्ष्यों को प्राप्त किया है । सबसे पहले, सभापति महोदय, मैं कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूँ । राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में, जो उत्पादन का लक्ष्य था, उससे अधिक उत्पादन बतलाया है । इसका कारण यह हो सकता है, सभापति महोदय, कि गत कुछ वर्षों में हमारे राजस्थान के अन्दर अधिक कृषि भूमि खेती के लिए काम में ली गई ।

(श्री भीमसेन)

आये दिन, सभापति महोदय, सुनने में आता है कि कृषि का बीज विभाग द्वारा ठीक टाइम पर नहीं दिया जाता है, खाद ठीक टाइम पर नहीं दिया जाता है। मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि राज्य के उपायों और प्रयासों के द्वारा खेती का उत्पादन बढ़ा है। मैं मान सकता हूँ कि हमारे यहां अधिक भूमि कृषि के काम में ली गई है, इससे उत्पादन बढ़ा है, यह माना जा सकता है। सभापति महोदय, हमारे इस साल गंगानगर जिले में गंग नहर में बहुत बंदियां रहीं, उससे हमारी फसल को काफी नुकसान पहुंचा; इसके लिए राजस्थान सरकार के सामने पहले से योजना थी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि गंग नहर से ठीक तरह से किसानों को पानी नहीं मिल सकता तो उसके लिए राजस्थान सरकार द्वारा फिरोजपुर बांध या पंजाब टेरीटरी में ट्यूब वैल्स बोर किये जायं और जब नहर में पानी कम हो तो उससे पानी दिया जाय। मैं समझता हूँ कि गंग नहर पर जो असर पाकिस्तान से हुए समझौते से हुआ है, उससे तभी फायदा हो सकता है जब कि ट्यूब वैल्स सिंक किये जायं और गंग नहर का इलाका, जो राजस्थान का ग्रेनरी है, उसका उत्पादन बढ़ सकता है और गंग नहर के पानी में कमी आने के कारण जो विषमता उत्पन्न हुई है वह दूर हो सकती है।

इसके अलावा सभापति महोदय, हमारे राजस्थान में; जैसे कि गुजरात, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में और पंजाब में ट्यूबवैल ओर्गेनाजेशन्स हैं स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से उसी तरह हमारे यहां पर भी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ट्यूब वैल ओर्गेनाइजेशन होना चाहिये और जहां जहां बिजली की सुविधा प्राप्त हो रही है वहां, कृषि के लिये नीचे का पानी काम में आ सके, इस प्रकार का ट्यूब वैल ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट की तरफ से खोलना चाहिये। राजस्थान गवर्नमेंट किसानों को व्यक्तिगत रूप से ट्यूब वैल के लिये, पैसा देने के लिये कुछ धन–राशि रखती है, पर जिस प्रकार गुजरात, वैस्ट बंगाल, यू० पी० और पंजाब में ट्यूब वैल से जो वहां की सरकारों की तरफ से ट्यूब वैल ऑर्गेनाइजेशन्स हैं उनकी ओर से कृषि करने का प्रबन्ध है उस प्रकार का प्रबन्ध हमारे यहां राजस्थान में नहीं है। मैं यह निवेदन करूंगा कि उस प्रकार का ट्यूब वैल ऑर्गेनाइजेशन कायम करके नीचे के पानी को कृषि के काम में लिये जाने की व्यवस्था सरकार की ओर से की जानी चाहिये। माननीय सभापति महोदय, कृषि मंत्री कह सकते हैं कि जैसलमेर और बाड़मेर में थोड़ा इस प्रकार का प्रयास किया है, पर मैं कहना चाहता हूँ कि जैसी हमारी स्थिति है उसको देखते हुए ये छोटे छोटे प्रयास बहुत नाकाफी हैं, इसलिये ट्यूब वैल ऑर्गेनाइजेशन हमारे राजस्थाम में बढ़ाना चाहिये।

इसके बाद माननीय सभापति महोदय, पशु पालन की तरफ राज्यपाल महोदय ने संकेत किया है कि पशु–पालन की राजस्थान में बहुत तरक्की हुई है, उस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सबसे पहले शीप ब्रीडिंग सोसाइटीज़ और केटल ब्रीडिंग सोसाइटियां हैं उन सोसाइटियों को बड़े पैमाने पर ऋण देने की व्यवस्था होनी चाहिये। रिज़र्व बैंक ऑफ इन्डिया का एक्ट है, उसको

(श्री भीमसेन)

अमेंड करना चाहिये और उसमें इस प्रकार का प्रावधान होना चाहिये कि शीप ब्रीडर्स और केटल ब्रीडर्स को लोन की सुविधा हो सके और वे लोग अपनी आमदनी बढ़ा सकें व राजस्थान के पशु–धन की तरक्की कर सकें।

इसके अलावा माननीय सभापति महोदय, मैं शिक्षा के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूँ। हमारे यहां राजस्थान में राजस्थान के निर्माण के बाद शिक्षा के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है, पर यह हमारी इतनी अहम समस्या है कि इसके बारे में और अधिक प्रयास करना चाहिये, फ्री और कम्पल्सरी प्राइमरी एजुकेशन का संविधान में प्रावधान रखा हुआ है, हमें उसको पूरा करना हैं।

इसके अलावा राजस्थान में आये दिन अकाल पड़ते रहते हैं, अकाल के कारण किसानों के बच्चों को किसानों के साथ साथ बाहर जाना पड़ता है, इस तरह की एमर्जेन्सी में सरकार की तरफ से विशेष सहायता दी जाय। तो किसानों के बच्चों को अकाल के कारण पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। ऐसा न होकर कुछ ऐसा उपाय करना चाहिये जिससे वे पढ़ाई चालू रख सकें।

इसके अलावा मैं पुलिस के बारे में भी निवेदन करना चाहूँगा। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में फरमाया कि राजस्थान में शान्ति और सुरक्षा है। इसमें दो राय नहीं हो सकतीं कि राजस्थान में डकैतों पर हमारी सरकार ने काबू पाया है, पर इसके साथ ही आज आये दिन हत्याएं, बलात्कार और चोरियों के मामले बढ़ रहे हैं, इस सम्बन्ध में पुलिस की तरफ से पूरी सावधानी नहीं बरती जाती। आज राजस्थान में चोरियां होती हैं, पर बरामदगी नहीं होती, यह पुलिस के लिये और सरकार के लिये सोचने की बात है। इसमें किस प्रकार सुधार किये जायं इस पर सरकार को विचार करना चाहिये। इसके अलावा हमारे राजस्थान में अच्छे अच्छे नागरिकों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। हो सकता है कि आपसी वैमनस्यता के कारण गिरफ्तार कर लेते हों। हमारे रतनगढ़ व बीकानेर में पत्रकारों की गिरफ्तारियां की गई हैं, इसलिये यह आवश्यक है कि एक तरह की आचार संहिता बना ली जाय कि किस तरह का पुलिस ऑफिसर, किस तरह के नागरिक को गिरफ्तार कर सकता है। यदि ऐसा कर लिया जाय तो इस प्रकार का कटु वातावरण पैदा नहीं होगा। जो पत्रकारों की गिरफ्तारी की, उसमें ऐसा हो सकता है कि आपसी वैमनस्यता के कारण गिरफ्तारियां की गई हों, ऐसी दशा में यदि इस प्रकार की आचार संहिता होती कि सब इन्स्पेक्टर गिरफ्तार न करके डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट गिरफ्तार करे तो एक बड़ा ऑफीसर होने के नाते इस प्रकार वैमनस्यता की भावना से गिरफ्तारियां नहीं होगी और इस तरह पत्रों में कटु आलोचना होती है। उसके लिये आयन्दा मौका नहीं आयेगा।

मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि पुलिस अधिकारियों के लिये इस प्रकार की आचार संहिता बना देना चाहिये, इससे सुधार हो सकता है।

माननीय सभापति महोदय, हमारे यहां राजस्थान में यह बहुत अच्छी बात है कि प्राविधिक और हायर एजुकेशन के लिये

(श्री भीमसेन)

हमारी सरकार प्रयत्नशील है। निर्धन विद्यार्थियों को अच्छी छात्रवृत्ति दी जाती है, यह सराहनीय चीज़ है।

अब मैं सिंचाई विभाग के बारे में निवेदन करूंगा कि आये दिन पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी शिकायत करती है और जनता की ओर से शिकायतें की जाती हैं कि सिंचाई विभाग की ओर से जो सिंचाई के लिये बनाये जाने वाले बन्ध और दूसरे साधनों में मेटिरियल खराब लगाया जाता है, इस कारण बन्ध बह जाते हैं और इस तरह सरकार को बड़ा भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी है उसने सजेशन दिया है कि सी० ए० ऑडिटर होना चाहिये, इसकी जांच के लिये। शिकायतों को दूर करने के लिये ऐसा आफिसर रहे तो इस प्रकार की शिकायतें दूर हो सकती हैं।

हमारे यहां योजनाएं बनती हैं पर योजनाओं के लिये हमारा कार्यक्रम है उसके माफिक हमारी योजनाएं ठीक तरह समय पर पूरी हों तो यह हमारे शासन तन्त्र की कुशलता का प्रतीक हो सकता है। पर ऐसा होता नहीं है। उदाहरण के तौर पर मैं निवेदन करूं कि यह हमारा प्रोग्राम था कि भाखरा से बिजली ५६ के दिसम्बर में मिल जायगी, पर ५६ के बाद वहां हमारे यहां बिजली प्राप्त हुई। तो इस तरह योजनाओं को कार्यान्वित करने के प्रोग्राम बनते हैं उनको उस समय में पूरा नहीं किया जाता है तो यह इनएफिशियेन्सी कही जायगी कि विदिन टाइम इम्प्लीमेंट नहीं हो सकीं। विदिन टाइम इम्प्लीमेंट हो जाय तो यह शासन तन्त्र की कुशलता कही जा सकती है। राजस्थान नहर के लिये प्रोग्राम बनाया कि ५७ में नहर का काम शुरू हो जाना चाहिये, पर काम ५८ में शुरू हुआ और हमारा प्रोग्राम था कि ६०–६१ में इससे कुछ एकड़ जमीन को पानी दे सकेंगे, राजस्थान केनाल से पानी दे सकेंगे; तो वह भी नहीं हो रहा है। जिस प्रकार योजनाएं बनाना जरूरी है उसी प्रकार उन योजनाओं का समय में पूरा हो जाना भी जरूरी है। हमारे शासन तन्त्र में कार्य–कुशलता आये, यह जरूरी है।

हमारी भूमि–नीति के सम्बन्ध में काफी आलोचनाएं होती हैं। चम्बल एरिया में, राजस्थान केनाल एरिया में, भाखरा एरिया में सरकार की नीति है जमीनों को नीलाम करने की; वह नीति अच्छी नीति नहीं कही जा सकती। अगर सरकार को पैसे की जरूरत है तो पैसे प्राप्त करने के और दूसरे जरिये हो सकते हैं और सरकार चाहती है कि जमीनें काश्तकारों को दी जायं तो निश्चित दर में काश्तकारों को दे सकती है। प्रश्नोत्तर काल में कहा गया कि ८००० बीघा जमीन को ३६००० रुपये में प्राप्त किया गया; तो एवरेज ५००० रुपया होता है, इसी दर से किसानों को जमीनें दी जायं किश्तों पर तो सरकार के पास पैसा भी आ सकता है और वहां के रहने वाले काश्तकारों को जमीनें भी मिल सकती हैं। वरना होता क्या है कि बाहर के काश्तकार बोली देने आते हैं, वे लोग साधन सम्पन्न हैं, हमारे यहां के किसानों से उनकी माली हालत अच्छी है; इसलिये हमारे यहां के काश्तकार इससे महरूम रह जाते हैं और बाहर के काश्तकारों को जमीन मिल जाती है। सभापति महोदय,

(श्री भीमसेन)

इसके लिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि नीलाम द्वारा जो जमीन बेची जाती है उसमें परिवर्तन होना चाहिये ।

इसके अलावा मैं राजस्थान के उद्योग विभाग के बारे में कहना चाहता हूँ। यह मानी हुई बात है कि राजस्थान इस मामले में दूसरे प्रान्तों से पिछड़ा हुआ है। लेकिन इसका मूल कारण यह है कि उद्योग के लिये बिजली की आवश्यकता होती है और इसका अभाव था। इसके कारण राजस्थान पिछड़ा हुआ रहा। अब हमारे राजस्थान में निश्चित तौर से बिजली आ गई है और मैं समझता हूँ कि कुछ ही वर्षों में उद्योग की दृष्टि से यह दूसरे राज्यों के मुकाबले में आगे बढ़ेगा। इसलिये इन शब्दों के साथ मैं राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : सभापति महोदय........

श्री सभापति : श्री नारायणसिंह ।

श्री लक्ष्मीचन्द : सभापति महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय ने मुझे आज बोलने का समय देने को कहा था।

श्री सभापति : I am not aware of it. I have named one Hon'ble member. After him you will have the opportunity.

मुझे मालूम नहीं कि आपके आज बोलने के लिये अवसर का कहा गया था। आपको आज बोलने के लिए अवसर मिलेगा।

राव श्री नारायणसिंह (मसूदा) : सभापति महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के धन्यवाद के प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूँ। राज्यपाल महोदय ने जो प्रगति का लेखा हमारे सामने प्रस्तुत किया है वह एक नई सूझ है। कुछ विभागों का इसमें जिक्र नहीं किया गया है। यद्यपि मैं यह मानता हूँ कि कुछ तथ्यों पर कहा जाना चाहिये था और जिसकी तरफ मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा है कि मिनरल इन्वेस्टीगेशन ऑफ ऑइल एक्सप्लोरेशन जो जैसलमेर में हो रहा है उसकी प्रगति के बारे में क्या हुआ और बाकी जो इकोनोमिक सर्वे आदि चालू है उसके विषय में क्या हुआ है उसके बारे में सविस्तार कहा जाना चाहिये था। वह नहीं कहा गया। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सर्वांगीण, सम्पूर्ण और भावी नीति की ओर संकेत होता है और इस नाते से जो कुछ उन्होंने हमारे द्वितीय पंचवर्षीय योजना–काल में प्रगति हुई है उसका लेखा और आंकड़े दिये हैं और आगे जो कुछ कदम उठाया जाने वाला है उसकी तरफ थोड़ा संकेत किया गया है। जो पोलिसी हो सकती है उस विषय में जब तक सरकार कोई नीति निश्चित न कर दे उस विषय में वे कह भी नहीं सकते हैं। लेकिन जो कुछ भी उन्होंने लेखा दिया है उसमें सतर्कता बर्ती है और शुरू शुरू में उन्होंने यह कह दिया है कि भारत संघ के अन्य राज्य वास्तव में पहली योजना को कार्यान्वित करने में व्यस्त थे, हम प्रशासन आदि में लगे हुए थे, अतः इस राज्य के लिये

(राव श्री नारायणसिंह)

इसकी दूसरी पंचवर्षीय योजना वास्तव में पहली योजना ही थी और वास्तव में इन प्रशासनिक, ढांचा संगठित करने और विषम स्थिति की ओर उन्होंने संकेत किया वह सही है। राजस्थान के निर्माण होने में कई प्रकार की कठिनाइयें आईं, राजस्थान का पुनर्गठन, एकीकरण और कई प्रकार के प्रशासनिक मामलों में संशोधन करना पड़ा और इन सारी दिक्कतों में उलझे हुए होते हुए भी जो प्रगति हुई है उसमें हम यह कहे बिना नहीं रह सकते कि वह प्रगति बहुत संतोषजनक हुई है।

कई सेक्टरों का उन्होंने इसमें जिक्र किया और वास्तव में उनमें हम आगे बढ़े हैं, फिर भी यहां प्रशासन के विषय में चर्चा आई। मैं मानता हूँ कि प्रशासन का संतुलन हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना की प्रगति है, उसके अनुकूल नहीं होने से योजना की प्रगति में वास्तविक बाधा उत्पन्न करता है। मैं यह कहूँगा कि इसमें संशोधन भी हुए हैं और कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास भी किया गया है, फिर भी कई तथ्य ऐसे हैं जैसे पे स्केल आदि के रह जाते हैं जिसमें थोड़ा असंतोष रह जाता है। लेकिन इसके साथ साथ मैं यह भी कहना अनुचित नहीं समझूंगा कि प्रशासन इस तरह से नहीं हुआ है कि वह राजस्थान के एकीकरण की दृष्टि से ठीक कहा जा सके। प्रशासन में अभी तक क्षेत्रीय भावना है, इसके कारण योजनागत प्रगति समान रूप से होनी चाहिये उसमें फर्क आता है और उसमें कुछ उद्देश्य क्षेत्रीय भावना से प्रभावित होते हैं।

अभी हाल ही में पी० सी० सी० का अधिवेशन हुआ था उसमें राष्ट्रीय एकता का प्रश्न आया था, उठा था। उस प्रश्न पर बोलते हुए माननीय हरिश्चन्द्र, एम० पी०, ने बहुत सही तौर से कहा था कि नीति निर्धारण में भी एकता बरती जानी चाहिए और इस बात के लिये प्रशासन को जागरुक रहना चाहिये कि किसी स्थान पर क्षेत्रीय भावना का असर पैदा न हो जावे और इस प्रकार से अनायास ही क्षेत्रीयता का वातावरण उत्पन्न न हो जावे। इस बात की ओर विशेषतया ध्यान देने की बात है। राजस्थान एकता को सर्वोपरि मान कर, राजस्थान एकता की चर्चा करके नीति पर ही सारी चीज को सिकोड़ नहीं सकते। इसमें सांस्कृतिकता, नैतिकता, परम्परा और भूगोल आते हैं। मैं सब बातों में सविस्तार जाना नहीं चाहता। मैं इतना ही कहना आवश्यक समझता हूँ कि पराधीन अवस्था में जब आप अकर्मण्य हो जाते हैं और जब उस अकर्मण्यता से आप बरी होते हैं तो ऐसे युग में जो जाति पराधीनता में रहती है वह एक प्रकार से कन्डेन्स्ड वेल्यू की तरह उसे कन्डेन्स्ड करके रख लेती है और जब स्वतन्त्रता आती है तो वह वोल्यूम निकालती रहती है और ऐसी अवस्था में जो वोल्यूम वह इकट्ठा करके रखती है उसमें स्वाभाविक तौर से सड़ान भी आ जाती है; जातीयता, क्षेत्रवाद आदि चीजें उत्पन्न होती हैं। जातिवाद और क्षेत्रीय भावना से प्रगतिशीलता उत्पन्न नहीं होती है। हम उसको सड़ान मात्र ही कह सकते हैं जो आज हमारे सामने है। हर एक को अपनी परम्परा और संस्कृति को ऊपर लाने का और अपनी जाति को ऊपर लाने का उद्देश्य आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में

(राव श्री नारायणसिंह)

जागरुकता बरतने की ओर भी ज्यादा आवश्यकता हो जाती है कि हमारे प्रशासन की नीति क्या हो, हमारी सारी गवर्नमेंट की कार्यवाही किस प्रकार से हो जिससे क्षेत्रीयता की भावना उत्पन्न न हो ? इसके साथ ही साथ जो हमारे यहां प्रशासन की दूसरी सड़ानें हैं उसके लिये मैं जरूर कहूँगा कि अगर इसको हम नहीं संभालते हैं तो योजनागत प्रगति करते हुए भी काफी प्रगति नहीं कर सकेंगे लूप साइडेड प्रगति कर जायगा और बेकार से हम इधर–उधर अनावश्यक तत्वों की ओर चले जावेंगे और जब हम अनावश्यक तत्वों की ओर चले जावेंगे तो आवश्यक तत्व रह जावेंगे। तो इस सड़ान को हमें साफ करना होगा। इस सड़ान के साथ साथ मैं बारम्बार साफ तौर से निवेदन करता जाता हूँ कि हमारे फाइनेन्स के रूल्स और दूसरे प्रशासन के रूल्स हैं उनको इस प्रकार से री-एडजस्ट करने होंगे कि आजकल की तुरंग-गति से हमें योजनागत प्रगति करना है, उसके आधार पर बराबर तोला जावे।

इस विषय में राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में विकेन्द्रीकरण का जिक्र किया है। उसमें यह भी कहा कि जनतन्त्रीय विकेन्द्रीकरण होने के बाद में जो चुनाव हुए वे बड़े शांति से हुए और ७५ प्रतिशत वोटिंग हुआ। यह स्वतः बताता है कि जो आसमान में लहराता हुआ एक प्रकार का जनतन्त्र हमारी विधान सभाओं और पार्लियामेंट तक ही सीमित था वह आस्मान से जमीन तक उतर सका और जमीन में अपनी जड़ पा सका। इस बात के लिये हम हमारी सरकार को मुबारिकबाद दिये बिना नहीं रह सकते। यह बात दूसरी है कि यह जड़ जमते ही क्या रंग लावेगी ? यह सर्व मान्य बात है कि विश्व के इतिहास को अगर पुनः उठा कर देखें तो हमें यह मिलेगा कि जनतन्त्र का प्रादुर्भाव हुआ वह शनैः शनैः हुआ और १००,२०० वर्षों में हुआ और धीरे २ हुआ और उसको जमाने में उतना ही अर्सा लगा तब ही वह पूरी तरह से जम पाया; जैसे ब्रिटिश पार्लियामेन्टरी सिस्टम जिसमें प्रेसिडेन्शियल फ्री डेमोक्रेसी और फ्रांस में भी जो कुछ हुआ है। तो आज का स्वरूप प्राप्त करने के लिए काफी समय लगा है, काफी खर्चा लगा है और लगने पर भी फ्रान्स में आज भी कई पार्टीज़ हैं और खींच-तान आज भी प्रस्तुत हैं। तो हमें इसकी ओर, इसके लिए मायूस होने की आवश्यकता नहीं है। जब कि हम जानते हैं कि सारा जनतन्त्र और सारी जनतन्त्रीय व्यवस्था को बढ़ाना, इसका प्रादुर्भाव केवल १०-१२ वर्ष का है। हमने हमारे देश में पार्लियामेन्टरी और विधान सभाई जनतन्त्रीय व्यवस्था स्थापित की है और हमने पंचायत नाम से ठेठ नीचे तक जाने वाली प्रजातन्त्रीय व्यवस्था पर कदम उठाया है, वह प्रशंसनीय ही कहा जावेगा। हमें दिक्कतें जरूर आवेंगी, लेकिन उन दिक्कतों से मायूस होने की आवश्यकता नहीं है। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि जातिवाद और क्षेत्रीयवाद कई कारणों से उत्पन्न होते हैं। उन सब कारणों को पूरी तरह समीचीन दृष्टि से देखें और सोचें तो हमें मालूम पड़ेगा कि यहां की यह विशेष परिस्थिति थी। यद्यपि यह कहते हुए मैं यह कहे बिना नहीं रहूँगा कि हमें इन बातों में जागरुक रहना

(राव श्री नारायणसिंह)

आवश्यक है ।

यह विकेन्द्रीकरण हमारे यहां आया, इससे कम से कम यह बात तो हुई कि जनता में जागरुकता आयी, दायित्वशीलता आयी। वे समझने लगे कि जो विकास हो रहे हैं वे हमारे कन्धों पर हो रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी से हो रहे हैं। मैं गांवों में जाता हूँ, पहले भी गांवों में जाता था, उसके मुकाबले में आज मैं वहां उड़ती हुई बातें केवल नहीं सुनता हूँ कि फलां जगह भ्रष्टाचार है, गलत खर्चा हो रहा है इत्यादि, बल्कि आज वे विशेष विशेष चीजों पर जोर लगाते हैं, कहीं कोऑपरेटिव की बात करेंगे, कोऑपरेटिव से विकास हुआ वह करेंगे, योजनाओं में प्रगति के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। यह स्पष्ट चीज़ है कि इस व्यवस्था से जनता में एक जागरूकता आयी है और इसका स्वागत करना है। यदि यह जागरूक तास्थापित होती है तो हमारे यहां जो जनतन्त्रीय व्यवस्था का कदम उठता जा रहा है वह वास्तव में सही दिशा में, ठोस रूप से चलता रहेगा और इसके साथ ही साथ इस विकेन्द्रीकरण व्यवस्था से मैं तो यह भी मानता हूँ कि प्रशासन की कई ढिलाइयां भी ठीक हो पायेंगीं। स्वतः आज कई लोग इस बात के अहसास में आये हैं और वे समझने लगे हैं कि किन सैंक्शन्स के आने में देर होती है और कहां देर होती है। गांव का सरपंच और समिति का प्रधान भी यह बता सकता है और उनकी यह समझ और उनकी यह मांग उन बातों को जल्दी से जल्दी ठीक कर सकेंगीं, यह आशा भी सही तौर पर बन जाती है। मैं एक प्रकार से इस विकेन्द्रीकरण व्यवस्था का कई माने में स्वागत करता हूँ। न केवल जनतन्त्र नीचे उतरता है, न केवल जनता को यह जागरुक करता है परिस्थिति और योजनाओं के बारे में लेकिन प्रशासन की ढिलाई को रास को भी यह खींच सकेगा और प्रशासन में नयी स्फूर्ति और नया स्वरूप भी निर्माण करने में यह योग दे सकेगा।

इसके बाद मैं उन विषयों की ओर जाऊंगा जिनकी ओर राज्यपाल महोदय ने हमारा विशेष ध्यान आकर्षित किया है और दिलचस्पी हो सकती है। उन्होंने कहा कि हमारी आबादी का ८० प्रतिशत लोग खेती करते है। ऐसी दशा में यहां जो खाद्यान्न इत्यादि की प्रगति होनी चाहिये वैसी हुई है, यह मैं मानूगा क्योंकि हमारे यहां के आंकड़े साफ है और राज्यपाल महोदय ने स्वयं ने इस बात को उल्लिखित किया है कि १८ लाख टन तक हमें आशा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त में हमारी पैदावार बढ़ सकेगी। यद्यपि मैं इस विषय में कहूँगा और इस विषय में पहले सत्र में योजनाओं पर अथवा अन्य किसी विषय पर पहले बहस करते समय कह चुका हूँ कि जितना खाद्यान्न बढ़ा है ४.५ लाख टन....

(विराम)

श्री सभापति : You may kindly conclude your speech within 5 minutes.

राव श्री नारायणसिंह : सभापति महोदय, मुझे केवल २० मिनिट के टाइम

(राव श्री नारायणसिंह)

से शुरु किया गया था । मैं समझता हूँ कि मुझे कल भी समय मिलेगा । मैं इतनी सारी चीजों को संकुचित नहीं कर सकूंगा ।

श्री सभापति : Better, if you conclude it within 5 minutes.

राव श्री नारायणसिंह : I Cannot. फिर तो केवल सूत्र व्यख्या हो जावेगी, उनका अर्थ नहीं होगा; फिर भी मैं प्रयास करता हूँ कि यदि आज खत्म कर सका तो कर दूंगा, नहीं तो कल आगे जारी रखूंगा। I will still take 10 minutes, if you can permit, Sir.

(विराम)

तो इस विषय में मैं यह अर्ज कर रहा था कि खाद्यान्न उत्पादन में यद्यपि वृद्धि की है लेकिन इसके साथ साथ हमारी आबादी भी बढ़ रही है, उसका उल्लेख भी हमारा प्लॉन फ्रेम में दिया गया है और उसके अनुसार दो करोड़ से ऊपर को आबादी हमारे यहां हो जाने वाली है । हमारे यहां, जो आंकड़े मैंने फैलाये थे वे इस समय तो मेरे पास मौजूद नहीं हैं, यद्यपि उनका विवरण पहले सत्र में दे दिया गया है फिर भी उनके अनुसार मेरा जो हिसाब लगता है, यह वृद्धि सेल्फ सफिशियेन्सी में ले आवेगी । लेकिन इस स्थिति में आज नहीं कहा जा सकता कि हम यहां की आवश्यकता से अधिक खाद्यान्न उत्पन्न कर रहे हैं । यद्यपि यह बात सही है फिर भी मैं यह कहूँगा कि हमारे यहां लैंड रिफॉर्म्स और खाद्यान्न वृद्धि के अन्दर जो कदम उठाये गये हैं वे बड़े संतोषजनक हैं और इतने थोड़े अर्से में यह आशा भी नहीं कर सकते थे कि हम एक दम सेल्फ सफिशियेन्सी से ऊपर पहुँच जावेंगे, लेकिन फिर भी जो राष्ट्रीय लक्ष्य है दस करोड़ टन सारे देश के लिए खाद्यान्न उत्पन्न करने का, उस ओर ध्यान रखना पड़ेगा और हमें इसमें इन्टेन्सिव कल्टीवेशन और दूसरे उन्नत खेती के प्रयोग हैं उनमें अधिक ध्यान देना पड़ेगा ।

मुझे बड़ी खुशी है कि पाली में घनीभूत कृषि के लिए एक प्रोग्राम चला है और उससे काफी इस घनीभूत खेती की तरफ हम कदम बढ़ा सकेंगे । लेकिन इसके साथ ही साथ हमें लैंड पोलिसी को संतुलित करना है और यह भी देखना है कि कोऑपरेटिव्ज़ की तरफ मूवमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं। हमने सीलिंग तो स्थापित कर दी, लेकिन उसके बाद जहां विशेष प्रकार के फार्म्स थे वहां इसकी वजह से कुछ मानसिक तब्दीली आ सकती थी, इन बातों को हमें देखना होगा । लैंड पोलिसी को, जो लैंड लेजिस्लेशन किये हैं उनकी अलग अलग जांच की जानी चाहिये कि किसका कितना उत्पादन पर प्रभाव पड़ रहा है उसी के मुताबिक संशोधन और नीति का व्यवहार करना उचित होगा ।

इसके अतिरिक्त हम कोऑपरेटिव मूवमेन्ट की तरफ बढ़ना चाहते हैं और हम यह भी चाहते हैं कृषि के क्षेत्र में अधिक से अधिक कोऑपरेटिव सेक्टर से बढ़ा जाय और फार्मिंग इत्यादि में कोऑपरेटिव का प्रादुर्भाव हो । इस प्रकार हमें आवश्यक होगा कि कोऑपरेटिव की ट्रेनिंग माकूल हो इसके बारे में जो कानून हैं उनको जांचें, उनकी रिपोर्ट्स देखें कि कहां कहां अटकाव होता है, उसके अनुसार हर सत्र में संशोधन करते रहें । उसके साथ साथ उनके

(राव श्री नारायणसिंह)

कार्यों और दूसरी दूसरी समस्याओं को भी देखते रहे । इस सहकारिता को हम किस प्रकार से प्रसारित कर सकते हैं, इस विषय में विशेष ध्यान दें । वास्तव में आवश्यक यह है कि पहले हमारे यहां सहकार का मानस बने । वह यदि हम बना पाते हैं तो मुझे शक नहीं कि इस कोऑपरेटिव मूवमेंट से कृषि उत्पादन में काफी वृद्धि होगी और इस तरह से जहां दूसरे क्षेत्रों में भी एक समाजीकरण का प्रसार करना चाहते हैं उसमें भी सही कदम उठा सकेंगे । मुख्तसर कोऑपरेटिव मूवमेंट के बारे में मुझे इतना ही कहना है। इसके अलावा मैं कुछ दूसरे तथ्यों की ओर भी सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ ....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

There are still 5 minutes, Sir.

सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि मेरे लिये समय का बहुत संकोच रहा, इसलिये उदारता बरत कर पांच मिनट का समय और दिया जाय ताकि मैं अपनी सारी बातों को समेट सकूं ।

श्री सभापति : The Leader of the House has to make a statement so I request the Hon'ble member to conclude his speech within a mintute or so. The Hon'ble member will have 5 minutes more to make his speech.

मुख्य मन्त्री का वक्तव्य

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) सभापति महोदय, मैंने केवल इसलिये प्रार्थना की थी कि आज सुबह इस सदन के अन्दर भरतपुर से आने वाले एक माननीय सदस्य ने इस तरह बैठने वाले जो पहले ट्रान्सपोर्ट विभाग के इन्चार्ज मिनिस्टर थे और आज-कल जिनके पास एग्रीकलचर और कोऑपरेटिव विभाग हैं उनके बारे में यह कहा था उनके बारे में मालीराम करके कोई व्यक्ति हैं उन्होंने उनके बारे में कुछ शिकायतें की थीं और उन शिकायतों की सेन्ट्रल इन्टेलीजेन्स की तरफ से इन्क्वायरी की गई है, वह एडवर्स इन्क्वायरी है उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है । मैं सदन को सूचित करना चाहता हूँ कि सेन्ट्रल इन्टेलीजेन्स के जरिये कोई भी इन्क्वायरी नहीं हुई और न किसी प्रकार की इन्क्वायरी पेन्डिंग ही है और न इन्क्वायरी रिपोर्ट के बारे में एक्शन लेने का सवाल है ।

दूसरा, मैं इस सदन की जानकारी के लिये यह भी बता दूं कि इस प्रकार की इन्क्वायरी करने का सेन्ट्रल इन्टेलीजेन्स का फंक्शन भी नहीं है । इस संबन्ध में जो भ्रामक सूचना माननीय सदस्य को मिली, उसी आधार पर इस प्रकार की बात उठायी गई है । इसलिये इसका स्पष्टीकरण करना उचित समझा, जिससे कि इस बारे में कोई गलतफहमी न रहे ।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद

(पूर्व क्रम से)

श्री सभापति :The Hon'ble member may continue his speech. You wanted 5 minutes and there are still 5 minutes left.

राव श्री नारायणसिंह (मसूदा) : I cannot just finish the speech.

श्री सभापति : Then another Hon'ble member.

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) (अश्रव्य) :

श्री सभापति : The Hon'ble member from opposition to my left.

राव श्री नारायणसिंह : I am continuing, but it will not be possible for me to finish it today.

श्री सभापति : You will have 5 minutes tomorrow.

एक माननीय सदस्य : बीच में अगर दूसरा बोलना शुरू हो जायगा तो बिल्कुल दूसरी चीज हो जायगी ।

श्री सभापति : When I enquired from the Hon'ble member he said that it would not be possible for him to continue his speech today.

राव श्री नारायणसिंह : It will be possible to continue, but I will not be able to finish. That is what I said.

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): Either let him finish...

श्री सभापति : Since the Hon'ble member is not prepared to complete his speech today.

राव श्री नारायणसिंह : Sir, I would not be able to conclude the speech today.

श्री सभापति : I am sorry, you want to take time today also and also want to reserve the time for tomorrow. You started at 4. 30 P. M. and you have taken normal time allowed for each speech. If you are prepared to conclude your speech in 5 minutes you are permitted to continue.

राव श्रीनारायणसिंह: I had started exactly at 4. 40 P. M.

श्री सभापति : No, it was 4. 30. I have noted down the time. It was 4. 30. exactly. Of course, there was an interventiou by the Leader of the House only for 3 minutes.

राव श्री नारायणसिंह : I will have 5 minutes tomorrow.

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : On a point of information, Sir, when the House is in session and if one Hon'ble member gives away the floor of the House, then Iithink, he will not have the reservation for tomorrow. Either he concludes the speech today or gives his right of speech, if the other Hon'ble member starts.

श्री सभापति : That will be pertinent to be raised when the Speaker is on the chair.

श्री लक्ष्मीचन्द जैन : सभापति महो-

Page No.108

(श्री लक्ष्मीचन्द जैन)

दय, राज्यपाल महोदयका भाषण ऐसा भाषण है जो नमक के बिना जिस प्रकार खाना फीका लगता है उसी प्रकार का यह भाषण है। इस भाषण में सब से ज्यादा पंचायतों के चुनाव के बारे में जोर दिया गया है ।

राव श्री नारायणसिंह : On a point of clarification, Sir, I would like to know whether I reserve my right to speak tomorrow. If I don't...

श्री सभापति : We cannot anticipate the ruling of the Chair. It will depend upon the Hon'ble member to raise any point of order. As far as my present decision is concerned, I have given him the right of 5 minutes tomorrow, because the time was curtailed for the facility of the Leader of the House.

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : Mr. Chairman, Sir, it will be a very bad precedent. One Hon'ble member feels short of speaking here when the Hon'ble member gets time. He is never allowed to resume his speech after break and another member takes the floor.

एक माननीय सदस्य : When there is time for him...

श्री पी० के० चौधरी : Such a special privilege is never given to any member before in the history of the House that one member is permitted to speak what he wanted to speak and then he continues tomorrow.

श्री सभापति : Normally it is not allowed, but the time of the Hon'ble member had to be curtailed in view of the fact that the Leader of the House had to deliver an important statement. Therefore, under special circumstances it will be open for the Hon'ble Speaker to permit.

श्री श्रीभानसिंह : In case there was any time left, then the Hon'ble member could have a chance to make his speech. There is already time to conclude his speech to-day.

श्री पी० के० चौधरी : On a point of order, Sir, once he has yielded the floor of the House to another member he cannot continue tomorrow.

श्री सभापति : The Hon'ble members should rest assured that all the correct parliamentarys convention will be kept up.

राव श्री नारायणसिंह : I beg to submit, Sir, it was under a mis-conception that the debate was not going te be concluded for another 5 minutes, and I was allowed to cotinue for 5 minutes. Thus, I would have continued as you say, and I can continue just now.

श्री सभापति : You were allowed. It was your discretion that you decided not to speak today.

श्री पी० के० चौधरी : On a point oforder, Sir, aman cannot be disturbed in delivering the speech without raising a point of order.

राव श्री नारायणसिंह : I have a right...

श्री सभापति : Order ! Order !!

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : Now the time is over, Sir.

राव श्री नारायणसिंह : I may be permitted to continue.

श्री सभापति : The Hon'ble member is in possession of the floor of the House.

श्री लक्ष्मीचन्द : सभापति महोदय, राज्यपाल का जो भाषण हुआ है उसमें ऐसा प्रतीत होता है, इस भाषण में ऐसी किसी बात की ओर संकेत नहीं किया गया है....

श्री पी. के. चौधरी : Time is over, Sir.

श्री सभापति : The House stands adjourned till 11.00'A. M. tomorrow

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म० प० ५ बजे, दिनांक २८ फरवरी, १९६१ ई० के म० पू० ११ बजे तक के लिए, स्थगित हुई)

संक्षिप्त-विवरण

(सोमवार, २७ फरवरी, १९६१)

	स्कम्भ		स्कम्भ
तारांकित प्रश्नों के शीर्षक	२५६	कोटपूतली से बानसूर-पावटा सड़क के निर्माण हेतु अवाप्त भूमि का मुआवजा।	
पाली में निर्मित होने वाला कॉलेज।		बम्बई सरकार द्वारा नाथद्वारा मन्दिर सम्पित्तियों की रजिस्ट्रेशन से छूट।	
तहसील सिवाना व पचभद्रा के ५००) रु० से कम आय वाले जागीरदारों को मुआवजा।		राज्य-सेवा में प्रवेश हेतु मैट्रिक तक के हिन्दी विषय को मान्यता।	
कोटा एवं बूंदी जिले में चम्बल नहर से सिंचित की जाने वाली भूमि के बेचे जाने की दरों में कटौती।		नमक के लॉटरी सिस्टम सिर्टिफिकेट हलफनामा की समाप्ति की अपेक्षा।	
नाहरगढ़ किले से जयगढ़ जाने वाली सड़क के दरवाजे खोलने के समय में परिवर्तन की अपेक्षा।		जयपुर की विस्थापित बालिका-शालाओं के अध्यापकों के वेतन।	
पाली तहसील में घोषित खातेदार।		बानसूर से डाबला वाया कोट-पूतली सड़क के अवशिष्ट टुकड़े का निर्माण।	
धौलपुर राजकीय माध्यमिक शिक्षणालय में तकनीकी प्रशिक्षण वस्तुओं का अभाव।		नहरी क्षेत्रों में भूमि-वितरण सम्बन्धी सरकारी नीति।	
तहसीलदार, बामनवास द्वारा स्थानान्तरण के आदेश मिलने के अनन्तर आवंटन की गई भूमि।		धौलपुर उप-जिले के हरिजनों द्वारा भवन निर्माण सहायतार्थ प्रस्तुत प्रार्थना-पत्रों पर कार्यवाही।	

सांगानेर और चाकसू तहसील के सिवाय चक के गोचर भूमि में परिणति के आदेशों पर कार्य-वाही।

गंगानगर जिले में भाखरा उप-निवेशन कार्यालय द्वारा भूमि की नीलामी।

पाली तहसील में मिले इंन्डस्ट्रियल लोन का लोगों द्वारा दुरुपयोग।

जयपुर पूर्व निरीक्षणालय द्वारा पुराने मैट्रिक अध्यापकों को मैट्रिक ग्रेड नहीं दिया जाना।

राजस्थान पुरातत्वान्वेषण मन्दिर की जयपुर शाखा।

डूंगर कॉलेज, बीकानेर में राज-नीति शास्त्र की स्नातकोत्तर कक्षायें खोलना।

बारां के निकट की बंगाली विस्था-पितों की बस्ती की हालत सुधारना।

जयपुर जिले में अध्यापकों के ट्रेनिंग स्कूल्स।

कोटपूतली में कॉलेज की मांग।

तहसील नोहर में कोलोनाइजेशन विभाग द्वारा अस्थाई रूप से आवंटित भूमि।

प्रान्त में खोला जाने वाला खाद का कारखाना।

सदन की मेज पर रखा गया पत्र ३१०

श्री रामचन्द्र चौधरी, आबकारी मंत्री, ने आबकारी तथा कर विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. ५ (४०) ई. एण्ड टी. । ६० दिनांक १ अक्टूबर, १९६० को जिसके द्वारा राजस्थान बिक्री कर नियम, १९५५ में संशोधन किये गये हैं, सदन की मेज पर रखा।

प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन ३१०

श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मंत्री, ने मारवाड़ विवाह-निधि प्रशासन विधेयक, १९६० पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन किया।

राज्यपाल महोदय के अभि-भाषण पर वादविवाद ३१०

श्री बृजमोहनलाल शर्मा, सदस्य

Page No.112

विधान सभा, द्वारा दिनांक २४ फरवरी, १६६१ को प्रस्तुत किये गये निम्नांकित धन्यवाद-प्रस्ताव पर आज भी वाद-विवाद किया गया:–

"इस सत्र में समवेत् विधान सभा के सदस्य राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिए जो उन्होंने कृपापूर्वक विधान सभा समक्ष दिया है, अत्यन्त कृतज्ञ हैं।"

बहस में निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया :—

(१) श्री तनसिंह

(२) राजा श्री मानसिंह

(३) श्री श्रीभानसिंह

(४) श्री अर्जनदास

(५) श्री मोतीलाल चौधरी

(६) श्री रघुवीरसिंह जावलो

(७) श्री जनार्दनराय नागर

(८) रावल श्री नरेन्द्रसिंह

(९) श्री मूलचन्द डागा

(१०) श्री भीमसेन

(११) श्री नारायणसिंह मसूदा

श्री लक्ष्मीचन्द अपना भाषण दे रहे थे कि सदन की बैठक ठीक ५ बजे मंगलवार, दिनांक २८ फरवरी, १६६१ को प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की गई।

मंगलवार, दिनांक २८ फरवरी, १६६१ की कार्य–सूची

(१) पंचायत मंत्री द्वारा राजस्थान पंचायत एवं न्याय पंचायत निर्वाचन नियम, १६६० के अधीन सदन की मेज पर अधिसूचनाएं रखना।

(२) प्राकलन समिति के उन्नीसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन।

(३) प्रवर समितियों के प्रतिवेदनों का उपस्थापन।

(४) राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अग्रेतर वाद-विवाद।

———

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६४ का उत्तर देखिये)

क्रम	नाम काश्तकार व पता	जमीन जिसकी खातेदारी दी गई.	विशेष विवरण
१.	रूघनाथ वल्द हुक्का कुम्हार सा० वायद	६।) बीघा	
२.	गोकिया वल्द आसू कुमार सा० माण्डिया	५।) बीघा	
३.	सागरमल वल्द गुलाबचन्द कौम ओसवाल सा० गाव-लिया	३५।।।) बीघा	
४.	कोजा वल्द धूला कुमार सा० उतमण	६१।) ४ बीघा	
५.	भभूता वल्द धूला कुमार सा०उतमण		
६.	बीजाराम वल्द तेजाराम रावणा राजपूत सा० केरला स्टेशन	६।) बीघा	
७.	मदन वल्द बीजाराम		
८.	गजाराम वल्द सांवला पाट सा० चोटीला	७) २ बीघा	
९.	छतरसिंह वल्द बादरसिंह राजपूत सा० सिराणा	६८।) बीघा	

१	२	३	४
१०.	सवाराम वल्द श्रना पीटल सिराणा		
११.	किशना वल्द राजु कुमार सा० पाली	१०) बीघा	

कुल ११ काश्तकारों को सन् १९५९ व १९६० में कुल २००।) २ बीघों के खातेदार घोषित किये गये ।

———

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १०८ का उत्तर देखिये)

लिस्ट, तहसील पाली में जिनको पिछले तीन सालों में लोन दिया गया

क्र० सं०	पार्टी का नाम	उद्योग का नाम	ऋण राशि जो दी गई
१	२	३	४
	सन् १९५८–५९		रु०
१.	श्री ठाकुरदास चेतराम, पाली ।	मोमबत्ती उद्योग	१०००.००
२.	श्री बाबूलाल तिलोकचन्द, पाली ।	बर्तन उद्योग	२०००.००
३.	श्री मोहमदसदीक हाजी अब्दुलगनी, पाली ।	पीतल के बर्तन	२५००.००
४.	श्री करीमअहमद, पाली ।	रंगाई–छपाई	४०००.००
५.	श्री पाली चर्म उत्पादक समिति ।	चर्म रंगाई	३०००.००
६.	श्री मिश्रीमल पारख, गोटा फैक्ट्री, पाली ।	गोटा उद्योग	२५००.००
७.	श्री शोरा उत्पादक सहकारी समिति, खारड़ा ।	शोरा	१५००.००
८.	श्री उदयराम नाथूजी, पाली ।	लकड़ी का काम	२०००.००
९.	श्री अब्दुलमजीद अलाबक्स, पाली ।	रंगाई–छपाई	३०००.००
१०.	श्री मंगा पुत्र दुर्गा मोची, पाली ।	चर्म उद्योग	२०००.००
११.	श्री मोहमदशरीफ पुत्र अहमदजी छीपा, पाली ।	रंगाई–छपाई	३०००.००
१२.	श्री अब्दुलगफूर नूरमोहमद छीपा, पाली ।	रंगाई–छपाई	१२००.००

१	२	३	४
१३.	श्री पाली ठठेरा सोसाइटी, पाली।	बर्त्तन का उद्योग	५०००.००
१४.	श्री रंगाई छपाई बंदेज उत्पादक सहकारी समिति, पाली।	रंगाई–छपाई उद्योग	७०००.००
१५.	श्री गफूर पुत्र इब्राहीम छीपा, पाली।	रंगाई छपाई उद्योग	२५००.००
१६.	श्री गनी पुत्र करीम छीपा, पाली।	रंगाई–छपाई उद्योग	२०००.००
१७.	श्री तेवाली रेगरान सहकारी समिति, तह० पाली।	चर्म उद्योग	३०००.००
			योग:—४७२००.०००
	सन् १९५९–६०		रु०
१८.	श्री विष्णु कलर कम्पनी, पाली।	कलर उद्योग	१५०००.००
१९.	श्री चेलाराम पुत्र शंभुजी, पाली।	चर्म उद्योग	६००.००
२०.	श्री पुखराज पुत्र केशाराम, पाली।	,,	७५०.००
२१.	श्री लछमण पुत्र कालाजी, पाली।	,,	६००.००
२२.	श्री खींवराज पुत्र नवलाजी, पाली।	,,	७००.००
२३.	श्री हरजी पुत्र पूनमाजी, पाली।	,,	७००.००
२४.	श्री लछीराम पुत्र देवाजी रोहट तह०, पाली।	,,	७००.००
२५.	श्री तिलोकचन्द मोटाजी, पाली।	,,	१०००.००
२६.	श्री मोहनदास रामनारायण, जेतपुरा तह०, पाली।	,,	६००.००
२७.	श्री पूनमचन्द मगनीराम, पाली।	,,	१४००.००
२८.	श्री लछा पुत्र अमरजी, पाली।	,,	७००.००

१	२	३	४
२९.	श्री प्रताप पुत्र किसनाजी, पाली।	चर्म उद्योग	६५०.००
३०.	श्री नरसिंह पुत्र अन्नाजी, पाली।	,,	७००.००
३१.	श्री संग्राम पुत्र नाथूजी, पाली।	,,	७००.००
३२.	श्री इस्माइल पुत्र करीम छीपा, पाली।	रंगाई–छपाई	५०००.००
३३.	श्री परसा पुत्र काला, पाली।	चर्म उद्योग	५००.००
३४.	श्री युसुफ पुत्र करीम, पाली।	रंगाई–छपाई	१५००.००
		योग:—	३२१००.००

सन् १९६०–६१ (दिसम्बर, ६० तक) रु०

३५.	श्री गिन्नीदेवी वाइफ श्री आर०सी० अग्रवाल, पाली।	टाईल्स	१०००.००
३६.	श्री रामकिशोर बद्रुद्दीन, पाली।	आयरन फाउन्डरी	२५००.००
३७.	श्री डायाराम ईसरदास, पाली।	मोमबत्ती उद्योग	१५००.००
३८.	श्री गुलाममोहम्मद अजीमुद्दीन, पाली।	बालों का तेल उद्योग	१०००.००
३९.	श्री इब्राहीम पुत्र अहमदजी छीपा, पाली।	रंगाई–छपाई	१५००.००
४०.	श्री रमजान पुत्र मोहम्मद, पाली।	,,	१०००.००
४१.	श्री इब्राहीम पुत्र मसाजी छीपा, पाली।	,,	४०००.००
		योग:—	१२५००.००
		कुल योग:—	६१,८००.००

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ११२ का उत्तर देखिये)

DIFFERENT FAMILIES OF DISPLACED PERSONS FROM EAST PAKISTAN ARRIVED TO RAJASTHAN AT DIFFERENT DATES AS STATED BELOW

S. N.	Batch of displaced persons.	Category Agri.	Non-Agri.	Period of arrival.
1.	First Batch.	106	8	January 1958 to April, 1958.
2.	Second Batch.	145	7	October 1958 to May, 1959.
	Total	251	15	

2. The above displaced Agriculturist and Non-Agriculturist families were given following loans in kind and cash as detailed below:—

FOR AGRICULTURIST

S. No.	Category of Loan.	First Batch.	Second Batch.	Remarks.
1	2	3	4	5
1.	Maintenance Loan.	Continued from the date of arrival upto march, 60 i. e. nearly a period of 25 months Rs.12/- per adult and Rs.8/-per minor subject to sell-	Continued from the date of arrival upto March, 60 i. e. nearly a period of 18 months at the scheduled rates given in Col. 3.	Total amount advanced to agri. and non-agri. of both the batches is Rs. 1,85,825.35 n. p. in which Rs. 1,53,354.82 n. p, has been decided into grant as ad-

1	2	3	4	5
		ing of Rs. 60/- per mensem for a family of 6 members or more and Rs. 50/- per family having 5 members.		vance upto 31st. Oct., 59 and a sum of Rs.35,000/- has been sanctioned as grant to 21 families out of 106 agri. family of first bacth. 128 families out of the 2nd batch of 145 families of Agri. w. e. f. 1-7-60 to 30-11-60 in which 207 families of Dps. out of 266 has been absconded now and 59 families agri. & Non-Agri. are residing in the Rehabilitation site colonies.
2.	Loan for purchase of milch cow.	Rs. 100/- per family.	Rs. 100/- per family.	Rs. 25,000/-
3.	Agriculture Loan for bullocks, seeds fertilizer and implements.	Rs. 500/— per family.	Rs. 500/—per family.	Rs. 1,25,000/—
	(a) Bullocks.			
	(b) Seeds.	Distributed in kind.	Distributed in kind.	Total amount incurred in Rs. 10,727. 50 n. p.

Page No.120

1	2	3	4	5
	(c) Agricultural implements,	Rs. 50/—per family for Hal, Kuli & Juwa.	As in Col. No. 3.	Rs. 12, 500/— in cash for Hal, Kuli & Juwa and Rs. 11,682.32 n. p. in Kind for other agricultural imple-ments.
4.	Loan for recla-mation for land.	Rs. 45/—per acre.	As in Col No. 3.	Rs. 18,620/- advanc-ed out of which Rs. 9,937.50 n. p. given in cash for the work done by the Dps, themse-lves.
5.	Housing Loan.	Hutment duly constructed through P. W. D. has been provided to each family.	As in col. No. 3.	Balance loan is to be advanced.

....

Non—Agriculturist.

1	2	3	4	5
1.	Maintenance Loan.	As per schedule rate given for 6 months from the date of arrival.	——	As stated in S. No. 1. in col. No. 5 Non-agri amount which is advanced as loan is shown in lump-sum as loan for agri. & Non-agri.

1	2	3	4	5
2.	Loan for running/small trade.	Rs. 500/—for families to both batches.	——	Rs. 7, 400/— advanced.
3.	Housing Loan.	Hutment duly constructed by P. W. D. has been provided to each family.		

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६८ का उत्तर देखिये)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
(REVENUE 'A' DEPARTMENT)

No. F. 3d (29) Rev/A/60 Dated the 8th March,1960

From

Shri R. K. Chaturvedy.

Secretary to the Govetnment.

To

The Secretary to the Government of Bombay,
Revenue Department, Bombay.

Sub:--

Exemption of the properties of the Nathdwara Temple Trust from the application of the Bombay Public Trusts Acts, 1960.

Sir,

I am directed to say that the President of the Nathdwara Temple Board, Shri Krishnaraj M. D. Thackersey, has reported to the Rajasthan Government that the Charity Commissioner, Bombay has informed him that, in as much as certain immovable properties belonging to the Nathdwara Temple are situated in the Bombay State, it is a public trust and should be registered under the Bombay Public Trusts Act, 1950 (Bombay Act No. XXIX of 1950).

2. As the Bombay Government are no doubt aware the temple of Shri Nathji is situated at Nathdwara in the Udaipur District of Rajasthan. It is one of the most famous temples of India, and it has extensive properties not only in Rajasthan but also in other State of India, including Bombay. For the better administration and goverance of the temple of Shri Nathji at Nathdwara, The Rajasthan State Legislature passed a special Act viz, the Nathdwara Temple Act, 1959 (Rajasthan Act No. 13 of 1959) published in the Rajasthan Gazette, Extraordinary Part-IV-A dated the 3oth May 1959). Under the said Act, the ownership of the temple and its endowments (which term includes all the properties, movable or immovable, belon-

ging to or given or endowed in any name for the maintenance or support of the temple or for the performance of any service or charity therewith and includes all jagirs, muafis and other properties, movable or immovable, wherever situated and all income derived from any source whatsoever) which have been or may hereafter be made vest in the deity of Shri Nathji. The administration of the temple and its endowment vests in the Nathwara Temple Board constituted under section 4 of the said Act. The Act contains provisions designed to prevent misappropriation or misuse of the temple properties, and certain powers of inspection, supervision and control have been given to the Government of Rajasthan. The purposes for which funds of the temple may be utilised have all been clearly set out in the Act. Because of the importance of the Nathdwara temple and the fact that it is governed by a special act of the Rajasthan State Legislature, the Rajasthan Legislative Assembly, while passing the Rajasthan Public Trusts Act, 1959 (Rajasthan Act No. 42 of 1959) published in the Rajasthan Gazette, Extraordinary, Part-IV-A dated the 28th October, 1959, which is an Act to regulate and make better provision for the administration of public, religious and charitable trusts in the State of Rajasthan, deemed it fit to insert a section (section 78) in the Act to the effect that nothing in that Act shall in any way effect or prejudice the provisions of the Nathdwara Temple Act, 1959, and in view of this provision, the provisions of Chapter V of the Rajasthan Public Trusts Act, 1959, regarding the administration of public trusts, are not applicable to the Nathdwara Temple Trust.

In the circumstances explained above, I am to request that the Bombay Government may, in exercise of the powers given to it by the first proviso to sub-section (4) of section 1 of the Bombay Public Trusts Act, 1950 (Bombay Act No. XXIX of 1950), exempt the properties of the Nathdwara Temple situated in the Bombay State from the provisions of the said Bombay Act. I am to request that a copy of the notification issued may kindly be sent to me for the information of the Rajasthan Government.

Yours faithfully,

Sd/-

(R. K. Chaturvedy).

Secretary to the Government.

शुद्धि-पत्र

(सोमवार, २७ फरवरी, १९६१)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
२६२	अन्तिम से४	मानगे	मानेंगे
२६८	१८	तार ख	तारीख
२७४	१९	जमीमो	जमीनों
२७७	१३	शक्ष	शिक्षा
२७८	अन्तिम से३	को एंसी	को ऐसी
२८४	१३	प्रत हुए	प्राप्त हुए
२९६	अन्तिम से५	श्री भैरोंसिंह : (श्रो माधोपुर)	श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर)
३१५	१९	मैं	में
३३५	१०	हलाकि	हालांकि
३३६	१२	गेलन्स	गैलन्स
,,	२०	यहि यह	यदि यह
,,	अन्तिम से२	कन्तज़म्शन	कन्ज़म्शन
३३८	अन्तिम से४	श्री भैरोसहि	श्री भैरोंसिंह
३५२	१	activity that it was	activity it was
३५५	३०	couleagues	colleagues
३५८	३	पश्चिल	पश्चिम
३६२	२	यह	वह
३६३	३३	I beleve	I believe
,,	अन्तिम से२	Otherwisc	Otherwise
३६५	१६	राजवाड़ों	रजवाड़ों
३६६	२२	समाजिक	सामाजिक
३६७	१०	ममूली	मामूली
,,	२०	विरध	विरोध
३७३	२१	वसां के	वहां के
३७५	३०	सहोयोग	सहयोग
३७९	२३	उनमें	उसमें
३८१	८	संतुष्ट चश्महिपतिः	संतुष्टश्चः महिपतिः
,,	१९	नष्टः	नष्टा :
३८८	२	घेर कर	घेर कर

१	२	३	४
३८६	६	श्री रघुवरसिंह	श्री रघुवीरसिंह
३६०	६	ड़ने	पढ़ने
,,	१३	हिम्मत की किदवई	हिम्मत किदवई
४००	शीर्ष	(श्री जनादंनराय नागर)	(श्री जनार्दनराय नागर)
४१७	४	खेरे	खैर
४२६	१७	निरराकरण	निराकरण
४३०	१० व १७	खनि अभियन्ताओं	खनिज अभियन्ताओं
४३१	२०	पार्टिय में	पार्टियों में
४३४	६	डिलमिल नोति	ढिलमिल नीति
४४२	शीर्षक	उप मन्त्री	उप–मंत्री
४५०–५१	शीर्षक	२७ धरवरी	२७ फरवरी
४६२	१८	जागरूक तास्थापित	जागरूकता स्थापित
४६४	१३	(विराय)	(विराम)
४६६	२५	I ithink	I think
४७१	२२	parliamentarys convention	parliamentary conventions
४७५	५	सम्पित्तियों	सम्पत्तियों
,,	६	सिर्टिफिकेट	सर्टिफिकेट
४७८	२	प्रतुस्त	प्रस्तुत
४८४	कॉलम २, पंक्ति ६	परसा	परशा
४८६	६	Govetment	Government
,,	२२	State of India	States of India

अनुपूरक शुद्धि–पत्र

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
२६८	अन्तिम से ३	60' clock	6 O'clock
२७७	१०	of efu	of refugee
३२२	शीर्ष	(थी तनसिंह)	(श्री तनसिंह)
३४२	शीर्षक	राज्वपाल	राज्यपाल
३८२	,,	अविभाषण	अभिभाषण
४२३	,,	सामान्य पर	पर सामान्य
४४६	,,	खप मंत्री	उप मंत्री
४५६	,,	षर	पर
४६२	शीर्ष	नारायणसिंह	नारायणसिंह